खण्ड–492, अंक–7
सोमवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(09 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 492 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश में बिगड़ती कानून–व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कराये जाने की मांग	7–8
प्रदेश में अतिवृष्टि से किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने का प्रकरण ...	8–11
प्रश्नोत्तर	11–54
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	54–55
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	55–56
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय ग्रामों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद बलिया में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	57–58
नीलगायों द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	58
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में निर्माणाधीन द्रौपदी थीम पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58–59
लखनऊ महानगर स्थित लोहिया पार्क में भूमिगत पैदल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	59
जनपद अमरोहा के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय समेत कई अन्य संस्थानों द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति वितरण में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	59–60
जनपद पीलीभीत स्थित विभिन्न गन्ना मिलों द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	60
राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद समेत अन्य अस्पतालों में शिक्षण स्टाफ की कमी को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में	60–61

नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
गोरखपुर नगर निगम द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को वन विभाग द्वारा रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद महाराजगंज स्थित नारायणी नदी के बांधों का अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	61–62
कानपुर नगर की मलिन बस्तियों पटेलनगर एवं सदानन्द नगर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	62–63
जनपद लखनऊ के नेपालगंज क्षेत्र के तालाब में हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के शहीद नगर में ईदगाह बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	63–64
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	64
विधायकों को विधायी कार्य हेतु वांछित मूल्य के भुगतान के पश्चात् लैपटाप उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	64–65
राज्य सभा एवं लोक सभा की भांति प्रदेश में प्रसारण हेतु बजट की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ...	65
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–221/ग्यारह–9(27)–2014–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(128)–2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	65–66
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–222/ग्यारह–9(223)–2012–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(129)–2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	66
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–16–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	66
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2010 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	66
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–11–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	66

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–10–2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ... 66

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–14–2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ... 67

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	67
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का चौदहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	67
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	67
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का सोलहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	67–68
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का सत्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	68
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	68
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	68
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	68–71
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	71–88
वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	88–135
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	135–136
उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गेंदालाल चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	136
जनपद आगरा के एत्मादपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में घरेलू बिजली पंखा उपभोक्ताओं को नगरीय क्षेत्र के हिसाब से बिल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	136
जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में ग्राम सभा की भूमि पोखरों, चरागाहों की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी	137

सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक छजलैट में स्वीकृत आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्ररहमान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	137
जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण हो रही असुविधा के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	137–138
जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर निर्मित विद्युत केन्द्रों को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	138
बरेली महानगर में नगर निगम द्वारा भवन कर, जलकर एवं सीवर कर की धनराशि को दस गुना बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	138
जनपद बरेली के नगर पंचायत शाही के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री सुल्तान बेग द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	138
जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 125 नग टी0टी0एस0पी0 की टंकियों को लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री काली चरन सुमन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	138–139
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र सोहरतगढ़ के अन्तर्गत कठेला को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लालमुन्नी सिंह द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	139
जनपद बदायूं की दातागंज तहसील के अन्तर्गत नगरिया खनु में पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिनोद कुमार	140

शाक्य द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा प्रदान किये जाने के उपरान्त जनता को नगर निगम की सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	140–141
रेन्ज अधिकारी रामगढ़ टिकरी रेन्ज द्वारा लकड़ी की अवैध कटान कराये जाने के कारण वन कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)...	141

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2015

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–273

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
12. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
13. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
14. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
18. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
19. अमित गौरव यादव, श्री एटा
20. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
21. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
22. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
23. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
24. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
25. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
26. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
27. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
28. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
30. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
31. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
32. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
33. आलमबदी, श्री आजमगढ़
34. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
35. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
36. आशीष यादव, श्री बदायूं
37. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
38. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
39. इकबाल, श्री बिजनौर
40. इकबाल महमूद, श्री संभल
41. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
42. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
43. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
44. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
45. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
46. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
47. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
48. उदयराज, श्री उन्नाव
49. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
51. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
52. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
53. ओम कुमार, श्री बिजनौर
54. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद

55. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
56. काली चरन सुमन, श्री आगरा
57. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
58. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
59. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
60. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
61. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
62. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
63. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
64. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
65. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
66. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
67. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
68. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
69. गोमती यादव, श्री लखनऊ
70. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
71. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
72. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
73. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
74. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
75. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
76. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
77. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
78. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
79. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
80. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
81. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
82. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
83. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
84. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
85. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
86. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
87. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
88. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
89. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
90. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
91. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
92. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
93. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
94. धर्मराज, श्री बाराबंकी
95. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
96. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
97. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
98. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
99. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
100. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
101. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
102. नारद राय, श्री बलिया
103. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
104. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
105. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
106. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
107. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
108. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
109. पीतमराम, श्री पीलीभीत
110. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
111. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
112. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
113. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
114. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
115. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
116. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
117. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर

118. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
119. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
120. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
121. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
122. बदलू खां, श्री उन्नाव
123. बाबू खां, श्री हरदोई
124. बाबूलाल, श्री गोण्डा
125. बावन सिंह, श्री गोण्डा
126. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
127. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
128. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
129. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
130. बैजनाथ, श्री मऊ
131. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
132. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
133. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
134. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
135. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
136. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
137. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
138. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
139. मनबोध, श्री देवरिया
140. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
141. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
142. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
143. महबूब अली, श्री अमरोहा
144. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
145. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
146. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
147. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
148. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
149. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
150. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
151. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
152. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
153. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
154. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
155. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
156. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
157. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
158. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
159. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
160. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
161. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
162. यासर शाह, श्री बहराइच
163. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
164. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
165. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
166. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
167. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
168. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
169. रणजीत सुमन, श्री एटा
170. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
171. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
172. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
173. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
174. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
175. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
176. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
177. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
178. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
179. राजिव, श्री सहारनपुर
180. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
181. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
182. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
183. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई

184. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
185. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
186. राधे श्याम, श्री अमेठी
187. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
188. राम करन आर्य, श्री बस्ती
189. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
190. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
191. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
192. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
193. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
194. राम मगन, श्री बाराबंकी
195. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
196. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
197. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
198. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
199. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
200. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
201. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
202. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
203. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
204. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
205. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
206. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
207. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
208. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
209. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
210. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
211. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
212. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
213. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
214. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
215. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
216. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
217. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
218. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
219. विजय सिंह, श्री रामपुर
220. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
221. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
222. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
223. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
224. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
225. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
226. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
227. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
228. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
229. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
230. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
231. शाकिर अली, श्री देवरिया
232. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
233. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
234. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
235. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
236. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
237. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
238. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
239. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
240. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
241. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
242. संजय कपूर, श्री रामपुर
243. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
244. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
245. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
246. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
247. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर

248. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
249. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
250. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
251. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
252. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
253. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
254. सीमा, श्रीमती जौनपुर
255. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
256. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
257. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
258. सुधाकर, श्री मऊ
259. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
260. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
261. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
262. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
263. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
264. सुरेश राणा, श्री शामली
265. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
266. सुल्तान बेग, श्री बरेली
267. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
268. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
269. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
270. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
271. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
272. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
273. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00 बजे, प्रदेश में बिगड़ती कानून–व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कराये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई है। मान्यवर, केवल होली के दिन 33 लोग मारे गये हैं। 33 लोगों की हत्या केवल होली के दिन हुई है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से नंगा नाच हो रहा है, जिस तरीके से गुण्डे, माफिया, अपराधी बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आज पूरा उत्तर प्रदेश गुण्डे, माफिया और अपराधियों के हवाले हो चुका है।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ये बातें आप सब लोगों ने नियम–56 में दी हैं और उसे मैंने नियम–56 में सुनने के लिये स्वीकार कर लिया है तो जब नियम–56 आयेगा तब उसमें बोलियेगा। आप लोगों ने उसमें ये सब प्रश्न कानून–व्यवस्था पर उठाये हैं और उसको मैंने ले लिया है तो जब आपका विषय आयेगा तब आप इस पर अपनी बात कहेंगे, अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब आप लोग अपने–अपने स्थानों पर चलिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, होली के दिन प्रदेश में इतनी हत्यायें हो गईं हैं। कानून–व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है इसलिये हम और हमारा दल खराब कानून व्यवस्था के विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन किया।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वेल में बैठ गए)

श्री अध्यक्ष–

महाना जी आप अपनी सीट पर चलिए, वहां से कहिए तो कुछ समझ में आए। आप लोग अपनी जगह पर चलिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम है। 33 लोग होली वाले दिन मारे गए हैं, 500 लोग घायल हुए हैं। मान्यवर, आखिरकार वह कौन–सा दिन आयेगा, जब जनता चैन से रहेगी। तीन साल में 622 घटनाएं पुलिस वालों के खिलाफ हुई हैं और 3936 लोगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई। मान्यवर, आखिर वह

कौन–सा दिन आयेगा, जिस दिन इस देश की जनता चैन की नींद सोएगी। मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं मान्यवर, यह सरकार इतनी संवेदनहीन है कि इस सरकार के कान में जूं रेंगने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा निवेदन है कि आप लोग चलिए, आज नियम–56 है, नियम–56 में कानून–व्यवस्था पर भी चर्चा है, उसमें आप अपनी बात रखें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। पांच सौ लोग घायल हुए है और 33 हत्यायें हुई हैं। वह कौन सा दिन आयेगा मान्यवर, जिस दिन इस देश की जनता चैन से सो सकेगी।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थानों पर चलिए, प्रश्न–प्रहर तो होने दीजिए।

प्रदेश में अतिवृष्टि से किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने का प्रकरण

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है मान्यवर। (वेल से)

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गई है। आपका प्रश्न लिया गया है, जब नियम–56 आएगा, तो उसमें अपनी बात कहें। आपने ओलावृष्टि पर दिया है, उस पर आप बोलिएगा। जब आपका स्वीकार हो गया है तब फिर आपको यह करने की क्या जरूरत है ?

श्रीमती कृष्णा पासवान–

माननीय अध्यक्ष जी, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या करके उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा गया एक महीने से हर दूसरे, तीसरे दिन हत्या की घटनाएं हो रही हैं, यह स्थिति है प्रदेश में कानून–व्यवस्था की।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष, जी किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। प्रदेश में किसानों की यह स्थिति है और सदन में कृषि मंत्री उपस्थित नहीं है, उनका इस पर वक्तव्य आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मंत्रियों की तो ज्वाइंट रिसपॉन्सबिलिटी है। संसदीय कार्य मंत्री हैं और भी मंत्री है, कोई भी मंत्री बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मन बनाकर आये हो कि हमें यही करना है, तब कोई बात नहीं है, नहीं तो चलिए आप लोग अपनी सीटों पर बैठिए।

श्री सतीश महाना–

ख ग ग ग , (वेल से)

श्री अध्यक्ष–

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप अपनी जगह से कहिए, यह सब लिखा नहीं जायेगा और न कार्यवाही का अंग माना जायेगा। आप चाहे जितना बोलिए यह न कार्यवाही का अंग होगा और न ही लिखा जायेगा। आप यही बात वहां पर अपनी सीट से कहिए। आपके नेता अपनी सीट से बोल रहे हैं। आप डिप्टी नेता हैं, आप यहां से बोल रहे हैं। एक ही व्यक्ति बोले, चाहे आप बोलें, चाहे वह बोलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह ठीक नहीं है। मान्यवर, जनता में आक्रोश है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। जनता आक्रोशित है, जनता उद्वेलित है। मान्यवर, 500 लोग घायल हुए हैं और 33 लोग प्रदेश के अंदर मारे गए हैं। आखिरकार वह कौन–सा दिन आएगा, जब प्रदेश की जनता चैन की सांस लेगी। प्रदेश की जनता चैन से सो सकेगी। प्रदेश की जनता चैन से रह सकेगी। 622 घटनायें पुलिस वालों के खिलाफ मान्यवर, इस सरकार के कार्यकाल में हुई हैं। यह सरकार अपने आप में कानून–व्यवस्था का इतिहास बनाने में तुली है। मान्यवर, हम इस पर आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आप के लोगों ने भी दिया है कानून–व्यवस्था पर और नेता विरोधी दल ने भी दिया है। आपने ओलावृष्टि पर दिया है और किसानों की स्थिति पर लिखकर दिया है और सभी दलों की तरफ से भी आया है। जब नियम–56 आएगा तो उसमें आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। अभी प्रश्न प्रहर चलने दीजिए आप ही की पार्टी का पहला सवाल है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आपको सवाल नहीं सुनना है क्या ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि सब नियमों को हटाकर इस पर चर्चा कराई जाए।

(श्री सतीश महाना द्वारा वेल से अपनी बात रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा, चाहे जितना बोलो और न ही कार्यवाही का अंग बनेगा। अब आप लोग अपनी जगहों पर चलिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, 3 तारीख को यह इश्यू आया था। 3 तारीख को यह इश्यू हमारे नेता द्वारा सदन में लाया गया था। 3 तारीख से मान्यवर आज 9 तारीख हो गई है। इन 6 दिनों के अन्तर्गत सरकार को क्या करना चाहिए था ? मान्यवर, सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करना चाहिए था लेकिन न तो किसानों को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर सरकार का वक्तव्य आ जाए तो हम लोग यहां से चले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष–

बैठिए, अब हो गया, अब किसान भक्ति तो आपकी आ गई है। अब आप लोग चलें अपनी सीटों पर। माननीय वाजपेयी जी आप अध्यक्ष हो, यह जब नियम–56 में आप लोगों ने दिया है और आपको हमने सुनने के लिए कह भी दिया है तब फिर यह सब क्या है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि इसको प्राथमिकता पर ले लिया जाये। सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसनों पर चलिये। नियम–56 पर जब आपकी सूचना आयेगी तब अपनी बात कहियेगा। नियम–56 पर सुनने के लिये मैंने इसको स्वीकार किया है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, हमें भी सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आज किसान आत्महत्यायें कर रहा हैं ओलावृष्टि से उसकी फसलें तबाह हो रही हैं इस पर पहले चर्चा करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे निवेदन है कि पहले आप लोग अपने आसनों पर चलिये।

(सदन के वेल में बैठे भाजपा के सदस्य किसान विरोधी सरकार के नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्नकाल चलने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस सरकार को फुर्सत नहीं है कि वह किसानों से इस बारे में वार्ता करे और उन्हें मुआवजा दे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, दरअसल यह आपका योजनाबद्ध है क्योंकि पार्लियामेंट में आज किसान विरोधी बिल पेश होना है। उससे यह तय होगा कि भारत की सरकार किसानों की कितनी हितैषी है और कितनी दुश्मन है। दरअसल उस खबर को दबाने के लिये यह आज यहां कर रहे हैं। यह किसान विरोधी खुद हैं। आज दिल्ली की पार्लियमेंट में किसान विरोधी बिल पेश हो रहा है। यह इनके घड़ियाली आंसू हैं यह किसानों के लिये क्या सोचेंगे। यह पूंजीपतियों को उनकी जमीनें देने जा रहे हैं यह किसानों को गरीबों को भूखा मारने के लिये तैयारी कर रहे हैं। मान्यवर, यह इस बात की घोषणा करें कि आज पार्लियमेंट में लोक सभा में जो किसान विरोधी लैण्ड एक्वीजिशन संबंधी बिल पेश हो रहा है उसकी यह मुखालिफत करते हैं। फिर यह डिस्कस करें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसनों पर चलिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अगर यह किसानों की बात करते हैं तो कहें कि यह पार्लियमेंट में जो बिल पेश होने वाला है उसका यह पूरी तरह से विरोध करते हैं। आप गरीबों की जमीनों

को किसानों की जमीनों को पूंजीपतियों को देने जा रहे हैं। आप बतायें कि आप उस बिल के समर्थक हैं या विरोधी हैं। अगर आप उस बिल के विरोधी हैं तो आप यह कहें कि आप उस बिल की मुखालिफत करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नत्थी 'ख' का तारांकित प्रश्न संख्या–1 लेता हूं। माननीय मनीष असीजा जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप इस पर पीठ से निर्देश दे दें, चर्चा हो जाये, वक्तव्य आ जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, क्या यह सच नहीं है कि आज जो लोकसभा में बिल पेश हो रहा है वह किसान विरोधी और गरीब विरोधी है ? मान्यवर, अडानी जैसे पूंजीपतियों को और भू–माफियों को यह जमीनें देने जा रहे हैं। यह एक तरह से षडयंत्र है क्या यह सच नहीं है ? अगर यह सच है तो आप कह दें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों को अपनी बात को कहने का आगे अवसर मिलेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कह दे कि आज जो बिल लोकसभा में पेश हो रहा है वह गरीबों का, किसानों का विरोधी बिल नहीं है, अडानी को जमीने देने का कोई प्रपोजल नहीं है, भू–माफियाओं को जमीने देने का विचार नहीं है, कह दें। (घोर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 9 किसान आत्महत्या कर चुके हैं उसका इनके पास जवाब नहीं है, कानून व्यवस्था का जवाब नहीं है। इनको मान्यवर, दिल्ली भिजवा दीजिए।

(नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने के मध्य)

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है ।

श्री अध्यक्ष–

रुक जाओ अभी, अब प्रश्न ले लिया इसमें क्या जरूरी बात। यह कोई बाजार है कि जब जरूरी बात कहना हो तभी खड़े हो जाओ।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, मैं विधान सभा सत्र में भाग लेने के लिए आ रहा हूं वहां पर बाढ़ के कटान से जो चेके आई हैं वह बटनी है तो हमें विधान सभा अटेण्ड करना जरूरी है न

कि चेक वितरण समारोह में जाना तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह कार्यक्रम स्थगित करवा दें जब तक विधान सभा चलती है। (घोर व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

ख11.18 बजे, तारांकित प्रश्न

01–श्री नदीम जावेद–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में पात्रता रखने वाली महिलाओं को विधवा पेंशन का अधिकार प्रदान किया जाना

'1–श्री मनीष असीजा–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को विधवा पेंशन का अधिकार प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण एवं संस्कृति मंत्री (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)–

पात्रता रखने वाली महिलाओं को विधवा पेंशन का अधिकार प्रदान किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था विद्यमान शासनादेश में नहीं है। बल्कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाली पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्रता के आधार पर पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, आपके माध्यम से एक संवेदनशील प्रश्न पर अपनी बात रख रहा हूं और यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि महिलाओं से संबंधित कल विश्व महिला दिवस था और आज एक महिला मंत्री के द्वारा ही इस संवेदनशील प्रश्न का उत्तर दिया गया है मैं समझता हूं कि हाउस के प्रत्येक सदस्य को इस जमीनी हकीकत से वास्ता पड़ता होगा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसी विधवा बहने हैं जो पात्रता की श्रेणी में होने के बावजूद पेंशन नहीं पा पाती है। निराश्रित होना, विधवा होना और आज के समय में एक ऐसी सरकारी योजना जिसका उन्हें लाभ मिल सकता है वह न मिल पाना हम सबके लिए सामूहिक कष्ट का विषय है। मैं एक सीधा प्रश्न आपसे पूछता हूं उसके बाद अध्यक्ष जी की अनुमति से एक दो अनुपूरक पूछुंगा। क्या सरकार प्रदेश की प्रत्येक निराश्रित विधवा बहन को पेंशन देना सुनिश्चित करायेगी या सरकार अपनी प्राथमिकता में रखते हुए सुनिश्चित करायेगी ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

मान्यवर, प्रदेश में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को रुपये 300 प्रतिमाह की धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष–

आपका सवाल यह है कि क्या सरकार प्रत्येक विधवा निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने की व्यवस्था करेगी।

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा 17 लाख 25 हजार 559 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है। उक्त के सापेक्ष में 16 लाख 86 हजार 633 लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की जाती है।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, आपके इस कार्य के लिए आपको धन्यवाद पर आप हमारे प्रश्न का भाव समझ लें यह हम सबके लिए हम सबके क्षेत्रों के लिए समस्या है जितना आप दे रही है जो बट पा रही है एक चीज हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में विधवा ऐसी बहने हैं जो पात्र होने के बावजूद पेंशन नहीं ले पा रही है तो क्या आप इस विभाग के मंत्री होने के नाते यह संकल्पबद्धता अगर प्रकट करेंगी तो सरकार का पूरे प्रदेश भर में संदेश जायेगा कि एक ऐसे वर्ग की बहनें जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के कारण और जिनके पति की डेथ हो गई है, उन सबको सरकार की तरफ से पेंशन देना सुनिश्चित करेंगे ? अगर यह आप आश्वासन दे दें, तो सरकार के लिए बड़ा काम हो जायेगा और प्रदेश की विधवा बहनों के लिए भी बड़ा काम हो जायेगा।

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूं कि पात्रता के आधार पर हम लोग पेंशन दे रहे हैं। हम लोग पी0एफ0एम0एस0 के द्वारा जॉच करवा रहे हैं। इसमें सम्पूर्ण रूप से 17,12,577 पेंशन मिल रही हैं। उसमें पी0एफ0एम0एस0 एक अपलोड है 15,28,684 और उसमें से 2,41,092 रिजेक्ट किया गया है। इसका कारण एकाउण्ट नम्बर त्रुटिपूर्ण होना है। जिन महिलाओं को पेंशन मिल रही है उनकी हम लोगों ने जांच कराई है उसमें बैंक के आई0एफ0एस0सी0 कोड की त्रुटिपूर्ण इन्ट्री, लाभार्थियों के नाम में त्रुटि आदि की कमी पाई गई हैं। इन सभी त्रुटियों को हम लोग डी0पी0ओ0 के द्वारा पृथक–पृथक जिलों में ठीक करवा रहे हैं। अभी तक पूर्ण रूप से लगभग 07 लाख लाभार्थियों के खाते ही सही पाये गये हैं, इसलिये सभी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आपने यह प्रश्न किया कि क्या सभी को मिल पायेगा ? तो हम लोगों ने जो जांच करवाई है उनमें बहुत सारी महिलायें रिजेक्ट हैं अगर उनकी जगह पर आप हमको नाम दे दीजियेगा, तो हम उन्हें पेंशन दे देंगे।

(श्री इन्द्रजीत सरोज तथा विपक्ष के कई माननीय सदस्यगणों के अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले एक अनुपूरक प्रश्न श्री असीजा जी को पूछ लेने दीजिये, उन्हीं का प्रश्न है।

श्री मनीष असीजा–

माननीय मंत्री जी जो इस छमाही का पैसा आप डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर कर रही हैं यह बहुत ठीक बात है, क्योंकि अनेक जगह पर मध्यस्थों के कारण से या ऐसे लोगों के कारण से फर्जी एकाउंट खुल जाते हैं और कई जगहों पर लाभार्थी की भी भावना होती है कि उसे दो–दो जगह से मिले, यह अलग बात है कि वह पकड़ में आ जाती है। अब मैं आपके विभाग का एक और भाग बताता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं। इस बार आपको केन्द्र सरकार से पांच लाख का लक्ष्य और मिला है। दूसरा पहले केन्द्र सरकार आपको दो सौ रुपया देती थी और राज्यांश सौ रुपया होता था, दो सौ रुपये में सौ रुपये मिलाकर प्रदेश सरकार तीन सौ रुपये देती थी। इस प्रकार दो तरह से इन विधवा बहनों का कल्याण करने के लिए समुचित कोष का प्रबन्ध हो रहा है। एक तो पांच लाख का लक्ष्य बढ़ गया और दूसरा दो सौ की जगह पूरा तीन सौ केन्द्र सरकार दे रही है। इस बचे हुये पैसे का सदुपयोग कीजिये। आज की मंहगाई के समय में तीन सौ रूपया महीना क्या होता है। माननीय मंत्री जी क्या आप पेंशन बढ़ाने पर भी विचार करेंगी ? कृपया इस पर सहानुभूतिपूर्वक उत्तर दें जिससे प्रदेश की विधवा बहनों का कल्याण हो सके।

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक एकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 558033 को जोड़ते हुए कुल भौतिक लक्ष्य 2287293 निर्धारित है और जब भारत सरकार की तरफ से पहल होगी तो प्रदेश सरकार भी लक्ष्य बढ़ाने पर विचार करेगी।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह आ चुका है।

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी का पूरा उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक आया नहीं है। जैसे आयेगा तो हम लोग विचार कर लेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, असीजा जी ने एक बहुत ही भावनात्मक तरीके से प्रश्न रखा है और यह भी कहा है कि तीन सौ रूपये में क्या होता है। इसी को अगर हम मान लें कि तीन सौ रुपये में क्या होता है तो यहां से भी एक पत्र चला जायेगा, प्रदेश सरकार से भी पत्र चला जायेगा, माननीय मंत्री जी भी पत्र भेज देगी और भारत सरकार से भी हम यह अपेक्षा करें कि ''अच्छे दिन'' जब आये हैं तो तीन सौ रुपये को कम से कम तेरह सौ तो करेंगे, वरना कैसे अच्छे दिन आयेंगे ? दो सौ से तीन सौ रुपया करके अच्छे दिन आयेंगे ? बस। हर व्यक्ति के खाते में बीस लाख रुपया, दो करोड़ नौकरियां, चौबीस घण्टे बिजली और मिला क्या बस दो सौ का तीन सौ रुपया, ऐसे अच्छे दिन नहीं

आयेंगे। मैं असीजा जी से कहूंगा, क्योंकि यह बहुत संजीदा सदस्य हैं, बहुत प्यारे सदस्य हैं और उधर अच्छे भी नहीं लगते हैं। मैं उनसे यह अपेक्षा करूंगा कि वह भारत सरकार से सिफारिश करें कि अच्छे दिनों का लक्ष्य मात्र सौ रूपये नहीं होता।

(श्री मनीष असीजा एवं कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

असीजा जी, माननीय मंत्री जी जवाब दे चुकी हैं। आपके दो सवाल हो गये, अब सरोज जी को पूछ लेने दीजिये।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, पांच लाख का लक्ष्य बढ़ जाना और दो सौ रुपये से बढ़कर तीन सौ रुपये हो जाना एक ऐसा कदम तो है कि जिसके बाद राज्य सरकार भी एक कदम आगे चले। केन्द्र सरकार में सालों से जो परिस्थितियां थी उसमें सुधार किया है और पहले जो चार लाख चौसठ हजार केन्द्र का लक्ष्य था उसको दूने से ज्यादा बढ़ाया है। एक दूने से ऊपर लक्ष्य देना और एक राशि को बढ़ाना और मेरी तो यही सरकार से अपेक्षा है कि विधवा बहनों के लिये यह सरकार पहल करे जिससे प्रदेश की विधवा बहनों को लाभ मिल सके ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बैठिये, मैनें सरोज जी को बुला लिया है।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, मेरा सीधा सा सवाल है कि वर्ष 2007 में जब सुश्री बहन मायावती जी की सरकार बनी थी, उस समय पेंशन बढ़ाई गयी थी और 300 रुपये की गयी थी और जैसा मनीष असीजा जी ने बताया, यह सही है कि इसमें 200 भारत सरकार का और 100 राज्य सरकार का है। इसमें माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि क्या भारत सरकार की तरह राज्य सरकार भी अपना 200 रुपये का हिस्सा देगी तो उन्होंने मना कर दिया, यह इनकी आपस की झंझट है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जब निराश्रित महिलाओं को उत्तर प्रदेश में, जिन्हें हमारे भाई दूसरी भाषा के रूप में कहते हैं, हालांकि विधान सभा में निराश्रित महिला, ऐसा नहीं कहना चाहिये, इस रूप में जब सबको पेंशन नहीं मिल पा रही थी तो तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी ने महामाया पेंशन योजना शुरू की थी, जिसमें महिला लाभार्थी को उन्होंने पात्र बनाया था, उसके बाद सरकार बदलते ही रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना कर दी गयी, वह भी अच्छा नहीं लगा तो समाजवादी पेंशन कर दी गयी । मेरा एक सीधा सा सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी यहां पर यह बतायेंगी कि जिन निराश्रित महिलाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही है, लक्ष्य नहीं बढ़ाया जा रहा है तो क्या उनके संबंध में सरकार कोई ऐसा शासनादेश जारी करेगी कि उन महिलाओं को समाजवादी पेंशन में एडजस्ट कर लिया जाय, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिये 5 लाख 58 हजार 733 हम लोगों ने लक्ष्य बढ़ाया है और समाजवादी पेंशन तो मिल ही रही है।

15 मार्च, 2012 से सितम्बर, 2014 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पुलिस कर्मियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये हमलों की संख्या घटनाओं में संलिप्त पाये गये अभियुक्तों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

'02–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 मार्च, 2012 से सितम्बर, 2014 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पुलिस कर्मियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये हमलों की कितनी घटनायें प्रकाश में आयी हैं, उनमें से कितनी घटनाओं पर प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा कितने लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि इटावा, औरैया, सहारनपुर, ज्योतिबाफुले नगर, आगरा तथा लखनऊ के थानों के दरोगा, सिपाहियों पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया ? यदि हां, तो इनमें दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में दिनांक 15 मार्च, 2012 से सितम्बर, 2014 तक पुलिस कर्मियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये हमलों की कुल 622 घटनाएं प्रकाश में आयी हैं। सभी 622 घटनाओं पर प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा 3936 लोगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

जी हां।

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध घटनाओं में संलिप्त पाये गये अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार उचित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी और किसी मामले में इस सरकार ने रिकार्ड बनाया हो या न बनाया हो लेकिन आप प्रश्न का उत्तर देख लें पिछले 3 साल में 622 ऐसी घटनायें हुयी और मैंने जिन–जिन जिलों का पूछा था उसमें भी सरकार ने कहा है जी हां। यह अपने आप में सरकार का कीर्तिमान है। यही इस सरकार की पालिसी का द्योतक है कि सरकार क्या चाहती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो सवाल पूछना चाहता हूं। नं0 एक कि जब पुलिस का यह हाल है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिये 1090 मिलाओ या और कोई हेल्पलाइन नम्बर मिलाओं, जब पुलिस की इतनी मार हो रही है, सिपाही से लेकर सी0ओ0 तक सुरक्षित नहीं है तो वह दूसरों की क्या सुरक्षा करेगी। दूसरा सवाल, कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्या सरकार इसको रोकेगी। तीसरा और अन्तिम सवाल मान्यवर, कि इन घटनाओं में समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता इन्वाल्व है, यह बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, क्योंकि केसेज पंजीकृत हुये हैं और बिल्कुल ईमानदारी से किये गये हैं, ऐसा नहीं है कि किसी केस को दबाया गया हो या छुपाया गया हो और जब तक सही सूरते हाल हमारे सामने नहीं होगी और इस तरह के क्राइम्स की और क्राइम करने वालों की तादाद नहीं होगी तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। कोशिश की जा रही है कि इसको रोका और कम से कम किया जाए, और भी कड़ी कार्रवाई करेंगे।

नेता विरोधी दल(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) –

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा है कि कुल हमलों की संख्या 622 है। इन 622 घटनाओं में से कितने ऐसे हमले हैं जिसमें पुलिसकर्मियों को जान गंवानी पड़ी और उन हत्यारों की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ऐसे क्राइम जिसमें इस तरह की कोई बात हो, कत्ल जैसा क्राइम, तो उसमें गिरफ्तार न होने, जेल न जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष की जिज्ञासा बिल्कुल सही है क्योंकि आपके जमाने में केसेज दर्ज ही नहीं किये जाते थे तो ग्राफ बहुत नीचे रहता था लेकिन अब केसेज बहुत दर्ज होते हैं और मुजरिमों के नाम सामने आते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मान्यवर, हमने पूछा था कि 622 हमलों में कितने ऐसे हमले हैं जिसमें पुलिस कर्मियों को अपनी जान गॅवानी पड़ी, इसका उत्तर नहीं आया। मैंने बहुत छोटा सा प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर सीधे न दे करके लीपा–पोती करने का रवैया अपनाकर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार को बचा नहीं सकते हैं बल्कि इससे और सरकार कटघरे में खड़ी होती है। यदि आप सीधे–सीधे उत्तर देते तो सरकार भी बचती, तो हम चाहेंगे कि इसका उत्तर आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या इसकी सूचना आपके पास है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमदर्दी के लिए बहुत–बहुत शुक्रिया। इस हमदर्दी से कम से कम यह लाभ तो हुआ, उम्मीद बनी कि अगली सरकार हम ही बनायेंगे। मैं इसकी सूचना आपको भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

सूचना उपलब्ध नहीं है इसे दिला देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है और मैं पहले भी यहां पर आरोप लगाता रहा हूं कि आज कानून के रखवाले सुरक्षित नहीं हैं, दो सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी अब तक गोली के शिकार हुए, मौत के घाट उतारे गये और यह सरकार जब कानून के रखवालों की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो प्रदेश की जनता की सुरक्षा कैसे

करेगी। इस सरकार के ख्गगग, के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल सही है। मान्यवर, जब कोई सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी और अपराधियों को संरक्षण नहीं देगी और पुलिस जान की बाजी लगाकर ऐसे अपराधों को रोकने की कोशिश करेगी तो जाहिर है कि इसमें जान भी गंवानी पड़ेगी। बजाय इसके कि नेता प्रतिपक्ष उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई हो, उनके लिए हमदर्दी का इजहार करते और सरकार से यह कहते कि और ऐसे प्रभावी कदम होने चाहिए कि मुजरिम ज्यादा से ज्यादा पकड़े जाएं और उन लोगों को शाबाशी देना चाहिए था उनके परिवारों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए थी। सिर्फ राजनैतिक निगाह से देखकर वाकआउट कर देना ऐसे शहीदों का अपमान करना है, हम इसकी निन्दा करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक दिन मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जेड श्रेणी की सिक्योरिटी के लिए इसी हाउस में कहा था। अब मैं समझ गया कि वह जेड श्रेणी की सिक्योरिटी क्यों मांग रहे थे। मान्यवर, इस सरकार के माध्यम से पुलिस का बहुत ज्यादा राजनीतिकरण कर दिया गया और ज्यादातर मामले पुलिस पर हमले के हैं। हम उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी बजाते हुए, अपनी ड्यूटी में रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है लेकिन इसमें ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया है। हमारा सीधा आरोप है कि बिना राजनैतिक संरक्षण के पुलिस पर हमला नहीं होता। यह सरकार पूरी तरीके से कानून–व्यवस्था को बनाये रखने में अक्षम है, अपनी पुलिस को बचाने में अक्षम है और सरकार का यह उत्तर समुचित नहीं है इसलिए मान्यवर भारतीय जनता पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बिल्कुल सत्य नहीं है, अगर राजनीतिक दलों के आधार पर देखा जायेगा तो हो सकता है भा0ज0पा0 के लोग भी निकलें लेकिन क्योंकि राजनीतिक चश्में से यह नहीं देखा जाता है, अपराधी किसी भी दल का हो वह अपराधी है, तो हो सकता है कि भा0ज0पा0 के हमारे साथी इसलिए चले गये हों कि कहीं मेरे पास दलगत लिस्ट न हो, लेकिन मैं वह नहीं बताऊंगा।

'03–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

नोटः–ख्गगग,यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

'04– श्री सतीश महाना–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महिला उत्पीड़न से संबंधित मुकदमों की शीघ्र सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किये जाने विषयक

'05– श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महिला उत्पीड़न से संबंधित मुकदमों की शीघ्र सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जां हां, प्रदेश में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामला की शीघ्र सुनवाई हेतु 80 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में 80 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर दी गयी, कितने जनपद शेष हैं जहां अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं की गयी हैं और कितने केसेज इन फास्ट ट्रैक कोर्टों में अब तक स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 01 सितम्बर, 2014 को यह फास्ट ट्रैक कोर्ट 01 साल के लिए बनी थी, एक साल के लिए इसकी मुद्दत 28–02–2015 तक के लिए बढ़ा दी गयी है, सम्भावना है आगे भी बढ़ेगी। सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट है और तेजी से मुकदमों का निस्तारण हो रहा है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ ऐसे बड़े जनपद हैं और एक–आध का उदाहरण मैं दे सकता हूं उन जनपदों में 500 से 700 पेंडिंग केसेज हैं, ऐसे बड़े जनपदों में जहां मुकदमों की भरमार है वहॉ फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या माननीय मंत्री जी बढ़ाने का प्रयास करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस पर अवश्य विचार करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार यह कह रही है कि 80 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कर दी गयी है और उनमें बहुत तेजी से काम हो रहा है तो सरकार यह बताने की स्थिति में होगी कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना के बाद जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न के

केसेज हैं उनमें कितनी कमी आयी है और वास्तव में कितने मुकदमों के फैसले हुए है और अपराध पर इसका क्या असर पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपके पास इसकी सूचना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सूचना नहीं है, मैं यह सूचना माननीय सदस्य को पहुँचा दूँगा।

प्रदेश में व्याप्त व्यापक बिजली संकट से जनता को राहत देने हेतु विद्युत उत्पादन की सरकारी कार्य योजना

'06–डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्याप्त व्यापक बिजली संकट से जनता को राहत देने के लिये क्या सरकार बिजली उत्पादन के अन्य विकल्प जैसे कूड़े से बिजली के उत्पादन के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां।

प्रदेश में कूड़े से बिजली उत्पादन की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देशय से निम्न नीतिगत कार्यवाही की जा रही है/की गयी है:–

(1) नगर विकास विभाग के पहल पर उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा कूड़े से बिजली उत्पाद की परियोजनाओं हेतु पृथक से टैरिफ निर्धारित कर दिया गया है।

(2) नगर विकास विभाग के पहल पर यू0पी0 नेडा को सौर ऊर्जा नीति की भांति कूड़े से बिजली उत्पादन हेतु नीति निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया है, जिस पर उक्त विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(3) प्रदेश सरकार द्वारा कूड़े से बिजली उत्पादन हेतु उपादेयता (फिजिबिल्टी) के आधार पर कूड़े से बिजली उत्पादन की परियोजनाएं स्थापित किये जाने की सम्भावनाओं का अध्ययन कर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार कूड़े से बिजली उत्पादन की परियोजनाओं पर गम्भीरता से प्रयास करे और उन परियोजनाओं को लगाये तो प्रदेश में रहने वाले लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकती है। मान्यवर, 2003 में हरदोई रोड पर एक चेन्नई बेस्ड कम्पनी द्वारा एक परियोजना की शुरूआत की गयी लेकिन वह परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई। अध्यक्ष जी, 2013 में माननीय मंत्री जी के समक्ष यू0एस0 बेस्ड कम्पनी ने पॉवर प्रोजेक्शन किया और माननीय मंत्री जी ने उसकी सराहना भी की, लेकिन सरकार का जो जवाब आया उससे लगता नहीं कि सरकार द्वारा इन दो सालों

में कोई गम्भीर प्रयास किये गये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के महानगरों का अध्ययन करवा रही है, फिजिबिल्टी रिपोर्ट बनवा रही है कि कहां–कहां कूड़े पर आधारित परियोजनायें लगायी जा सकती हैं ? वह कौन–कौन से महानगर हैं क्या हमारा आगरा भी उसमें सम्मिलित है ? दूसरा, सरकार ने जवाब दिया है कि सरकार एक नीति बना रही है, उस नीति की अद्यतन स्थिति क्या है ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बहुत गम्भीर प्रश्न है। केवल यही नहीं है कि इससे हमें बिजली मिलेगी बल्कि उससे बड़ा एक सवाल यह है कि हमारे यहां जो कूड़ा है वह इतनी ज्यादा मात्रा में है कि उससे बड़ी बीमारियां फैलने का भी अंदेशा होता है। अब शहरों में ट्रचिंग ग्राउण्ड नहीं रह गए या तो दूसरे कामों में आ गये या लोगों के नाजायज कब्जे हुए वह सख्ती से हटाने की कोशिश भी है हटवाए भी हैं। मान्यवर बेशुमार कूड़ा है और सड़कों के दोनों तरफ मजबूरन उसे डाला जाता है अक्सर आप सड़क से गुजरते होंगे नेशनल हाइवेज के किनारे तक कूड़ा है। यह झगड़ों का कारण भी है क्योंकि किसी की जमीन में आप कूड़ा डाल दें तो जाहिर है कि वह उसे नापसन्द करेगा तो कई ऐतबार से स्वास्थ्य के ऐतबार से हमारे पास जगह की कमी है कूड़ा कहां ले जाएं इसके अलावा क्योंकि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है उनके इस्तेमाल की चीजें और उसका वेस्ट भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए यह बहुत ज्यादा परेशानी का बायस है मान्यवर, पिछली समाजवादी सरकार में भी मैं बहुत कोशिश में था इस बात की कि किसी तरह कूड़े से बिजली बनाने वाले कारखाने बनें कूड़े का निस्तारण भी हो और जितनी बिजली हमें मिल सके कम ही सही चाहे एक मुहल्ले के लिए ही मिल सके, हमें मिले यह कोशिश जारी थी। और इस बार भी सरकार में आने के पहले दिन से यह कोशिश जारी है बहुत सी कम्पनीज से बात की उन लोगों को बुलवाया लेकिन सिर्फ जमीन देकर जमीन पर कब्जा करा देने के मैं पक्ष में नहीं हूं कई कम्पनीज ने अपना डिमान्स्ट्रेशन किया लेकिन ज्यादातर ऐसी कम्पनीज हैं जो लगता यह है कि बिजली बना नहीं पाएंगी और वेस्ट के बारे में भी उनकी बहुत सी शर्तें हैं जो हम पूरा नहीं कर सकेंगे एक कम्पनी ब्रिटिश कम्पनी आई जिसने यह कहा कि वह शत प्रतिशत कूड़े को बर्न करेंगे उनमें कोई वेस्ट नहीं होगा वरना तो पत्थर रोड़ा अलग किया जाता है और लोहा अलग होगा अब अलग किस्म के कूड़े हैं छोटे शहरों का कूड़ा उनके काम का नहीं है बड़े शहरों का कूड़ा ज्यादा काम का है मान्यवर, मेरे विभाग में कूड़े से बिजली बनाने का कारखाना टाप नहीं टापेस्ट प्रायरिटी पर है और मैं बहुत कोशिश में लगा हूं जिन्दल ग्रुप से भी हमने बात की क्योंकि उनका एक कारखाना बहुत अच्छा चल रहा है मैं उसे देखकर भी आया था और एक साल से ज्यादा हो गया है उनसे इस बात की कोशिश करते हुए कि वह इसे शुरू करें वह शायद शुरू करने की पोजीशन में आ सकते हैं और बहुत हद तक बात बढ़ गई है। मैंने जितनी भी कम्पनीज आती हैं मैं कल किसी वजह से बम्बई गया हुआ था वहां भी कुछ कम्पनीज के लोग मिलने आए हुए थे इटेलियन कम्पनीज वगैरह थीं सबको

मालूम है कि मैं बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं लिहाजा कम्पनीज खुद कांटेक्ट करती हैं उन लोगों ने भी मुझे अपने लैपटाप पर वह कारखाने दिखाए और उन्होंने इस बात की दावत दी कि आप आइए हम आपको यह चलते हुए दिखाएंगे क्योंकि मैंने कहा कि मैं सिर्फ इसे आपके लैपटाप पर या आपके यह कहने से कि ऐसा आप करेंगे इस पर भरोसा नहीं करूंगा हमें आप दिखाइए दो किस्म के कारखाने हैं एक तो आपके वेस्ट से गैस बनाएंगे या लिक्विड बनाएंगे दूसरे वह होंगे जो टरबाइन्स लगाकर बिजली बनाएंगे हमारी शर्त उनसे यह रहती है कि हमें टरबाइन लगाकर आप बिजली दीजिए और हम अच्छा रेट देंगे जो दूसरों को देते हैं वही आपको कीमत देंगे। मान्यवर, उन्होंने हमसे कहा कि आप आइए हमने कहा कि हम बिल्कुल आएंगे सत्र बाद सरकार के खर्च पर उसके खर्च पर नहीं क्योंकि यह भी एक बड़ा सवाल है पिछले दिनों हम कुछ कम्पनीज की दावत पर जा रहे थे यहां अखबारों में बहुत कुछ निकल गया कि वह हमें ओब्लाइज कर रहे हैं लिहाजा यह भी एहतिहात बरती गई है कि हम जाएंगे तो सरकारी खर्च पर। मान्यवर, यह बहुत बड़ा यूनिट होगा और एक यूनिट भी अगर कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी समस्या का साल्यूशन निकल आएगा मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है शायद मैं अपने विभाग में बहुत कम चीजों पर इतना गौर दे रहा हूं जितना इस पर है। 500 टन जहां कूड़ा है वह काफी है यानी पांच सौ टन पर एक यूनिट चलाया जा सकता है रोज का और हमारे बड़े शहरों में 500 टन से ज्यादा है। मसलन आगरा का आपने जिक्र किया वहां 500 से कहीं ज्यादा है। लखनऊ में कहीं ज्यादा है। कानपुर में 2/3 कारखाने लग सकते हैं और हमने मान्यवर, इस तरह का पूरा चार्ट बना रखा है। मसलन गाजियाबाद में 1, मुजफ्फरनगर, सहारनुपर को मिलाकर 1, मेरठ के साथ किसी एक जिले को मिलाकर एक। अगर जमीन खरीद कर भी देना पड़े तो हम इसके लिये भी तैयार हो जायं कि हम उनको जमीन खरीद कर दे दें। मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या है, जितना हम इसे महसूस कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा है। बिजली मिले, यह अच्छी बात है। लेकिन कूड़े का निस्तारण फौरन हो मान्यवर, क्योंकि जो कूड़ा जमीन पर डाला जाता है और बारिश होती है उस कूड़े से जो जहर पानी के अंदर जाता है मान्यवर, इससे बहुत बीमारियां पैदा हो सकती हैं और होती हैं और यह बहुत बड़ी समस्या है। मान्यवर, मेरी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है और जिस दिन भी मुझे तिनका हाथ आ जायेगा मैं उम्मीद करता हूं कि एक कारखाना भी कामयाबी से लग गया तो हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि इन बचे हुए दो सालों में और भी बड़े शहरों में भी लगा सकें। हमने जिन्दल को भी टारगेट दिया है कि एक साल के अन्दर आप अपना यूनिट लगायेंगें। इस तरह से हमने पूरा चार्ट जिलों का बना रखा है। हम तो आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, इस सदन के हर साथी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनके पास कोई कम्पनी हो वो खुद लगाना चाहें, बहुत अच्छा काम है अगर कोआपरेटिव बेसिस पर हमारे साथी लोग किसी से टाई–अप करके किसी विदेशी कम्पनी से टाई–अप करके लगाना चाहें तो मान्यवर, उनका स्वागत हैं। हमें बहुत परेशानी है

और बहुत जरूरत है। कोई साथी भी किसी भी कम्पनी से हमारा करार करा दे तो हम उनको दावत देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब तो सब आ गया, डाक्टर साहब।

डा0 धर्मपाल सिंह–

अध्यक्ष जी, आगरा के बारे में। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आगरा में तो माननीय मंत्री जी जरूर लगाने पर विचार करें।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

विचार ही नहीं करेंगे, मुझे आप कम्पनी ला दीजिये। आगरा में फाइनल, यहीं फाइनल। आपकी जिज्ञासा है और यकीनन आपकी जानकारी होगी आप किसी भी कम्पनी से हमारा करा दीजिये हम तो बहुत रिलैक्स शर्तों पर, आप हैरत करेंगे कितना संजीदगी से हम इस पर विचार कर रहे हैं। यह शर्त रखी है कम्पनी ने कि कूड़ा उठाकर लाकर आप देंगे। हमने उनकी मान ली लेकिन उसके बाद जब हमने समझाया कि देखो आज हम आपसे कहें कि हम कूड़ा उठाकर देंगे, दो, तीन, चार महीने बाद हम जानते हैं कि हमारी व्यवस्था में कितनी बीमारियां हैं। दो तीन महीने बाद हो सकता है कि नगर निगम के कर्मचारी या नागर निकायों के कर्मचारी बहाना बनाना शुरू कर दें कि गाड़ियां खराब हो गयीं, बीमार हो गये और आपको कूड़ा नहीं मिला। अगर आपको एक दिन भी कूड़ा नहीं मिला तो आपका प्लान्ट बन्द हो जायेगा। लिहाजा यह शर्त आप मत रखिये। हम आपके भले के लिये यह कह रहे हैं कि कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी भी आप लीजिये। उनके यह बात इतनी समझ में आयी कि इसे शर्त में शामिल किया गया कि कूड़ा हम नहीं देंगे, वह कूड़ा खुद लेकर जायेंगे। हम इस पर स्टडी कर रहे हैं। हम आपको दावत देते हैं कि अगर कोई भी ऐसी कम्पनी है, जो कूड़े से बिजली बनाने, खाद बनाने या वेस्ट को जलाने में हमारी मदद कर सके तो उसका स्वागत है।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया अब क्या है ?

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में जो पंछी ग्राउन्ड है वह ताजमहल के दूसरी साइड में एकदम सामने है और वहां पर कूड़ा निस्तारण के लिये आपने एक कम्पनी को दे रखा था वह भी कूड़ा निस्तारण नहीं कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर कूड़ा होने से बहुत से जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और वहां के आस पास के जो गांव हैं वह मेरी ही विधान सभा में है। कई लोगों को जानवरों ने काट लिया तो क्या माननीय मंत्री जी जो कम्पनी बीच में ही कूड़ा उठाना छोड़ गई है उससे दोबारा से करवायेंगे आगरा में।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर यह वही छोड़ गये हैं जिन्हें आप लाये थे। लूट के खा गये, ए टू जेड फ्राड। मान्यवर, हम कर रहे हैं कोशिश।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, केवल एक मिनट, केवल एक प्रश्न। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया था कि बिजली बनाने के साथ साथ हम इससे खाद बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। आई0बी0आर0आई0 खनसाल में एक कम्पनी ने कम्पोस्ट खाद बनाने के लिये गाय का स्वरूप बनाकर एक मशीन तैयार की गई है क्या ऐसी मशीनों को प्रोत्साहित करने के लिये, किसानों को देने के लिये इसमें कोई अनुदान की व्यवस्था सरकार कर रही है कि नहीं ?

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, हालांकि यह उससे बिल्कुल अलग बात है लेकिन जिन प्रोफेसर साहब की बात आप कर रहे हैं वह बहुत लर्नेड प्रोफेसर हैं और मान्यवर, ऐसा लगता है जैसे वह शख़्स अपनी स्कीमों के लिये बीमार है। इतना कमिटेड है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि यह हमारा काम नहीं है लेकिन जब रामपुर में सेमिनार कराया उनसे हमारी बात हुई तो मैंने कहा कि एक मशीन मुझे दे दीजिए मैं अपने यहां लगा लूं, मैं तो भैंसे पालता हूं। उनकी बहुत अच्छी स्कीम है और उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैंने मुख्य मंत्री जी से भी बात की थी कि आप उन्हें बुला लेंगे, अगर वह आएंगे तो सी0एम0 साहब से हम उनका डिस्कशन करायेंगे। बहुत अच्छी स्कीम है वह, आगरा की समस्या के बारे में आपका जल्दी निदान हो जाएगा और मैं यह कोशिश करूंगा कि दो–तीन जो कारखाने लगें कूड़े से बिजली बनाने वाले, उसमें आगरा को भी प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि आगरा इन्टरनेशनल सिटी है। हम पूरी कोशिश करेंगे।

ट्रेनों में पड़ने वाली डकैतियों, लूटपाट तथा चोरी आदि घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु वर्तमान नीति की जानकारी

'07–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु वर्तमान नीति के बावजूद राज्य सीमा के अन्तर्गत चलने वाली ट्रेनों में पड़ने वाली डकैतियों, लूटपाट तथा चोरी आदि घटनाओं की लगातार बढ़ोत्तरी पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रेनों में हो रही विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु सुरक्षा बल की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं, अंकुश लगाया गया है।

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये ट्रेनों में जी0आर0पी0 के द्वारा स्कोर्ट कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाती है। कतिपय ट्रेनों में आर0पी0एफ0 द्वारा स्कोर्ट लगाया जाता है। ट्रेनों की आकस्मिक चेकिंग कराकर संदिग्ध एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़

करायी जाती है। रेलवे स्टेशनों व विभिन्न ट्रेनों में हैण्डबिल/स्टीकर लगाकर व फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को सतर्क रहने हेतु सावधान किया जाता है। विभिन्न रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में अपराध कारित करने वाले अपराधियों का फोटो एलबम बनाया गया है, ताकि पीड़ित यात्रियों द्वारा तत्परता से पहचान करवाकर कार्यवाही की जा सके। जी0आर0पी0 उत्तर प्रदेश द्वारा ट्रेनों में ही पीड़ित व्यक्ति से प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर अभियुक्तों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही के उद्देश्य से कार्य योजना लागू करायी गयी है। इसके अतिरिक्त जी0आर0पी0, उत्तर प्रदेश द्वारा एस0एम0एस0 आई नामक कार्य योजना प्रारम्भ करायी गयी है, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति ट्रेन से ही फोन नं0–9454402544, 9454458064 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। रेलवे स्टेशनों पर आवागमन के समय ''लाउडहेलर'' व रेलवे के ''पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम'' के माध्यम से प्रसारण करते हुए यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने हेतु सतर्क किया जाता है। जी0आर0पी0 द्वारा अपराध नियंत्रक हेतु सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध समय–समय पर अभियान भी चलाया जाता है। ''सी0सी0टी0वी0'' कैमरे द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाती है तथा वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। सीमावर्ती प्रदेशों से भी अपराधियों के सम्बन्ध में सूचनाओं का आदान–प्रदान करके आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है। अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। उच्च अधिकारियों द्वारा ट्रेन व रेलवे स्टेशनों पर आकस्मिक चेकिंग की जा रही है। समय–समय पर उच्चाधिकारीगण द्वारा लगाई गई ड्यूटियों की चेकिंग की जाती है। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारीगण ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं या कर्तव्य के प्रति लापरवाह पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न सं0–07 पुकारे जाने एवं श्री नदीम जावेद के अनुपस्थित होने पर)

प्रदेश में साइबर क्राइम की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये साइबर क्राइम फोंरेसिक लैब की स्थापना

'08–श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साइबर क्राइम की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार ने क्या–क्या कदम उठाये हैं एवं विगत तीन वर्षों में प्रदेश में दर्ज साइबर क्राइम का ब्यौरा क्या है ? क्या प्रभावी परिणामों के लिये विशेषज्ञों का कोई स्पेशल दल या बल बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के साइबर क्राइम की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये प्रदेश के समस्त जनपदों में क्राइम ब्रांच की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत जघन्य अपराधों के

अतिरिक्त साइबर क्राइम से सम्बन्धित अपराधों की विवेचना की जाती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आई0टी0) से सम्बन्धित अपराधों के सफल अनावरण एवं विवेचनात्मक प्रगति हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों से अधिकारियों/कर्मचारियों को नई चरणों में विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। प्रदेश में विगत 03 वर्षों में साइबर क्राइम से सम्बन्धित मामलों का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	साइबर क्राइम के कुल मामले
2012	283
2013	613
2014	1452

प्रदेश में आई0टी0 ऐक्ट विषयक अपराधों के गुणवत्तापरक व सफल अनावरण हेतु प्रदेश के समस्त जोनल मुख्यालय पर एक–एक साइबर थाना स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। इसी प्रकार प्रदेश के समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स के अधीनस्थ साइबर क्राइम फोरेसिंक लैब की स्थापना हेतु भी कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो क्राइम का डाटा दिया गया है यह अपने आप में दर्शाता है कि साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ढाई सौ प्रतिशत की रफ्तार से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। इससे इसकी गम्भीरता और इसमें त्वरित कार्यवाही और एक्सपर्टीज की कितनी आवश्यकता है इसका सहज अन्दाजा लगाया जा सकता है। जवाब में बताया गया है कि –''एक–एक साइबर थाना स्थापित किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इसी प्रकार प्रदेश के समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स के अधीनस्थ साइबर क्राइम फोरेंसिक लैव की स्थापना हेतु भी कार्यवाही प्रचलित है।'' हमारे दो प्रश्न हैं पहला प्रश्न यह है कि साइबर थाना स्थापित करना और जोन्स पर साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है यह किसी महीने की किस तारीख तक पूर्ण हो जाएगी। दूसरा सवाल, या तो आंकड़ों में हो या प्रतिशत में हो, यह जो प्रतिवर्ष क्राइम रजिस्टर्ड हुए हैं इसमें कितने प्रतिशत या कितने क्राइम का अनावरण हुआ है। पहले राउन्ड में मेरे यह दो सवाल हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, यह सही है कि क्राइम बढ़ा है और 2013 से 2014 तक ढाई गुना क्राइम बढ़ा है। बढ़े का आंकड़ा तो अलग है, यह वह हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो पकड़ में आ गए हैं। मान्यवर, इसे पकड़ना आसान नहीं है। सिर्फ सदन की जानकारी के लिए इतना कहना चाहूंगा कि समाज इतने घटियापन पर उतरा हुआ है कि यह क्राइम इस स्तर का है कि न कोई शर्म, न कोई हया, इतनी बेहयाई और बेशर्मी का यह क्राइम हो

रहा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जो सरकार बहुत तत्परता से एकदम से दबाती है, पकड़ती है, अगर उन पर इतनी तेजी से काबू न हो तो बिल्कुल आग लग जाए तो बहुत गम्भीर प्रश्न है और इस पर कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई संजीदगी न हो। कोशिश में हैं कि साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए जितने भी जोन्स हैं उनमें एक–एक यूनिट और कायम हो जाए और इसका प्रस्ताव सरकार में है और हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रस्ताव जल्दी मंजूर हो जाएगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैंने प्रश्न यह किया था कि कितने प्रतिशत क्राइमों का अनावरण हुआ है ? हमनें तो तारीख पूछी थी आपने कहा कि जल्दी हो जायेगा। हम सरकार पर भरोसा करते हैं मतलब दो–तीन महीने या एक महीने। मा0 मंत्री जी ने गम्भीरता को स्वीकार किया है और यह शब्द प्रयोग किये हैं कि पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि साईबर क्राइम में इस तरह से क्राइम होते हैं जिसमें टेक्नॉलाजी का बहुत ज्यादा इन्वाल्वमेंट होता है। मेरे प्रश्न में यह है कि क्या यह अभी पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और क्या इसके लिये पुलिस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट अथवा सुपर एक्सपर्ट रखे जायेंगे ? मेरे दो प्रश्न हैं कि कितने प्रतिशत अनावरण हुआ है और आसान नहीं है पकड़ना को आसान बनाने के लिये क्या पुलिस डिपार्टमेंट में फारेंसिक एक्सपर्टस को भर्ती किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, दो यूनिटें तो काम कर रही हैं एक लखनऊ में और एक आगरा में। इसमें जो साइबर लैब होगी उसमें ऐसे ही एक्सपर्टस होंगे जो इस तलाश में रहेंगे कि कहां क्राइम हो रहा है और कहां क्राइम हुआ है। वह इसी के एक्सपर्टस होंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होगी उसमें कि इस क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके। उसका क्या टेक्निकल शेप होगा वह तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब साइबर लैब बनेगी तो उसमें ये सारी चीजें होंगी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि कितने प्रतिशत अनावरण हुये हैं, क्योंकि जो आंकड़े मिले हैं या तो वह संख्या बल पर हो या प्रतिशत हो तो इससे यह अंदाजा लग जायेगा कि कितनी कामयाबी मिल रही है। यह तो रजिस्टर्ड का आपने आंकड़ा दिया है। यह भी जानकारी मिलनी चाहिये कि कितने प्रतिशत हम इसमें कामयाबी पा रहे हैं अथवा कितने प्रतिशत हम कामयाबी के करीब पहुंच गये हैं। इससे हमें यह समझ में आयेगा कि हमें और कामयाबी के लिये कितनी आवश्यकता है। यह जानकारी बता दें तो बेहतर होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसकी सही जानकारी न होने की वजह यह है कि यह इस तरह का क्राइम है जिसमें पकड़ने के बाद भी बच निकलने के बहुत से रास्ते हैं। इसीलिये साइबर लैब्स को और कायम करने की कोशिश हो रही है। मेरे पास एक्जैक्ट आंकड़े नहीं हैं, लेकिन पूरी कोशिश जारी है। जब एक जोन में कम से कम एक साइबर लैब स्थापित हो जायेगी तो आंकड़ों में यकीनन कमी आयेगी। अब क्योंकि तरक्की का जमाना है,

आई0टी0 का जमाना है तो लोगों को इन चीजों को करने में बहुत आसानी है तो यह बहुत गम्भीर मामला है और इसे रोकने में सरकार बहुत संजीदा है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो साइबर सेल हैं वह मुकदमा दर्ज नहीं करती। जब कोई पीड़ित आदमी साइबर सेल जाता है तो साइबर सेल उसे उसी संबंधित थाने में वापस भेज देती है उस प्रक्रिया में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। अगर सरकार उन साइबर सेलों को भी थानों का दर्जा दे दे और मुकदमा लिखने की पावर दे दे तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें मुकदमा लिखने की पावर देगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यूं तो एडीशनल एस0पी0 को यह पावर दे दी गई है और इस तरह के मुकदमें दर्ज भी होते हैं अगर कहीं ऐसी शिकायत होगी तो उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न समाप्त हो गये हैं।

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या–8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर शहर में मोहल्ला देवेन्द्र पुरी में म0नं0–534 गजेन्द्र सिंह से हरपाल बालियान होते हुए गिन्नी देवी जूनियर हाई स्कूल तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण किया जाना

01–श्री सुदेश शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र–मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर शहर में मोहल्ला देवेन्द्र पुरी में क्वाटर सं0 जी0–534 राजेन्द्र सिंह से हरपाल बालियान होते हुये गिन्नी देवी जूनियर हाईस्कूल तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है तथा उक्त मार्ग पर पानी की निकासी की भी व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग एवं नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रस्तावित कार्य का आगणन तैयार कर लिया गया है। आंगणन का तकनीकी सत्यापन कराये जाने के उपरान्त स्वीकृति प्राप्त होने पर निविदायें आमंत्रित कर उक्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री केदारनाथ कुशवाहा (सेवानिवृत्त कैशियर) जोन–प्रथम, लालबाग, लखनऊ को सेलेक्शन ग्रेड/वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देकर वेतन निर्धारण कर भुगतान किये जाने विषयक पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

02–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित मा0 सदस्य डा0 रमेश चन्द्र बिन्द का पत्र दिनांक 15–01–2015 जो श्री केदारनाथ कुशवाहा (सेवा निवृत्त कैशियर) जोन–प्रथम, लालबाग, लखनऊ को सेलेक्शन ग्रेड/वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देकर वेतन निर्धारण कर भुगतान किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

श्री केदारनाथ कुशवाहा (सेवानिवृत्त कैशियर) जोन–प्रथम, लालबाग, लखनऊ का सेलेक्शन ग्रेड/वित्तीय स्तरोन्नयन लाभ का वेतन निर्धारण कर भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में बासन फैक्ट्री के बराबर से सैय्यद तक मनीष नगर बोदला में नाली व सी0सी0 रोड एवं छोटा गुरूद्वारा महर्षिपुरम फेस–1 के 9ए से 12 तक जर्जर सड़क का निर्माण किया जाना

03–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बासन फैक्ट्री के बराबर से सैय्यद तक मनीष नगर बोदला में नाली व सी0सी0 रोड एवं छोटा गुरूद्वारा महर्षिपुरम फेस–1 के 9ए से 12 तक लगभग 100 मीटर सी0सी0 रोड विगत कई वर्षों से जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व सी0सी0 सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

बासन फैक्ट्री श्री सोनू बघेल के मकान से श्री रामदास के मकान तक सड़क निर्माण कार्य हेतु एवं मनीष नगर बोदला में बासन फैक्ट्री से लेकर दिनेश के मकान तक इण्टरलाकिंग फर्श एवं नाली मरम्मत के कार्य का आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

महर्षिपुरम कालोनी फेस–1 आगरा नगर निगम को हस्तगत नहीं की गयी है। अतः उक्त कालोनी में विकास कार्य कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा के सुभाषपुरम बोदला में श्री भीखाराम के मकान नं0–85 से श्री धनीराम के मकान नं0–96 तक, श्री राजकुमार जैन की दुकान से श्री अचल बाल्मीकि आदि के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क, नाली की मरम्मत कराये जाने विषयक

04–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सुभाषपुरम बोदला में श्री भीखाराम के मकान नं0–85 से श्री धनीराम के मकान नं0–96 तक, श्री राजकुमार जैन की दुकान से श्री अचल बाल्मीकि के मकान मऊ हरी पर्वत वार्ड 65 तक एवं श्री राजवीर सिंह के मकान से राजू के मकान तक नाली व सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत नाली एवं सड़क निर्माण का आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के महर्षिपुरम ईश्वरनगर एवं दयाल बाग में मीना इन्क्लेब में चौधरी वीर सिंह इण्टर कालेज के सामने की नाली व सड़कों के मरम्मत का प्रकरण

05–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के महर्षिपुरम ईश्वरनगर एवं दयाल बाग में मीना इन्क्लेव में चौधरी वीर सिंह इण्टर कालेज के सामने की नाली व सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों एवं नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

महर्षिपुरम के पास ईश्वरनगर की सड़क पर इण्टरलॉकिंग फर्श एवं नाली निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

दयालबाग में मीना इन्क्लेव कालोनी प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा विकसित की गयी है तथा अभी तक नगर निगम को हस्तगत नहीं की गयी है। अतः सड़क निर्माण कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के नगर निगम इलाहाबाद में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर तथा म्योहाल चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय तक सड़क की खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया जाना

06–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के नगर निगम इलाहाबाद में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर तथा म्योहाल चौराहे से जिलाधिकारी

कार्यालय तक की सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें कई महीनों से खराब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाकर चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, इलाहाबाद में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर अन्डर ग्राउन्ड केबिल खराब हो जाने के कारण लाइटें बुझी थीं, जो ठीक कर दी गयी हैं तथा म्योहाल चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय तक की स्ट्रीट लाइट लाइन में तकनीकी खराबी के कारण बुझी थी जिसे ठीक करवाकर चालू करवा दिया गया है। वर्तमान में सभी लाइटें जल रही हैं।

07–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख्2सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

आगरा में मदिया कटरा की डा0 दास के बगल वाली गली, दयालबाग सुन्दरबाग कालोनी एवं कमलानगर अमित विहार के गेट नं0 1 से 2 तक की सड़क की मरम्मत कराया जाना

08–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मदिया कटरा की डा0 दास के बगल वाली गली, दयालबाग सुन्दरबाग कालोनी एवं कमलानगर अमित विहार के गेट नं0 1 से 2 तक दूरी लगभग 500 मी0 की सी0सी0 रोड विगत कई वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत मदिया कटरा की डा0 दास के बगल वाली गली के निर्माण कार्य का आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर उक्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

दयालबाग सुन्दरबाग कालोनी एवं कमला नगर में अमित विहार नगर कालोनी प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा विकसित की गयी है तथा नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। अतः उक्त कालोनियों में कार्य कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

मेरठ समेत प्रदेश के महानगरों के नाले, सिल्ट से पटे होने के कारण नालों की तलीझाड़ सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में

09–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ समेत प्रदेश के महानगरों के नाले, सिल्ट से पटे होने के कारण थोड़ी सी बारिश में भी मेरठ जैसे महानगर जलमग्न हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मेरठ समेत सभी महानगरों के नालों की तली झाड़ सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, मेरठ द्वारा योजना बनाकर पिछले वर्ष बरसात से पूर्व 15–3–2014 से 30–6–2014 तक सभी नालों की तली झाड़ सफाई करायी गयी थी। महानगर में बरसात के समय कहीं भी जलमग्न नहीं हुआ। कुछ निचले स्थानों पर जल भराव ठहरा हुआ था, जो आधे से एक घण्टे के अन्दर स्वतः निकल गया। वर्ष 2015 में भी अभियान चलाकर बरसात से पूर्व सभी नालों की सफाई करायी जानी है।

शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष नालों की सफाई हेतु निर्देश जारी किये जाते हैं तथा उसका अनुपालन नगर निकायों द्वारा किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के थाना ब्रहमपुरी क्षेत्र में एवं आस–पास के क्षेत्रों में पुलिस के संरक्षण में सट्टेबाजी व जुओं के अड्डे चलाने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

10–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के थाना ब्रहमपुरी क्षेत्र में एवं आसपास के क्षेत्रों में पुलिस के संरक्षण में कैसिनों व जुओं के अड्डे चलाये जा रहे हैं एवं इन्हीं के कारण कई हत्यायें भी हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गंभीर अपराधों को रोकने हेतु जांच कर ऐसे कैसिनों एवं जुआघरों को बंद कराकर इनके संचालकों एवं संरक्षण देने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। जनपद मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एवं आस–पास के क्षेत्रों में पुलिस के संरक्षण में कैसिनों व जुएं के अड्डे नहीं चलाये जा रहे हैं तथा कैसिनों एवं जुएं के कारण कोई हत्या नहीं हुई है।

पुलिस के संरक्षण में कैसिनों एवं जुएं के अड्डे नहीं चलाये जा रहे हैं। थाना ब्रह्मपुरी एवं आस–पास की स्थानीय पुलिस द्वारा जुएं/सट्टे के 216 अभियोग पंजीकृत कर 340 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिनके कब्जे से 2,81,764 रु0 बरामद हुए हैं तथा कैसिनों के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत कर 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिनसे 24 कम्प्यूटर तथा 1,19,170 रु0 बरामद किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की गंगा नदी में परियर घाट/स्थान पर 13 जनवरी, 2015 को मिली सैकड़ों लाशें तथा बेतवा नदी में मिली लाशों के कारणों की जानकारी तथा पहचान कर की गई कार्यवाही की जानकारी

11–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद की गंगा नदी में परियर घाट/स्थान पर 13 जनवरी, 2015 को सैकड़ों लाशें मिली हैं ? यदि हां, तो ये लाशें कहां से कैसे आयीं तथा क्या इनकी पहचान करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि 14 जनवरी, 2015 को झांसी में बेतवा नदी में भी 12 लाशें मिली हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अखिलेश यादव–

दिनांक 13–01–15 को परियर शमशान घाट उन्नाव में 81 सड़े–गले शव/अस्थि कंकाल तथा उनके अंग बरामद किये गये हैं।

बरामद शव चोरी–छुपे गंगा में प्रवाहित किये गये हैं, जिनका थाना–सफीपुर के अभिलेखों में विवरण दर्ज है। मौके पर समाज के प्रतिष्ठित लोग जनप्रतिनिधि व भारी जनसमूह उपस्थित रहा, किन्तु किसी ने भी बरामद लाशों की न तो पहचान की और न ही किसी का दावा पेश किया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी करायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 15–01–2015 को बेतवा नदी के किनारे पानी में 06 लावारिश अज्ञात शव मिले थे।

नगर पालिका के सहयोग से उक्त शवों को सावधानीपूर्वक बाहर निकलवाया गया तथा मौके पर स्थित मेडिकल टीम द्वारा सभी 06 शवों को डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु सैम्पल लिया गया, फोटोग्राफी करायी गयी तथा समुचित ढंग से शवों का अन्तिम संस्कार किया गया।

आवास विकास कालोनी आगरा के सेक्टर 5 के म0नं0–688 से 716 के मध्य पार्क एवं सेक्टर–7 में झूले वाले पार्क की बाउण्ड्रीबाल व पथ का निर्माण/मरम्मत कराया जाना

12–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास कालोनी आगरा के सेक्टर 5 के म0नं0–688 से 716 के मध्य पार्क एवं सेक्टर–7 में झूले वाले पार्क की बाउण्ड्रीबाल व पैदल पथ विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराते हुए बाउण्ड्रीबाल व पैदल पथ का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। उक्त पार्क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत पार्कों के निर्माण कार्य हेतु क्रमशः आवास विकास कालोनी सेक्टर–5 के म0नं0–688 से म0नं0–716 के मध्य पार्क का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य एवं आवास विकास सेक्टर–7 झूले वाले पार्क की बाउन्ड्रीवाल व सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में अवधपुरी अलवतिया रोड पर म0 नं0–120 से 167 तक बड़े पार्क के चारों तरफ कालिन्दीपुरम् मऊ रोड तक, रघुवीरपुरम् कालोनी (महल के पास) आदि का जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किया जाना

13–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में अवधपुरी अलवतिया रोड पर म0 नं0–120 से 167 तक बड़े पार्क के चारों तरफ कालिन्दीपुरम् मऊ रोड तक, रघुवीरपुरम् कालोनी (महल के पास) में मं0 नं0 117 से 124 तक, कमलानगर में ब्लाक एफ 339 से 321 अजन्ता स्वीट के पीछे वाली सड़क तक एवं सेक्टर 1 में मं0नं0 190 से 204 तक की नाली व सी0सी0 रोड विगत कई वर्षों से जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालियों व सी0सी0 सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़कें क्षतिग्रस्त हैं।

हरीपर्वत वार्ड बड़े पार्क के चारों तरफ कालिन्दीपुरम्, मऊ सड़क का हाटमिक्स से निर्माण कार्य, रघुवीरपुरम् कालोनी (महल के पास) में मकान नं0–117 से 124 तक की सड़क का इण्टरलॉकिंग द्वारा निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य, कमला नगर ब्लाक एफ 339 से 321 अजन्ता स्वीट के पीछे वाली सड़क तक के सड़क निर्माण कार्य तथा लोहामण्डी वार्ड आवास विकास सेक्टर–1 में म0नं0–190 से 204 तक नाली एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिये गये हैं। उपरोक्त कार्यों को धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

अवधपुरी अलवतिया रोड पर मकान नं0–120 से मकान नं0–167 तक सड़क नगर निगम सीमान्तर्गत नहीं आती है। अतः उक्त सड़क निर्माण कार्य का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में 2 जनवरी, 2015 को सराय इनायत थानान्तर्गत पकड़े गये दवा से भरे ट्रक के सम्बन्ध में जो नकली दवाइयों/नकली ट्रक नम्बर सहित पकड़ा गया प्रकरण पर की गई कार्यवाही की जानकारी

14–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में 2 जनवरी, 2015 को सरॉय इनायत थानान्तर्गत करोड़ों रुपये की दवाइयों से भरे ट्रक के टेलर मालिक के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 व 471 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त पूरा प्रकरण क्या है तथा क्या ट्रक

में लदी दवाइयां नकली हैं ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

दिनांक 2–1–15 को आर0 के0 बीके0 पेट्रोल पम्प के बगल में एक ट्रक एस0 आर0–55 एच0 5593 खड़ी हुई पाई गई। ट्रक पर दवा लदी हुई थी जो संदिग्ध लग रही थी तथा ट्रक की नम्बर प्लेट फर्जी पाई गई। ट्रक का ड्राइवर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर दवा बेचने की फिराक में था। इस सम्बन्ध में थाना सरायइनायत पर मु0अ0सं0–2/15, धारा–419/420/467/468 व 471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया है। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ट्रक का सही नम्बर एच0आर0 55 जे0 3460 पाया गया। दिनांक 18–1–15 को श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री पृथ्वीपाल सिंह निवासी–राजाटोला थाना–परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा ट्रक पर लदी दवाओं के सम्बन्ध में कागजात (सेल्स टेक्स विभाग से दिनांक 18–1–15 को जारी बहती पेपर सहित) तत्कालीन थानाध्यक्ष, सरायइनायत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ट्रक पर लदी दवा को श्री मनोज कुमार सिंह के पक्ष में अवमुक्त किया गया है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

प्रकरण नकली दवाओं का न होकर माल लदे ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा कर ग्लेन मार्क कम्पनी की दवाओं को बेईमानी से बेचने का है।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के अविवादित कब्रिस्तानों जो ग्राम पंयायत दानु कुईया, कानपारा आदि ग्रामों तथा नगर पालिका क्षेत्र स्थित करलीबाग में चहार दीवार का बनाया जाना

15–डा0 मो0 अयूब–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सन्तकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के अविवादित कब्रिस्तानों जैसे ग्राम पंचायत दानु कुईया, कानपारा, पिपरा गोविन्द, बिगरा अव्वल, सिस्वां दाखिली दरियाबाद मुसरद विकास खण्ड सेमरियावां तथा ग्राम पंचायत कर्री भ्यूरा विकास खण्ड खलीलाबाद व ग्राम पंचायत गंगौली, विकास खण्ड बघौली तथा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित कटलीबाग (सिंचाई विभाग के बगल में) की चहारदीवारी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के अविवादित कब्रिस्तानों जैसे ग्राम पंचायत दानु कुईया, कानपारा, पिपरा गोविन्द, बिगरा अव्वल, सिरवा दाखिली दरियाबाद मुसरद विकास खण्ड सेमरियावा तथा ग्राम पंचायत कर्री म्यूरा विकास खण्ड खलीलाबाद व ग्राम पंचायत गंगोली, विकास खण्ड बघौली कब्रिस्तानों की चहारदीवारी निर्माण हेतु जिला चयन समिति की बैठक में प्रस्तावित है। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित कटलीबाग स्थित कब्रिस्तान अविवादित कब्रिस्तानों की सूची में शामिल न होने के कारण जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानी वाली सूची में सम्मिलित नहीं है। जिला चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त चयनित कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल के निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागों में प्रमुख सचिवों के कार्य बटवारा की नियमावली की व्यवस्था के अन्तर्गत महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव के रहते हुए महिला बाल विकास विभाग के अनुभाग–2 का कार्य प्रमुख सचिव आवास को आवंटित करने का औचित्य

16–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागों में प्रमुख सचिव के पद पर अधिकारी के कार्यरत रहते हुए उसी विभाग के एक अनुभाग का कार्य अतिरिक्त रूप से किसी अन्य विभाग के प्रमुख सचिव को आवंटित करने की नियमों में व्यवस्था है ? यदि हां, तो उक्त नियम क्या है ? क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर अधिकारी के कार्यरत रहते हुए उक्त विभाग के एक अनुभाग महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 का कार्य अतिरिक्त रूप से प्रमुख सचिव आवास विभाग को आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या उक्त आदेश को सरकार द्वारा वापस लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0प्र0 कार्य (बंटवारा) नियमावली, 1975 के नियम–4 में निम्न व्यवस्था है :––

सचिवालय के प्रत्येक विभाग में एक प्रमुख सचिव या सचिव होगा, जो उस विभाग का शासकीय अध्यक्ष होगा और उसके अधीनस्थ उतने अन्य अधिकारी और सेवक होंगे जितने राज्य सरकार अवधारित करे।

प्रतिबन्ध यह है कि :––

(क) एक ही प्रमुख सचिव या सचिव के प्रभार में एक से अधिक विभाग रखे जा सकते है, और

(ख) एक विभाग के काम का विभाजन दो या अधिक प्रमुख सचिवों या सचिवों के मध्य किया जा सकता है।

जी नहीं। राज्य सरकार के स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग सृजित है। महिला एवं बाल विकास दोनों विभाग का अलग–अलग कार्य क्षेत्र है। प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के पृथक–पृथक निदेशालय व निदेशक

है। प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसके अधीन महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा बोदला में बैनारा फैक्ट्री के बगल में शान्तीनगर की सड़क क्षतिग्रस्त होने से सी0सी0 सड़क बनाये जाने सम्बन्धी प्रकरण

17–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा बोदला में बैनारा फैक्ट्री के बगल से शान्तीनगर की सड़क विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सी0सी0 सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त मार्ग आंशिक रूप से जगह–जगह क्षतिग्रस्त है। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य हेतु लोहा वार्ड बैनारा फैक्ट्री के गेट से लच्छों के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य का आगणन तैयार करा लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने हेतु पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में बनी कमेटी तथा उसके रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी

18–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने हेतु पूर्व पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कमेटी की रिपोर्ट क्या है एवं इसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नगर निगम फिरोजाबाद में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली सामूहिक बीमा धनराशि की बकाया धनराशि का भुगतान किया जाना

19–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में कितने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली सामूहिक बीमा धनराशि बकाया

है ? क्या सरकार इनकी लम्बित सामूहिक बीमा की धनराशि दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, फिरोजाबाद में सेवानिवृत्त/मृतक कुल 91 कर्मचारियों की सामूहिक बीमा की धनराशि बकाया है।

उक्त सभी कर्मचारियों के बीमा प्रपत्र भारतीय जीवन बीमा निगम, लखनऊ को भेजे जा चुके हैं। धनराशि प्राप्त होते ही भुगतानल की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के नगर पंचायत ककोड़ में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प स्थापित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

20–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर के नगर पंचायत ककोड़ में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प स्थापित कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5–661364 दिनांक 18–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 18–11–2014 द्वारा नगर पंचायत ककोड़ में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 05 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापन किये जाने की मांग की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पंचायत ककोड़ में 03 नग नये हैण्डपम्प एवं 03 नग रि–बोर हैण्डपम्प के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं, जिनके अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के गणेश विहार कालोनी के म0 नं0 1 से 40 तक यू0 पी0 एस0 आई0डी0सी0 रोड, सिकन्दरा की नाली व सड़क का निर्माण कराया जाना

21–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के गणेश विहार कालोनी के म0 नं0–1 से 40 तक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 रोड, सिकन्दरा की नाली व सड़क बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण हॉटमिक्स प्लान्ट से कराये जाने हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज नगर पंचायत एवं आसपास के क्षेत्र में जल निकासी हेतु नाला का निर्माण करके घाघरा नदी में डालने के पूर्व ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट लगाये जाने की मांग

22–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज नगर पंचायत एवं आस–पास के क्षेत्र के जल निकासी हेतु जो नाला निर्माण कराया जा रहा है क्या वह घाघरा नदी में मिलने जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले और नदी के मध्य प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज नगर पंचायत एवं आसपास के क्षेत्र में जल निकासी हेतु स्ट्रार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसका 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। नाला निर्मित हो जाने के पश्चात् इसके उत्प्रवाह को घाघरा नदी में शोधन यथा उत्प्रवाह के आवश्यक पैरामीटर (भौतिक रसायनिक, जैविक बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0 इत्यादि का परीक्षण कराकर तदनुसार ट्रीटमेन्ट की योजना बनाकर) को ध्यान में रखने के पश्चात् मिलाने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं की मृत्यु होने की स्थिति में अधिवक्ताओं का बीमा किये जाने एवं युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश

23–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिवक्ताओं का वर्तमान में मृत्यु दावा योजना करने तथा नये अधिवक्ताओं को प्रोमोट करने हेतु कोई प्रोमोशन राशि (स्टाइपेंड) शासन ने निर्धारित किया है ? यदि हां, तो वह क्या है एवं इसको प्रदान करने के क्या प्राविधान/मानक बनाये गये हैं ? क्या सरकार वर्तमान महंगाई को दृष्टिगत करते हुये इसको बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पंजीकृत अधिवक्ताओं की मृत्यु होने की स्थिति में अधिवक्ताओं का बीमा किये जाने एवं युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 27–11–2014 निर्गत किया गया है। प्रकरण में मा0 महाधिवक्ता उ0प्र0 की अध्यक्षता में उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की बैठक दिनांक 16–02–2015 में समिति द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 27–11–2014 के बिन्दु संख्या–4, जो अधिवक्ताओं के बीमा से सम्बन्धित है, में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–2 में आर्थिक रूप से कमजोर युवा अधिवक्ताओं को रुपये 10 करोड़ के कार्पस फण्ड से अर्जित ब्याज से प्रोत्साहन भत्ता के रूप में रुपये 1000/– प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मा0 अध्यक्ष बार कौंसिल आफ उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 22–02–2015 द्वारा दिये गये ज्ञापन में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु मा0 महाधिवक्ता उ0 प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 03–03–2015 को उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में गर्मी के दिनों में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सरकार की कार्य–योजना की जानकारी

24–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में गर्मी के दिनों में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली पेयजल की समस्या के निराकण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

कानपुर नगर में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु नगर के 110 वार्डों को गंगा नदी के अपस्ट्रीम पर गंगा बैराज का निर्माण कार्य वर्ष 2005 में पूर्ण कराया गया है। नगर के पश्चिम क्षेत्र के 10 वार्डो को डा0 राम मनोहर लोहिया गंगा जल सम्पूर्ति परियोजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति प्रदान की गयी है, जो वर्ष 2040 की परिकल्पित जनसंख्या पर आधारित है।

नगर के शेष वार्डो को जे0एन0एस0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में शहर के पुराने क्षेत्र के 67 वार्डो को एवं द्वितीय चरण में शहर के पूर्वी क्षेत्र एवं

अवशेष दक्षिणी क्षेत्र के 33 वार्डो को लाभान्वित करने हेतु क्रमशः रु0 393.93 करोड़ एवं रु0 475.15 करोड़ की योजनायें स्वीकृत की गई।

उक्त स्वीकृत योजना के अन्तर्गत 6.11 कि0मी0 क्लीयर वाटर फीडरमेन छावनी क्षेत्र से होकर जानी है, जिसको बिछाने की अनुमति रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गयी है, जो अप्राप्त है। उक्त दोनों योजनाएं मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। दोनों योजनाएं पूर्ण होने के उपरांत कानपुर नगर की सम्पूर्ण आबादी को भारत सरकार के मानक के अनुसार शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर सहित प्रदेश में दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों के विश्राम के लिये रैन बसेरों का निर्माण कराया जाना

25–श्री सतीश महाना–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर सहित प्रदेश में दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों के विश्राम के लिए रैन बसेरों का निर्माण सरकार द्वारा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

केन्द्र पुरोनिधानित योजना राष्ट्रीय शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 82 चयनित नगरों में आश्रय गृहों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही पूर्व में निर्मित शेल्टर्स का उच्चीकरण भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कानपुर महानगर में नगर निगम कानपुर द्वारा वर्तमान में 27 रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 03 शेल्टर्स होम के उच्चीकरण की परियोजना राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। 03 नये शेल्टर होम के निर्माण का प्रस्ताव राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा को प्राप्त हुआ है। कानपुर नगर में वर्तमान में संचालित रैन बसेरों की क्षमता 897 व्यक्तियों की है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के आसापुरम् चार खम्भा रोड संजयनगर से आनन्द विहार कालोनी के अन्दर जलापूर्ति के लिये पाइप लाइन डालने विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

26–डा0 अरूण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली के आसापुरम् चार खम्भा रोड संजयनगर से आनन्द बिहार कालोनी के अन्दर जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन डालने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05–01–2015 पत्र संख्या क–5–145080 अधीक्षण अभियन्ता जल निगम बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद नगर के दक्षिणी क्षेत्र में व्याप्त भीषण पेयजल संकट के निवारण हेतु पुरानी तहसील परिसर में एक ओवर हेड टैंक बनवाया जाना

27–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार नगर फिरोजाबाद के दक्षिणी क्षेत्र में व्याप्त भीषण पेयजल संकट के निवारण हेतु पुरानी तहसील परिसर में एक ओवर हेड टैंक (15.00 लाख लीटर क्षमता का) बनवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। फिरोजाबाद नगर क्षेत्र हेतु फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना माह जनवरी, 2015 में स्वीकृत हुई है। उक्त योजना के अनुसार पुरानी तहसील परिसर, जोन सं0–9 में आता है, जिसमें पूर्व से स्थित 1000 कि0ली0 क्षमता वाले उच्च जलाशय एवं 600 कि0मी0 क्षमता वाले भूमिगत जलाशय से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जोन सं0–9 से लगे जोन संख्या–8 (पैमेश्वर गेट) में 1700 कि0ली0 क्षमता वाले उच्च जलाशय का निर्माण कार्य भी उक्त योजना से प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में समस्त नगरों व इनके समीप लगे उद्योगों से निकलने वाले स्लेज/मल युक्त जल को निष्पादित करने वाली ड्रेनों की सफाई की सरकार की योजना

28–श्री पंकज गुप्ता–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समस्त नगरों व इनके समीप लगे उद्योगों से निकलने वाले स्लेज/मल युक्त जल को निष्पादित करने वाली ड्रेनों की सफाई हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष आन्तरिक नालों/नालियों की सफाई करायी जाती है। किसी भी औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों से प्राप्त नाली सफाई/जल निकासी के प्रकरण में त्वरित सफाई हेतु कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में समस्त नगरों व इनमें समीप लगे उद्योगों से निकलने वाले स्लेज/मल युक्त जल को निष्पादित करने वाली ड्रेनों की सफाई हेतु सरकार की पृथक से कोई योजना नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा में बल्केश्वर क्षेत्र की सब्जी मण्डी के पास दुर्गा पार्क की बाउण्ड्रीवाल व पैदल पथ के निर्माण को कराया जाना

29–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बल्केश्वर क्षेत्र की सब्जी मण्डी के पास दुर्गा पार्क की बाउण्ड्रीवाल व पैदल पथ विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कराने, पैदल पथ तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत एवं फुटपाथ निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के अन्दर पुलिस प्रशासन द्वारा देवी प्रतिमाओं की गन्ने के खेत में फिंकवा देने तथा रात्रि में महिलाओं, वृद्धों तथा निरापराधों की पिटाई के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

30–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–कुशीनगर के अन्दर पुलिस प्रशासन द्वारा देवी प्रतिमाओं को गन्ने के खेत में फिंकवा देने तथा दिनांक 04–10–2014 को रात्रि में महिलाओं, वृद्धों तथा निरपराधों की पिटाई के संबंध में कार्यवाही विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05–12–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रकरण में घटित घटना के सम्बन्ध में तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 04–10–2014 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–768/2014, धारा–147/148/149/323/504/506/ 427/336/307/332/353/153 भा0द0वि0 व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण व 7 कि0ली0 अमे0 ऐक्ट क्रमशः मनोज सिंह पुत्र स्व0 बेचू सिंह, ग्राम पपउर आदि 44 नफर नामजद तथा 200 अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त मनोज सिंह, राम अधार राव, सोनू उर्फ नन्हें राव को गिरफ्तार करने के उपरान्त उभय पक्षों के विरुद्ध धारा–107/116 जा0फौ0 के तहत चालानी रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा गांव में शान्ति व्यवस्था बनाये रखे जाने हेतु समय–समय पर गस्त व पेट्रोलिंग की जा रही है। अभियोग में आरोप–पत्र संख्या–270/2014 दिनांक 20–11–2014 व आरोप–पत्र संख्या–270ए/2014 दिनांक 13–12–2014 को प्रेषित किया गया है जो मा0

न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में प्रश्नगत प्रकरण की मजिस्ट्रेटी जांच उप जिला मजिस्ट्रेट, तमकुहीराज, कुशीनगर द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के कुर्मान्चल नगर विस्तार में जल निकासी की व्यवस्था करने विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

31–डा0 अरूण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली के कुर्मान्चल नगर–विस्तार में जल निकासी की व्यवस्था करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29–12–2014 नगर निगम, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जनपद बरेली की कुर्मान्चल नगर विस्तार कालोनी प्राइवेट कालोनी है, जो नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। इस कालोनी में जल निकासी की व्यवस्था सम्बन्धित कालोनाईजर द्वारा की जानी है। नगर निगम, बरेली द्वारा उक्त पत्र के क्रम में जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की जल निकासी हेतु आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली में स्व–रोजगार के लिये वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में स्वीकृत ऋण में कितने युवकों को ऋण दिया गया विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

32–डा0 अरूण कुमार–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली में स्वरोजगार के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कितने ऋण स्वीकृत किये गये तथा वास्तव में बैंकों द्वारा कितने युवकों को ऋण दिया गया विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05–1–2015, प0सं0ख–5–474593 परियोजना निदेशक डूडा बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना संचालित थी। इस योजना के उपघटक नगरीय स्व–रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला नगरीय विकास अभिकरण बरेली के द्वारा विभिन्न बैंकों की शाखाओं में कुल 206 ऋण स्वीकृत किये गये। इन स्वीकृत ऋणों के सापेक्ष अनुदान के रूप में कुल 182 लाभार्थियों को रु0 96.10 लाख ऋण वितरित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लागू की गयी, जिसमें ब्याज अनुदान देय है इस योजना में भिन्न–भिन्न बैंकों द्वारा अब तक कुल 83 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया है।

आगरा स्थित राजामण्डी, गोकुलपुरा, बल्का बस्ती, बाड़ा चरन सिंह आदि क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निदान हेतु सेन्ट जोन्स कालेज क्रासिंग के पुल से लोहामण्डी रेलवे क्रसिंग तक पेयजल की लाइन विछाकर जलापूर्ति चालू कराया जाना

33–श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार आगरा स्थित राजामंडी, गोकुलपुरा, बल्का बस्ती, बाड़ा चरन सिंह आदि क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निदान हेतु 13वें वित्त आयोग फण्ड से स्वीकृत योजना अन्तर्गत सैन्ट जोंस कालेज क्रासिंग के पुल से लोहामण्डी रेलवे क्रासिंग तक पेयजल की लाईन बिछवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत है। पाइप लाइन विछाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 50 प्रतिशत कार्य हो चुका है। उक्त कार्य के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु कुछ भाग रेलवे लाइन के किनारे से होकर गुजरेगा। रेलवे लाइन के किनारे नाला निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है, जिसके लिये रेलवे विभाग से अनुमति मांगी गई है।

रेलवे विभाग के अनुमति प्राप्त होने पर शेष बचे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराकर पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में नियुक्त नोटरी अधिवक्ताओं के नोटरी लाइसेंस के नवीनीकरण विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

34–डा0 अरूण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में नियुक्त नोटरी अधिवक्ताओं के नोटरी लाइसेन्स के नवीनीकरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5–474533, दिनांक 19–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत नियुक्तियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आरक्षण में सेनानी के पुत्र के अतिरिक्त पुत्रियों के भी वारिसों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना

35–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत नियुक्तियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आरक्षण में सेनानी के पुत्र के अतिरिक्त पुत्रियों के भी वारिसों को आरक्षण प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो क्या महिलाओं के सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत सेनानियों के पुत्रियों के पुत्र/पुत्रियों को प्रदेशीय सेवाओं में शामिल करने पर विचार करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रक्रियाधीन।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली शहर की सीवर लाइन 30 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण जगह–जगह सड़क धसने, सीवर लाइन टूटने से हो रहे जल भराव को समाप्त करने हेतु सीवर लाइन को डलवाया जाना

36–डा0 अरूण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली शहर की सीवर लाइन 30 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण जगह–जगह सड़क धसने से सीवर लाइन टूट चुकी है जिससे गलियों व मोहल्लों में सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को हटवाकर नई लाइन डलवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम के अधीन अधिकांश स्थलों की सीवर लाइन 30 वर्ष से अधिक पुरानी है, परन्तु जहां भी सीवर लाइन धसने व टूटने की सूचना प्राप्त होती है, नगर निगम बरेली द्वारा अपने संसाधनों से यथाशीघ्र उनकी मरम्मत करा दी जाता है, जिससे गलियों अथवा सड़कों पर सीवर का पानी नहीं बह रहा है।

नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से अति आवश्यक होने पर यथा सम्भव सीवर लाइन बदलने/नई सीवर लाइन डालने का कार्य किया गया है। उक्त के साथ ही बरेली महानगर में नई सीवर लाइन बिछाने हेतु डी0पी0आर0 विरचित करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसका विरचन मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर लोक सभा निर्वाचन 2014 में वाहनों में खर्च हुए ईंधन के बकाया भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

37–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में लोकसभा निर्वाचन–2014 में वाहनों में खर्च हुए ईंधन के बकाया भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1091 दिनांक 03–11–2014 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ईंधन व्यवस्था के अवशेष देयकों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में प्रयुक्त ईंधन के बकाये के भुगतान हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा की गयी मांग रु0 50,35,051/–के सापेक्ष रु0 25,07,854/– का बजट आवंटित किया जा चुका है। अवशेष के सम्बन्ध में बजट आवंटन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा स्थित 50 वर्ष पुरानी जयपुर हाउस कालोनी का सीवेज–ड्रेनेज सिस्टम बदलकर नयी सीवर लाइन डाले जाने का प्रकरण

38–श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्थित 50 वर्ष पुरानी जयपुर हाऊस कालोनी का सीवेज–ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त स्थिति के निदान हेतु 13वें वित्त आयोग फण्ड से आर्य समाज मन्दिर जयपुर हाऊस से जैन मन्दिर टीचर्स कालोनी तक सीवर लाइन डालने हेतु टेण्डर भी स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

जनपद आगरा स्थित जयपुर हाऊस क्षेत्र लगभग 50 वर्ष पुराना विकसित क्षेत्र है। जहां पूरे क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध है। जयपुर हाऊस कालोनी के आर्य समाज मन्दिर के पास की दो गलियों के आखिरी बिन्दुओं पर सीवर भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके समाधान हेतु तकनीकी रूप से जांच उपरान्त 130 मीटर सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु 13वें वित्त आयोग से धनराशि स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है एवं सीवर लाइन चालू करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाये जाने का प्रकरण

39–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चौकीदारों को 1500/–(रु0 पन्द्रह सौ) मात्र प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मंहगाई को देखते हुए ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2012 द्वारा ग्राम चौकीदारों का मानदेय रु0 1000/– दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः मानदेय बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

गाजियाबाद सदर के वार्ड नं0–6 अकबरपुर–बहरामपुर–रघुनाथपुरी एक्टेंशन की गली नं0–5 एवं वार्ड नं0–3 में बिहारीपुरा सामुदायिक केन्द्र से रामबाबू नेताजी के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराया जाना

40–श्री सुरेश बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद सदर के वार्ड नं0–6 अकबरपुर–बहरामपुर–रघुनाथपुरी एक्सटेंशन की गली नं0–5 एवं वार्ड नं0–3 में बिहारीपुरा सामुदायिक केन्द्र से रामबाबू नेता जी के मकान तक की सड़क क्षतिग्रस्त है एवं सदैव गन्दा पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

वार्ड–6 अकबरपुर बहरामपुर रघुनाथपुरी–एक्स0 की गली नम्बर–5 प्राइवेट रूप में विकसित की जा रही कालोनी है जिसके संबंध में कार्यवाही/विकास कार्य करने का दायित्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का है।

वार्ड–3 में बिहारीपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से रामबाबू नेताजी के मकान तक सड़क क्षतिग्रस्त है एवं सदैव गंदा पानी भरा रहता है। इस रास्ते की कुल लम्बाई 421 मीटर है। नगर निगम द्वारा पूर्व में विहारीपुरा सेल्टर होम्स से लेकर 346 मीटर की लम्बाई में मार्ग को पक्का कराया गया था तथा इस स्थान पर रामबाबू नेता जी के मकान की दूरी 75 मीटर है, जो कच्ची है। परन्तु उक्त क्षेत्र की समुचित जलनिकासी न होने के कारण वहां के नागरिकों द्वारा उक्त निर्मित पक्की सड़क के ऊपर मिट्टी भरकर अपने–अपने सामने सड़क को ऊंचा कर लिया गया है। इस क्षेत्र में बिना जल निकासी का कार्य कराये हुए सड़कों को नियमित किया जाना उचित नहीं है। इस क्षेत्र की समुचित जल निकासी हेतु बागू में लट्ठमार कालोनी सामुदायिक केन्द्र सुदामापुरी लाल क्वाटर होते हुए नोएडा नाले तक नाले के निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के वार्ड नं0–3 में एन0एच0–24 से शान्तिनगर होते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक एवं वार्ड नं0–23 सैन विहार में मस्जिद से लेकर ए0पी0एन0 स्कूल तक नाला एवं सड़कें बनाये जाने विषयक

41–श्री सुरेश बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड नं0–3 में एन0एच0–24 से शान्तिनगर होते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक एवं वार्ड नं0–23 सैन विहार में मस्जिद से लेकर ए0पी0एन0 स्कूल तक नाला न होने से गन्दा पानी सड़क पर जमा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नाला एवं सड़क बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

वार्ड नम्बर–3 में एन0एच0–24 से शान्तिनगर होते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट तक एवं वार्ड–23 सैन विहार में मस्जिद से लेकर ए0पी0एल0 स्कूल तक का क्षेत्र अनियोजित रूप से विकसित आवासीय क्षेत्र है। यहां पर जल निकासी हेतु मुख्य नालों की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र की जल निकासी हेतु एन0एच0–24 के सापेक्ष मुख्य नाले का निर्माण शीघ्र ही कराया गया है तथा प्रश्नगत क्षेत्र की जल निकासी हेतु आगणन/कार्य योजना तैयार कर उक्त कार्य अवस्थापना निधि से कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसे आगामी अवस्थापना कार्य समिति हेतु रखा जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में मानस नगर और परशुराम नगर में स्थित अविकसित पार्कों का अतिक्रमण हटाकर विकसित कराया जाना

42–श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मानस नगर और परशुराम नगर में स्थित अविकसित पार्कों पर कार्यरत लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्कों पर से अतिक्रमण हटाकर विकसित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मानस नगर में तीन पार्क स्थापित हैं, जिनमें से नगर निगम, आगरा द्वारा पूर्व में दो पार्कों का सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा चुका है। वर्तमान में मानस नगर में एक पार्क क्षतिग्रस्त है। मानस नगर में स्थित तीनों पार्कों में मन्दिर बने हुए हैं, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। मानस नगर के क्षतिग्रस्त पार्क तथा

परशुराम नगर के पार्क के निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में मारुति स्टेट 100 फुटा रोड से राधिका विहार को जाने वाली सड़क और अवधपुरी फेस–1 व 2 की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जाना

43–श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में मारुति स्टेट 100 फुटा रोड से राधिका विहार को जाने वाली सड़क और अवध पुरी फेस–1 व 2 की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत मारुति स्टेट 100 फुटा रोड से राधिका विहार को जाने वाली सड़क का हॉटमिक्स से सड़क सुधार कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

अवधपुरी फेस–1 व 2 नगर निगम सीमान्तर्गत नहीं है। अतः उक्त सड़क के निर्माण का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

संसद की तरह प्रदेश के विधान सभा के विधायकों के लिये सत्र के दौरान विधान सभा आने–जाने के लिये बस सेवा उपलब्ध कराया जाना

44–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संसद की तरह प्रदेश के विधान सभा के विधायकों के लिये सत्र के दौरान विधान सभा आने–जाने के लिये उनके विधायक निवास से कोई बस चलवाने की व्यवस्था पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के मा0 सदस्य लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर प्रवास करते हैं तथा विधायकों के लिये निर्मित विधायक निवासों में रहते हैं। इस कारण सभी विधायक निवासों में विधायकों के लिये सत्र के दौरान विधान सभा आने जाने हेतु बस चलवाने की व्यवस्था कराया जाना व्यावहारिक नहीं है।

आगरा में आवास विकास कालोनी के सेक्टर–3 में स्थित राधाकृष्ण मन्दिर वाले पार्क के चार गेट, भर्त, बाउण्ड्रीवाल, पैदल पथ तथा बेंचों के टूटी होने से ठीक कराने की मांग

45–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में आवास विकास कालोनी के सेक्टर–3 में स्थित राधाकृष्ण मन्दिर वाले पार्क के चार गेट, भर्त, बाउण्ड्रीवाल, पैदल पथ बेंच कई वर्षों से जर्जर एवं टूटे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कराते हुए बाउण्ड्रीवाल, चार गेट, भर्त एवं पैदल पथ का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त पार्क की बाउण्ड्रीवाल, ग्रिल एवं मिट्टी भराव, पाथवे, बेंच का निर्माण कार्य का आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में पालीवाल पार्क शहर के मध्य में होने के कारण क्षेत्रीय नागरिक उक्त पार्क में व्यायाम व टहलने आते हैं, फलतः पार्क का सौन्दर्यीकरण कराने की मांग

46–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में पालीवाल पार्क शहर के मध्य में होने के कारण क्षेत्रीय नागरिक उक्त पार्क में व्यायाम व टहलने हेतु प्रायः आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण करते हुए रख–रखाव की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत पालीवाल पार्क का रख–रखाव उद्यान विभाग द्वारा किया जाता है एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में बल्केश्वर क्षेत्र की गंगेबाज कालोनी पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया जाना

47–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बल्केश्वर क्षेत्र की गंगेबाज कालोनी पार्क की बाउण्ड्रीबाल व पैदल कई वर्षों से जर्जर व टूटे हैं जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण करते हुए पैदल पथ तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त पार्क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत गंगेबाज कालोनी पार्क की बाउण्ड्रीवाल एवं पाथवे के निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सभी मा0 सदस्यों को 100–100 हैण्डपम्प दिये जाने की घोषणा

48–श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा गत सत्र में सदन में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक शहरी विधान सभा क्षेत्र में भी सौ–सौ इण्डिया मार्का–ॐ हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने हेतु दिये जायेंगे ? यदि हां, तो उक्त घोषणा का अनुपालन कब तक सुनिश्चित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सभी मा0 सदस्यों को 100–100 हैण्डपम्प दिये जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में शहरी क्षेत्रों के लिये इसका वित्त पोषण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के ''प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास'' मद से किया गया है।

मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप मा0 विधायकों को 100–100 हैण्डपम्प दिये जाने के अनुक्रम में शहरी क्षेत्रों के लिये आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–14/ 2015/30/8–1–15–10 बजट/2015, दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा रु0 1720.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रु0 8,60,17,500 (रु0 आठ करोड़ साठ लाख सतरह हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों के अकेन्द्रियत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य कर्मचारियों/केन्द्रियत निकाय कर्मचारियों की भांति पेंशन तथा आजीवन पारिवारिक पेंशन देने विषयक प्रकरण

49–श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों के अकेन्द्रियत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य कर्मचारियों/केन्द्रियत निकाय कर्मचारियों की भांति 50 प्रतिशत पेंशन देने तथा आजीवन पारिवारिक पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां, स्थानीय निकायों के अकेन्द्रियित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य कर्मचारियों/ केन्द्रियित निकाय कर्मचारियों की भांति पेंशन तथा आजीवन

पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में अकेन्द्रियित सेवा पेंशन नियमावली–1984 में यथा अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के मुस्लिम एवं ईसाई अल्पसंख्यक बाहुल्य मुहल्लों में सड़क निर्माण (इंटरलाकिंग) नाली, नाला आदि निर्माण से सम्बन्धित प्राप्त पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

50–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 10–12–2013 जो इलाहाबाद के मुस्लिम एवं ईसाई अल्पसंख्यक बाहुल्य मुहल्लों में सड़क निर्माण (इंटरलाकिंग) नाली, नाला निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में राजीव आवास योजना के अन्तर्गत वर्तमान में किन–किन बस्तियों का चयन हुआ तथा कितने गरीबों को मकान मुहैय्या कराया गया सम्बन्धी जानकारी

51–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में राजीव आवास योजना के अन्तर्गत वर्तमान में किन–किन बस्तियों का चयन किया गया है तथा इनमें से प्रत्येक बस्ती में कितने गरीबों को आवास मुहैय्या कराये जाने की योजना है ? यदि हां, तो योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 'पायलेट प्रोजेक्ट' के रूप में इलाहाबाद शहर की मलिन बस्ती बड़ी बगिया की इन–सीटू (लाभार्थी की निजी स्वामित्व भूमि पर आवास निर्माण) आवासों के निर्माण से सम्बन्धित डी0पी0आर0सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा तैयार की गई है। उक्त बस्ती के 190 लाभार्थियों के आवासों के निर्माण/उच्चीकरण हेतु रु0 1176.09 लाख की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है तथा उक्त के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रु0 189.23 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

धनराशि स्वीकृत होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

नगरपालिका परिषद्, बड़ौत, बागपत को नगर निगम बनाये जाने का प्रकरण

52–श्री वीरपाल राठी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद, बड़ौत, बागपत की आबादी एवं क्षेत्रफल विस्तार होने के कारण क्या सरकार नगर पालिका परिषद् बड़ौत को नगर निगम बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगरपालिका परिषद्, बड़ौत, बागपत को नगर निगम बनाये जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी में रंग मण्डल प्रबन्धक पद हेतु फर्जी डिप्लोमा लगाकर प्रबन्धक पद पर नियुक्ति के सभी प्रमाण–पत्रों की जांच कराया जाना

53–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतेन्दु नाट्य अकादमी में रंग मण्डल प्रबन्धक पद हेतु अनिवार्य योग्यता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0–5423/चार–13(2)/84, दिनांक 20 सितम्बर, 1988 के अनुपालन में फर्जी डिप्लोमा लगाकर प्रबन्धक पद पर नियुक्ति की गयी तथा रंग मण्डल प्रबन्धक को सहायक निदेशक (रंग मण्डल) के पद पर दिनांक 06–09–14 को प्रोन्नति प्रदान की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी नियुक्ति में लगे नाट्य विधा का फर्जी डिप्लोमा व अन्य शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा की नगर पालिका परिषद्, मथुरा की अध्यक्ष सुश्री मनीषा गुप्त के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताएं तथा अधिकार अनियमितताएं की जांच कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जांच

54–श्री पूरन प्रकाश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की नगर पालिका परिषद्, मथुरा की अध्यक्षा सुश्री मनीषा गुप्त के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताएं तथा अधिकार अनियमितताएं की जांच कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज प्रश्नकर्ता के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0–पी0जी0–10544833/2014, दिनांक 18–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

श्रीमती मनीषा गुप्ता, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, मथुरा के विरुद्ध प्राप्त वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के सम्बन्ध में आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की जांच आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती मनीषा गुप्ता को शासन के आदेश दिनांक 10–9–2014 द्वारा उनके शिथिल पर्यवेक्षण, नियमों की समुचित जानकारी के अभाव एवं कार्यों के प्रति उदासीनता हेतु इस आशय की कठोर चेतावनी दी जा चुकी है कि वे सजगता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

आगरा के कमला नगर राधा विहार कालोनी तथा सौंठ की मण्डी लताकुंज कालोनी में जर्जर सड़कों का निर्माण करवाया जाना

55–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के कमला नगर राधा विहार कालोनी तथा सौंठ की मण्डी लताकुंज कालोनी में सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनियों में सड़कों का निर्माण जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

कमला नगर राधा बिहार कालोनी की सड़क का हॉटमिक्स से निर्माण तथा सौंठ की मण्डी लताकुंज में मकान नं0 5/68 से आशादीप मकान नं0 48 तक नाली व इण्टरलाकिंग फर्श के निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला ख्वाजा फिरोज में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाला बनवाये जाने सम्बन्धी पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

56–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला ख्वाजा फिरोज में बरसात के पानी की निकासी हेतु नाला बनवाने सम्बन्धी विशेष सचिव, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन का पत्र सं0 14 वि0/नौ–2–2013–66 (9)/201, दिनांक 11 नवम्बर, 2013 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नाले के निर्माण हेतु निविदा की स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत शिवपुरवा वार्ड में नालों की सफाई तथा उनको कवर करवाया जाना

57–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत शिवपुरवा वार्ड में सड़क के किनारे नाले खुले होने के कारण उनमें सड़क का कचरा मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे बरसात के दिनों में पानी सड़क पर भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की सफाई करवाकर उसे कवर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

बरसात के दिनों में सफाई कराई जाती है, जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। नाले के कवर किये जाने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर में मलिन बस्ती अधिनियम के अन्तर्गत अहातों के अधिग्रहण की प्रक्रिया कानपुर विकास प्राधिकरण करके मुआवजा का भुगतान किये जाने विषयक

58–श्रीमती विमला बाथम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलिन बस्ती अधिनियम के अन्तर्गत अहातों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में कानपुर नगर के कितने अहाते थे जिन्हें अधिग्रहीत कर उन्हें मुआवजा दिया जा चुका है एवं कितने शेष हैं जिनका पूर्ण रूप से अधिग्रहण होना है ? क्या सरकार शेष का भी अधिग्रहण कर मुआवजे का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मलिन बस्ती अधिनियम के अन्तर्गत अहातों के अधिग्रहण की प्रक्रिया कानपुर विकास प्राधिकरण में विहित है तथा इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आशियाना कालोनी सेक्टर एम मकान नं0 523–डी0 के पास गड्ढायुक्त सड़क की मरम्मत करवाया जाना

59–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आशियाना कालोनी के सेक्टर एम मकान नं0 523–डी0 के पास नगर निगम द्वारा बनाई गयी मुख्य सड़क गड्ढायुक्त हो गयी है जहां पर दुर्घटना भी हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को गड्ढामुक्त/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। उक्त कालोनी विकास प्राधिकरण, लखनऊ के लाइसेन्सी मै0 अंसल हाउसिंग प्रा0लि0 द्वारा विकसित की गयी है। कालोनी नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है। अतः प्रश्नगत सड़क मरम्मत कराने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 में नये शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने की नीति

60–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये शस्त्र लाइसेंस दिये जाने की नीति क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों के घर हत्या, लूट, डकैती या अन्य जघन्य अपराध की घटना घटी हो उनके परिवारों को निजी सुरक्षा हेतु समुचित जांचोपरान्त शस्त्र लाइसेंस दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0 प्र0 में नये शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में गृह (पुलिस) अनुभाग–5 द्वारा शासनादेश संख्या–7/रिट–914/छः–पु0–5–2014–रिट–401/2012, दिनांक 29–12–2014 द्वारा नये शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने की नीति निर्धारित की गयी है।

रिट याचिका संख्या–3268 (एम/बी)/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 07–10–2013, 25–11–2013 एवं 06–09–2014 के अनुपालन में शस्त्र लाइसेन्स की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विरासत के आधार पर अथवा अपराध पीड़ित आवेदकों के प्रकरण अथवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लाइसेन्स निर्गत किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा–वुन्दावन के मध्य 1000 व्यक्तियों के बैठने योग्य वातानुकूलित स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह मुख्य मंत्री की घोषणानुसार बनाये जाने विषयक बजट के प्राविधान किये जाने की जानकारी

61–श्री प्रदीप माथुर–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 सितम्बर, 2012 को वृन्दावन आगमन पर मा0 मुख्य मंत्री द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से की गयी घोषणानुसार मथुरा–वृन्दावन के मध्य 1000 व्यक्तियों के बैठने योग्य वातानुकूलित स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह बनाये जाने हेतु वर्ष 2013–14 के बजट में धनराशि का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी–

जी हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में धनराशि रु0 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

प्रश्नगत प्रेक्षागृह भारत सरकार द्वारा संचालित टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स योजनान्तर्गत निर्मित किया जाना है। टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स योजनान्तर्गत भारत सरकार से 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार से 40 प्रतिशत की धनराशि का वित्तीय पोषण किया जाना है। भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत की धनराशि अपेक्षित है। अतएव भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त प्रेक्षागृह का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत दुबारी चौक से जैयनेन्द्र कुमार के विद्यालय तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

62–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत दुबारी चौक से जैयनेन्द्र कुमार के विद्यालय तक (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नों से संबंधित है। हम सभी लोग विधान सभा में जनता की समस्याओं से जुड़े हुये प्रश्न लगाते हैं और आप उनको कृपापूर्वक स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, इसमें यह लिखा है कि पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है हमारे जो प्रश्न निरस्त हुये हैं उसकी सूची मेरे पास आई है। नियमावली भी कहती है जिसमें आपका संरक्षण हमें मिलता है कि एक

विधान सभा सत्र के दौरान यदि एक प्रश्न की पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसको आप नहीं लेंगे, लेकिन इससे एक सत्र, दो सत्र पहले भी जो बजट सत्र पिछले वर्ष हुआ था उसमें अगर कोई प्रश्न उत्तरित हो गया तो उसके स्टेटस और आज के स्टेटस में अन्तर हो जाता है। मान्यवर, जैसे मैंने प्रदेश में अधूरी पड़ी योजनाओं के बारे में पूछा था तो आज से एक साल पहले और एक साल बाद उन परियोजनाओं जो अधूरी पड़ी होंगी उनमें से बहुत सी पूरी भी हुयी होंगी। यह मेरा रेलिवेन्ट प्रश्न था जिसको यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि 19–1–2014 को उत्तरित हो गया तो 19–1–2014 को पिछले साल के पहले महीने में जो उत्तरित हो गया वह इस बार नहीं लिया जायेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और यदि आप कहेंगे तो मैं उसकी पूरी सूची आपके कक्ष में भिजवा दूंगा। मान्यवर, ऐसे प्रश्नों को जो एक सत्र के दौरान रिपीट होते हैं उसको अगर आप नहीं लेते तो आपका निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन ऐसे प्रश्न जो एक साल पहले आए और उनके स्टेटस में अन्तर हो गया और वह प्रश्न नहीं लिये जायेंगे और यह कह दिया जायेगा कि वह अस्वीकार है तो यह बात उचित नहीं है इसमें आपका संरक्षण चाहिये।

मान्यवर, दूसरी बात जिन प्रश्नों को पुनरावृत्ति के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें यह आ जाय कि वह कब उत्तरित हुआ। मेरा जो प्रश्न है, अभी–अभी विधान सभा सत्र शुरू हुआ है, लेकिन लिखकर आ गया कि उत्तरित हो गया है। ऐसे प्रश्नों पर मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए कि जो प्रश्न एक वर्ष पहले उत्तरित हुए हों, उनको अस्वीकृत कर देना, यह उचित नहीं है। मेरे पास पूरी सूची है, एक नहीं कई ऐसे प्रश्न हैं जो स्वीकार नहीं किए गए हैं। मैं वह सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। मेरा मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि उन्हें देख कर आप उन्हें स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

जिस प्रश्न के बारे में आप कह रहे हैं, यह 23–02–15 को उत्तरित हो चुका है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैंने दूसरी बात कही है, मेरे पास जो यह सूची है, 19–11–2014 का यह सत्र नहीं है, यह नया सत्र है जो महामहिम राज्यपाल ने आहूत किया है। अगर दो सत्र पुराने प्रश्न को कह देंगे कि उत्तरित हो गया है तो उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा ठीक है, हम दिखवा लेंगे।

ख12ण00 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 09–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं :–

पहली सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय 'गामा' की– जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय ग्रामों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है। अनुपस्थित हैं। (अस्वीकृत)

पांचवी सूचना डा0 आर0 के0 वर्मा की नीलगायों द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

छठवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में निर्माणाधीन द्रौपदी थीम पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री आशुतोष टण्डन गोपाल जी की लखनऊ महानगर स्थित लोहिया पार्क में भूमिगत पैदल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की जनपद अमरोहा के वंकटेश्वर विश्वविद्यालय समेत कई अन्य संस्थानों द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति वितरण में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

नौवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत स्थित विभिन्न गन्ना मिलों द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद समेत अन्य अस्पतालों में शिक्षण स्टाफ की कमी को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

ग्यारहवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को वन विभाग द्वारा रोके जाने के सम्बन्ध में।

बारहवीं सूचना श्री कुंवर कौशल सिंह की जनपद महाराजगंज स्थित नारायणी नदी के बांधों का अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

तेरहवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर नगर की मलिन बस्तियों पटेल नगर एवं सदानन्द नगर में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

चौदहवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद लखनऊ के नेपालगंज क्षेत्र के तालाब में हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में।

पन्द्रहवीं सूचना श्री रामहेत भारती की है। अनुपस्थित हैं। (अस्वीकृत)

अब वेटिंग में डाली गयी सूचनाओं में से श्री अमरपाल शर्मा की सूचना को ले लेते हैं। गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के शहीदनगर में ईदगाह बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

श्री अमरपाल शर्मा, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री इन्द्रजीत सरोज, सुश्री रजनी तिवारी, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री नीरज कुशवाहा मौर्य, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री विजय बहादुर यादव, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री मदन चौहान, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री दलवीर सिंह, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री उदयराज, श्री उमेश पाण्डेय, श्री काली चरण सुमन और डा0 रमेश चन्द्र बिन्द।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय 'गामा'–

ख्मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के विधान सभा में लाये ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र गांवों में सी0सी0 मार्गों को घटिया निर्माण व मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है और ग्राम सभा के प्रस्ताव की भी अनदेखी की जा रही है। जिसकी सूचना मण्डलायुक्त इलाहाबाद को भी है।

यह अविलम्बनीय अति लोक महत्व का प्रश्न है।

क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों पर समयबद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?,

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय ग्रामों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव वि0ख0 कोरांव एवं मेजा के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों में सीकी ग्राम में शमशेर का डेरा तक लम्बाई लगभग 2 कि0मी0, 2–महुली लाला के पुरवा में सड़क का निर्माण एवं नाले पर पुल का निर्माण, 3–कोहडाड़ मार्ग खीरी मार्ग के ग्राम सिरहिर से बोझी का पुरवा से ल0 2 कि0मी0, 4–ककराही से पिपरहटा तक का सड़क का निर्माण एवं नाले के पुल का निर्माण न होने से लोगों को आने–जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। देश को आजाद हुए इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी गांवों का विकास होने में सबसे महत्वपूर्ण पक्की सड़क एवं नाली पर पुल होता है। पक्की सड़क एवं नाले पर पुल न होने से लोगों का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध है तथा आवागमन भी बाधित है। जिससे क्षेत्रीय एवं पूरे गांववासियों को सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पक्की सड़कों का निर्माण एवं नाले पर पुल का निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि बलिया जनपद में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुत धांधली हो रही है। पात्रों को चयनित लिस्ट में अपने व्यक्तियों का चयन किया गया है। शासन द्वारा 20 (बीस) प्रतिशत कोटा जो अल्पसंख्यकों के लिये निर्धारित था, उसको भी ग्राम सभा वार्ड न देकर कुछ गांव में सीमित कर दिया गया है और वहीं भी कोटे के अनुसार पात्रों का चयन न करके रिक्त घोषित कर दिया गया है। जिला समाज कल्याण विभाग में धोखाधड़ी एवं हेरा–फेरी एवं धन उगाही का कार्य बहुत दिनों से चल रहा है। इस विभाग में 20 साल से जो बाबू बैठे हैं, यह शासन के मन्शा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं और केवल धन उगाही करके प्रधानों का भी शोषण कर रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं बड़े पैमाने पर समाजवादी पेंशन योजना एवं वृद्धा पेंशन में हेरा–फेरी किया गया है। मेरे क्षेत्र में ग्राम पूर, किकौड़ा, डुहाखेड़ा, सीसोटार, नटहनी, जिगिढ़सर खढ़सरा एकइल, करसी, मवानगर, बिजलीपुर, मझवलिया, खडसरा, पकड़ी, उक्सी, एकईल, सरवी, मुडेरा, भरहनी आदि अनेक गांव जनता में जबरदस्ती शिकायत एवं आक्रोश व्याप्त है। मैं इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। सम्बन्धित अधिकारी एवं बाबू घोर अनियमितता किये हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से कार्यवाही किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु मांग करता हूं।,

नीलगायों द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा–

ख्महोदय, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नीलगायों की बढ़ती आबादी किसानों के लिये एक विकराल समस्या का रूप लेती जा रही है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा क्षति किसानों को नीलगायों से हो रही है। नीलगायों की आबादी अन्य संरक्षित जन्तुओं की अपेक्षा कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि बर्बादा हो रही किसानों की फसल सम्बन्धी जनहित को ध्यान में रखते हुए नीलगायों की बढ़ती आबादी रोकने हेतु बन्ध्याकरण या किसी अन्य व्यवस्था देने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।,

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में निर्माणाधीन द्रौपदी थीम पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह–

ख्महोदय, पांचाल प्रदेश की राजधानी अहिक्षेत्र स्थित रामनगर विधान सभा आंवला जनपद बरेली में वर्ष 2008–09 में द्रोपदी थीम पार्क का निर्माण पर्यटन विभाग के द्वारा कराया गया था जो पूर्व से स्वीकृत था। इसमें महाभारत कालीन दृश्य जैसे खौलते गरम तेल में मछली की परछाई पर अर्जुन के द्वारा बाण मारा जाना इत्यादि। बाहर से आये पर्यटकों को ठहरने व खेल इत्यादि का निर्माण कार्य कराया गया है परन्तु यह अभी अधूरा है। इस कार्य को पूरा कराये जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने हेतु बजट आवंटन कराये जाने की मांग करता हूं।,

लखनऊ महानगर स्थित लोहिया पार्क में भूमिगत पैदल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'–

ख्महोदय, लखनऊ गोमती नगर में गोमती बैराज की ओर से फैजाबाद रोड की ओर जाने वाला लोहिया पथ अत्यन्त व्यस्त राजमार्ग है। गोमती नगर में प्रवेश के लिये यह मुख्य मार्ग है। लोहिया पार्क के पास बने इस मार्ग पर एक सड़क इन्दिरा नगर, जुगौली, नेहरू इन्क्लेव, विश्वास खण्ड–3 की ओर से चौराहे को पार करती हुई विजय खण्ड, विशाल खण्ड विपुल खण्ड होते ही शहीद पथ की ओर आती है। यातायात का चारों ओर से अत्यधिक दबाव होने के कारण इस चौराहे पर दुर्घटना की सम्भावना सदैव रहती है। वाहनों की अधिकता के कारण वरिष्ठ नागरिकों तथा द्विपहिया वाहनों का इस चौराहे को पार करना असम्भव सा ही हो जाता है। यहां पर अनेक बार कई दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं। यदि विश्वास खण्ड–3 की ओर से उजरियांव कर्बला के बगल वाली सर्विस रोड का (जो चौराहे के नीचे तक जाती है) भूमिगत पैदल मार्ग बनाकर विजय खण्ड वाले चौराहे के दूसरी ओर वाली सर्विस रोड से मिला दिया जाय तो इस समस्या का निदान हो जायेगा। इससे स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी तथा चौराहे पर यातायात का दबाव भी कम हो जायेगा। जनहित में उक्त स्थान पर भूमिगत पैदल मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गोमती नगर लखनऊ के लोहिया पार्क चौराहे पर विश्वास खण्ड–3 की ओर से विजय खण्ड, विशाल खण्ड, विपुल खण्ड होते हुए शहीद पथ तक जाने वाले मार्ग पर चौराहे के नीचे भूमिगत पैदल मार्ग के निर्माण की मांग करता हूं।,

जनपद अमरोहा के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय समेत कई अन्य संस्थानों द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति वितरण में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना–

ख्महोदय, जिला अमरोहा में स्थापित निजी विश्वविद्यालय वेंकटेश्वर एवं कुछ अन्य निजी इंजीनियरिंग संस्थानों ने वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति में अनेकों अनियमितताएं की हैं। वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में एम0बी0ए0 के एक शैक्षणिक सत्र में 455 छात्र अनुसूचित जाति सहित कुल 520 छात्रों की छात्रवृत्ति व प्रतिपूर्ति शुल्क वसूला गया। निजी कालेज जिन्होंने उपरोक्त तीन वर्षों में से किसी भी एक शैक्षणिक सत्र में 40 लाख से ऊपर छात्रवृत्ति/प्रतिपूर्ति शासन से प्राप्त किया है। जांच हेतु संस्थानों छात्रों की जाति, प्रमाण–पत्र, छात्रों की यूनिवर्सिटी से सम्बद्धता एवं संस्थानों द्वारा यूनिवर्सिटी में प्रेषित छात्रों की सूची व छात्रवृत्ति के लिये उपलब्ध कराई गई सूची में भारी असमानता, अनियमितता व घोटाले के प्रमुख बिन्दु हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करके धन वसूली की मांग करता हूं।,

जनपद पीलीभीत स्थित विभिन्न गन्ना मिलों द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्महोदय, जनपद पीलीभीत गन्ना उत्पादन की दृष्टि से श्रेष्ठ है। जहां की हिन्दुस्तान बजाज चीनी मिल मकसूदापुर (शाहजहांपुर) पर 18 दिसम्बर, 2015 तक 758. 32 लाख रु0 हिन्दुस्तान बजाज शुगर इकाई वरखेड़ाकला (पीलीभीत) पर 1228.87 लाख रु0 एल0एच0 शुगर फैक्ट्री पीलीभीत पर 708.65 लाख रु0। इसी प्रकार जनपद की किसान सहकारी चीनी मिलों में ही बीसलपुर एवं पूरनपुर पर भी काफी गन्ना मूल्य भुगतान अवशेष है। यह अवशेष 5 फरवरी तक का है और अब तो काफी बड़ा भुगतान अवशेष होगा। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी 65.44 करोड़ रु0 चीनी मिलों पर शेष है। बजाज चीनी मिल ने कृषकों से गन्ना मूल्य भुगतान का लिखित समझौता भी किया है। परन्तु दो माह के उपरान्त भी समझौता के अनुरूप भुगतान नहीं हुआ है। इसीलिये विगत वर्ष 2013–14 का भी गन्ना मूल्य अवशेष है। यह समस्त चीनी मिलें राखी, मैली, धुआं तथा विसर्जित गन्दे पानी से प्रदूषण करके पर्यावरण को भी क्षतिकारित करती है। परन्तु विकास के कार्यों की उपेक्षा करती है। गन्ना मूल्य का

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

भुगतान न होने के कारण गन्ना उत्पादक परेशान है तथा कृषकों के उत्थान में बाधक है। इसी प्रकार उ0 प्र0 की अन्य चीनी मिलों पर भी गन्ना मूल्य अवशेष है परन्तु सपा सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत औचित्य के अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराये जाने की कृपा की जाय।,

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद समेत अन्य अस्पतालों में शिक्षण स्टाफ की कमी को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव–

ख्महोदय, आयुष विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद एवं अन्य की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार होम्योपैथिक परिषद् (सी0सी0एच0) के मानकानुसार होम्योपैथिक कालेजों के संचालन हेतु सभी विभागों में कम से कम एक लेक्चरर तथा एक प्रोफेसर अथवा एक रीडर की तैनाती आवश्यक रूप से होना अनिवार्य है अन्यथा मान्यता रद्द हो जायेगी।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक कालेजों जैसे गाजीपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़ में फिजियोलॉजी विभाग में न तो कोई लेक्चरर तैनात हैं और न ही कोई प्रोफेसर अथवा रीडर ही तैनात किया गया है और विभाग पूर्णतयः बन्द है। वहीं दूसरी ओर फैजाबाद के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में फिजियोलाजी विभाग में प्रोफेसर का पद खाली न होने के बावजूद भी अतिरिक्त रूप से तैनाती कर दी गयी है जोकि पूर्णतः औचित्यहीन है। विभाग में अतिरिक्त रूप से तैनात चिकित्सक को उन चिकित्सा महाविद्यालयों में से किसी एक जगह स्थानान्तरित किया जाना जनहित में होगा जहां पर फिजियोलॉजी विभाग पूर्णतः बन्द हैं और मान्यता खतरे में है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद फैजाबाद के राजकीय होम्योपैथिक कालेज के फिजियोलॉजी विभाग में अतिरिक्त रूप से तैनात प्रोफेसर को किसी ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानान्तरित किये जाने जहां पर फिजियोलॉजी विभाग पूर्णतः बन्द है और मान्यता खतरे में है, की मांग करता हूं।,

गोरखपुर नगर निगम द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को वन विभाग द्वारा रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

ख्महोदय, गोरखपुर महानगर में, महानगर की सीमा समाप्त होते ही महानगर के अन्तिम छोर पर स्थित वार्ड संख्या–18 के अन्तर्गत रानीडीहा और खालेटोला मोहल्ले आते हैं। जिसमें हजारों की संख्या में नागरिक पचासों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं और मोहल्ले के अन्तिम छोर पर ईसाई मिसिनरीज द्वारा संचालित स्टेन्ट–स्टीफेन स्कूल स्थित है जिसमें 1500 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मोहल्ले के ठीक बगल से वन विभाग की जमीन शुरू होती है। मोहल्ले के सभी नागरिकों एवं विद्यालय के सभी छात्र–छात्राओं तथा स्टाफ और उनकी बसों के आने–जाने के लिये नगर निगम द्वारा वन विभाग के सीमान्त पर करीब 10–12 फिट चौड़ी सड़क (खड़न्जा) बनवाई गयी थी। जिसका प्रयोग नागरिक आवागमन हेतु पहले 30–35 वर्षों से करते चले आ रहे हैं।

इस कच्ची सड़क में पूर्व तरफ अर्थात् सड़क और वन विभाग की जमीन के बार्डर पर वन विभाग की जमीन में ही 30 वर्ष पूर्व बिजली के खम्भे लगाकर पूरे क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति भी की गयी है। अर्थात् सड़क और विद्युत आपूर्ति के खम्भों पिछले 30 वर्षों से वन विभाग की अन्तिम सीमा पर वन विभाग की जमीन पर स्थापित है तथा सड़क का आवागमन तथा खम्भों का विद्युत आपूर्ति हेतु पिछले 30 वर्षों से निर्बाध रूप से उपयोग होता चला आ रहा है।

इस सड़क के अत्यधिक जीर्ण–शीर्ण होने तथा ककरीली सड़क पर शीशे के कारण नागरिकों के चोटिल होने के कारण नगर निगम में सड़क के जीर्णोद्धार हेतु धन अवमुक्त किया और निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जिसे वन विभाग के अधिकारियों ने रुकवा दिया।

यह सुरक्षित आवागमन का प्राधिकार नागरिकों का मूल अधिकार है तथा पुराने चलते चले आ रहे रास्ते का अनावश्यक रूप से रोका जाना ईजमेन्ट एक्ट का उल्लंघन है।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम–301 के तहत सरकार को पटल पर वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करें।,

जनपद महाराजगंज स्थित नारायणी नदी के बांधों का अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुंवर कौशल सिंह–

ख्महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद महराजगंज में जहां नारायणी नदी नेपाल राष्ट्र से प्रवेश करती है, बंधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव सही ठंग से न होने के कारण कृषकों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि नदी में विलीन हो चुकी है और कृषक भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। अन्तराष्ट्रीय बांध नेपाल में स्थित बी गैप, ए गैप व महराजगंज में स्थित नारायणी छीतौनी तट बंधों के रख–रखाव के लिये वर्ष 2013–14 व 2014–15 में लगभग 100 करोड़ से अधिक की धनराशि सरकार द्वारा दिया गया था। जिसका सही इस्तेमाल न कराकर फर्जी व कूटरचित तरीके से अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता की मिलीभगत से फर्जी पेपर तैयार करके स्वयंहित में पैसा निकाल लिया गया है। धन जहां जिस कार्य के लिये दिया गया है उसका उस परियोजना पर न व्यय करके अपने हिसाब से शासनादेश विरुद्ध कूटरचित अभिलेख के माध्यम से व अवर अभियन्ताओं के नाम टी0आई0 एवं फर्जी आपूर्ति आदेश के माध्यम से निकाल लिया गया है। शासन द्वारा शासनादेश में स्पष्ट है कि अधिशासी अभियन्ता आपूर्ति लेने से पूर्व अपने

उच्चाधिकारी से अनुमति लेगा और एक बार में केवल एक लाख रुपये तक की आपूर्ति आदेश दे सकता है जबकि वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता तैनात हैं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रुपया 5 लाख से 20 लाख रुपया तक का आपूर्ति आदेश एक ही बार में ले ली गयी है जो वित्तीय हस्तपुस्तिका के खिलाफ है। इनके द्वारा फर्जीवाड़ा कर मात्र 36 दिन में ही करोड़ों की सम्पत्ति अपने नाम से रजिस्ट्री/बैनामा के माध्यम से तैनाती जिले व मण्डल में ली गयी है। शासन द्वारा वार्षिक मरम्मत मद में प्राप्त करोड़ों रुपया से इन्होंने कोई कार्य नहीं कराया है। समस्त पैसों का बंदरबांट कर टी0आई0 के माध्यम से ही भुगतान कर लिया है। फर्जी पेपर तैयार कर सारा शासकीय धन का बंदरबांट कर लिया गया। 24 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी ठोकर सं0–12 को नहीं बचाया जा सका और ठोकर नदी में विलीन हो गया। जनपद महराजगंज में स्थित नारायणी छीतौनी बांध पर वर्ष 2014–15 में दो अदद स्परों का निर्माण व नदी किनारे पर कूपाइन डालने का कार्य किया जाना था। उक्त स्परों के निर्माण अपस्ट्रीम में 60ग24 मी0 में 5 लेयर में जी0ओ0 बैग डालना था तथा डाउन स्ट्रीम 30ग24 मी0 में 5 लेयर में जी0ओ0 बैग डालना था। ऐसा नहीं किया गया और एक लेयर ही जी0ओ0 बैग डाला गया जबकि दोनों स्परों को मिलाकर 1 लाख 25 जी0ओ0 बैग खपत करना था। एक जी0ओ0 बैग की कीमत रुपया 165.00 सरकारी रेट बमुश्किल 10 हजार जी0ओ0 बैग में ही सारा काम को निपटा दिया गया और फर्जी बिल तैयार कराकर स्वयं हित में भुगतान ले लिया गया। जनहित एवं लोक महत्व का प्रकरण है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

कानपुर नगर की मलिन बस्तियों पटेलनगर एवं सदानन्द नगर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर, कानपुर नगर की मलिन बस्ती पटेल नगर एवं सदानन्द नगर में मूलभूत सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है। सड़क पूरी तरह से कच्ची है तथा नालियां भी नहीं हैं जिससे जलभराव की समस्या भी है। सीवर लाइन न होने से स्थिति और भी खराब हो जाती है। पूरे क्षेत्र में न तो सड़क है, न ही नाली, सीवर अथवा पेयजल की कोई व्यवस्था है। स्थानीय लोगों को नारकीय जीवन जीने पर विवश होना पड़ रहा है। कई बार स्थानीय स्तर पर मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में मांग की गयी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मलिन बस्ती पटेल नगर एवं सदानन्द नगर में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद लखनऊ के नेपालगंज क्षेत्र के तालाब में हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद लखनऊ के नेपालगंज तेलीबाग, रायबरेली रोड, लखनऊ की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां डिफेन्स कालोनी के पास से तेलीबाग बाजार तक नेपालगंज के पीछे से एक तालाब है जिसमें दिन पर दिन अतिक्रमण होता जा रहा है। वर्तमान में डिफेन्स कालोनी की तरफ से प्रापर्टी डीलरों द्वारा मिट्टी डालकर तालाब को पाटकर प्लाटिंग कर बेच दिया जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है।

बारिश के मौसम में तो तालाब भर जाने से तालाब के उस पार की बस्ती जिसमें भारतीय गोरखाओं/एक्स सर्विस मैन के लोगों के घर मकान एवं दुर्गा मन्दिर है जिसमें पानी भर जाता है तो पम्प की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कर कम किया जाता है। किन्तु तालाब को मिट्टी से पाटकर प्लाटिंग कर बेचने से वर्तमान में तालाब का जल स्तर बढ़ जाने से उस पार के लोगों का चलना–फिरना व मन्दिर जाना दूभर हो गया है। उन्हें तालाब से गिर रहे अत्यन्त गन्दे पानी से होकर जाना पड़ रहा है।

ड्रेनेज की व्यवस्था जो तेलीबाग बाजार से बनाई गयी थी वो ऊंची होने के कारण तालाब के पानी की निकासी नहीं हो पाती है।

उपरोक्त समस्या के निदान, गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था यथाशीघ्र कराते हुए तालाब का कुल रकबा कितना है कितने लोगों ने तालाब का अतिक्रमण कर रखा है इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कराने व तालाब की जमीन को पास कर उसमें प्लाटिंग कर बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु इसे नियम–301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के शहीद नगर में ईदगाह बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद की शहीद नगर की आबादी मुस्लिम बाहुल्य है, किन्तु इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिमों के ईद के अवसर पर त्योहार मनाये जाने हेतु ईदगाह न होने से यहां के निवासियों को अपना त्योहार निराशाजनक स्थिति में मनाना पड़ता है। यहां की जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद की शहीद नगर में ईदगाह बनाये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख12.02 बजे, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 09 मार्च, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचनायें प्राप्त हुयीं तीनों अग्राह्य हैं कोई पोषणीय नहीं हैः–

पहली सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा के जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130 बीसलपुर में मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्यों जैसे यात्री छादक, शवदाह गृह, स्टेडियम, रैन बसेरा, वृद्धाश्रम आदि–आदि की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी विकास कार्य सम्पन्न न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

विधायकों को विधायी कार्य हेतु वांछित मूल्य के भुगतान के पश्चात् लैपटाप उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की क्षेत्रीय विकास निधि के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों के अन्तर्गत मा0 विधायकों को विधायी कार्यों हेतु लैपटाप उपलब्ध कराने के लिये वांछित मूल्य के भुगतान के दो माह पश्चात् भी लैपटाप उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह कोई 300 का मामला नहीं है यह तो आप नियमों में देते। आप इसे नियम–51 में देते, 301 में देते, यह नियम–56 में देते, यह 300 में नहीं बनता है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी विधायी कार्य हेतु आपने विधायकों को लैपटाप देने की योजना बनाई और इसी सदन ने उसको स्वीकृत करके कहा कि विधायी कार्य के लिए लैपटाप दिया जाए। इसके लिए सात महीने में सात शासनादेश जारी किये गये और सात शासनादेशों में यह कहा गया कि जो भी मा0 विधायक लैपटाप के लिये मांग करेंगे, उनकी मांग के अनुरूप उसके मेक मॉडल सहित उसको एक हफ्ते के अंदर उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा। मान्यवर, मैंने इसको 15 दिसम्बर, 2014 को सी0डी0ओ0 इलाहाबाद को दिया। उन्होंने इस हेतु ड्राफ्ट भी यहां भेज दिया। सवाल इस बात का है कि हम लोग हर जगह हर काम में एक एजेंसी लगा देते हैं और वह एजेंसियां काम नहीं करती। इसके लिए जबकि एक सी0डी0ओ0 जिले में निर्धारित है कि कोई भी प्रस्ताव देते हैं चाहे विकास काम के लिए चाहे वह किसी भी अन्य काम के लिए हो वहीं उसको स्वीकार करें। कई बार मैंने इसको कहा। मा0 मंत्री जी से भी कहा कि लैपटाप की भी व्यवस्था जिला स्तर से की जाए। उसमें कोई खराबी आती है कोई मरम्मत आती है तो वहां से उसको किया जाना चाहिए। लेकिन उसमें यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड डाल दिया गया। यह कमीशन भी लेते हैं और ठीक से सप्लाई भी नहीं करते हैं। कम्पनियों के साथ इनकी सांठ–गांठ रहती है। यह पुराने लैपटाप को नया बनाकर पेश कर देते हैं। मान्यवर मुख्य समस्या यह है इनको लैपटाप न देने का। अब इनको कोई मिलेगा फिर उसे ठीक करायेंगे तब इसकी सप्लाई की जायेगी। इसलिए मान्यवर, मैं यह चाहता हूं

कि आप इस पीठ से निर्देश दें कि लैपटाप की व्यवस्था सी0डी0ओ0 से कराई जाए, बीच की एजेंसी खत्म की जाए और इस मामले की जॉच करके जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत ही वैलिड है। यह एक अनावश्यक यूपी इलेक्ट्रानिक को जोड़ करके भ्रष्टाचार की एक श्रृंखला चला दी गई और लैपटाप एक ऐसी चीज है कि हमने आज मांगा और आठ महीने बाद मिली तो आठ महीने बाद उसका पूरा स्पेसिफिकेशन बदल जाता है और आठ महीने में वह लैपटाप पुराने दर्जे का हो जाता है। यह अनावश्यक रूप से अधिकारियों ने मिल करके खेल खेला है कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक जैसी संस्था जो घाटे में चल रही है उसको जिंदा करने के लिए है। और उसके शोषण के शिकार हम मा0 विधायक होते हैं। इसलिए जो मा0 सदस्य कह रहे हैं हम सी0डी0ओ0 को जो ब्रांड लिख करके दें और जो स्पेसिफिकेशन लिख करके दें हमें अधिकार होना चाहिए। रेट तो वह मांगेगे, सप्लाई वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

पहले तो जब हम लोगों को यह आया था विधायक निधि से तो अपट्रान देता था। सी0डी0ओ0 से कह दिया जाता था, सी0डी0ओ0 अपट्रान से मगॉकर दे देते थे। अब इसमें व्यवस्था में बदलाव आ गया है क्या ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर डेढ़ साल सप्लाई में लेते हैं।

राज्य सभा एवं लोक सभा की भांति प्रदेश में प्रसारण हेतु बजट की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अच्छा हम इसको बात करके दिखवा लेगे। (मा0 विधायक श्री सतीश महाना जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर) अब आप क्यों खड़े हो गये हैं। नहीं वह पोषणीय नहीं है महाना जी। राज्य सभा, लोक सभा के समान आप यहां प्रसारण कराइये। उसके लिये बजट की व्यवस्था होती है। वह बजट हमारे पास नहीं है। इस पर बहुत दिनों से चर्चा हुयी है। हम लोगों को इसके लिए बुलाया भी गया था, पार्लियामेण्ट के स्पीकर साहब से बात भी हुई थी पुराने चटर्जी साहब से। हमने मांग की थी कि पार्लियामेण्ट के पास बहुत पैसा है हमको उसमें से दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास यह संभव नहीं है। यह हो ही नहीं सकता। अब अगर आपको बोलना है तो आप ऐसे ही बोलते रहिए यह मैंने समग्र नहीं किया।

ख 12.06 बजे, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–221/ग्यारह–9(27)–2014–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(128)–2015[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

---

† Nkih ugha x;hA

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–221/ग्यारह–9(27)–2014–उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(128)–2015, दिनांक 13 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–222/ग्यारह–9(223)–2012–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(129)–2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–222/ग्यारह–9(223)–2012–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(129)–2015, दिनांक 13 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–16–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[४४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–16–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2010 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2010 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–11–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–11–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

[††] Nkik ugha x;kA

[†] Nkik ugha x;kA

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–10–2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–10–2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–14–2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–14–2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का तेरहवां प्रतिवेदन[†]

श्री उदय राज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का तेरहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998–1999 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

ख 12.10 बजे, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का चौदहवां प्रतिवेदन४

श्री उदय राज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का चौदहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2008–2009 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन४

श्री उदय राज–

---

† Nkik ugha x;kA

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का पंद्रहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2001–2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित द्विप्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन से सम्बंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का सोलहवां प्रतिवेदन४

श्री उदय राज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का सोलहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1996–1997 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से सम्बंधित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2005–2006 के बीसवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का सत्रहवां प्रतिवेदन४

श्री उदय राज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का सत्रहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2000–2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बंधित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2003–2004) के चौदहवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन[४]

श्री उदय राज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2008–2009 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का उन्नीसवां प्रतिवेदन४

श्री उदय राज–

---

† Nkik ugha x;kA

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का उन्नीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2002–2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वन निगम से सम्बंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

ख12.12 बजे, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–17 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–18।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 03 मार्च, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 04 मार्च, 2015 से दिनांक 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 04 मार्च, 2015 को सदन का उपवेशन न हो।

2–दिनांक 10 मार्च, 2015 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ली जायं।

3–दिनांक 11 मार्च, 2015 को श्री मुख्तार अंसारी, श्री अखिलेश सिंह, कुं0 कौशल सिंह, श्री राधेश्याम सिंह व अन्य सदस्यगण की नियम–56 की एक घण्टे की चर्चाधीन सूचना की मद को नियम–51 के अन्तर्गत ली जाने वाली सूचनाओं से पहले ली जायं।

4–दिनांक 13 मार्च, 2015 को डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा की नियम–52 की एक घण्टे की चर्चाधीन सूचना की मद ली जाय।

5–तद्नुसार दिनांक 04 मार्च, 2015 से दिनांक 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

<u>मार्च, 2015</u>

04 बुधवार	बैठक नहीं होगी।
05 गुरुवार 06 शुक्रवार 07 शनिवार 08 रविवार	(होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
09 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा।
10 मंगलवार	1–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं उसका पारण। 2–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा।

11 बुधवार 1–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (अन्तिम दिन)।

2–नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवनजी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुख्तार अंसारी, श्री अखिलेश सिंह, कुं0 कौशल सिंह, श्री राधेश्याम व अन्य सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चाधीन सूचना पर अग्रतर एक घण्टे की चर्चा।

12 गुरुवार वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

<u>मार्च, 2015</u>

13 शुक्रवार 1–असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2–विधायी कार्य (आधा दिन)।

3–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु निम्नलिखित सूचना पर अग्रतर चर्चा :–

''पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में।''

14 शनिवार
15 रविवार } बैठक नहीं होगी।

16 सोमवार
17 मंगलवार
18 बुधवार
19 गुरुवार } वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

20 शुक्रवार 1–असरकारी दिवस (आधा दिन)।
2–विधायी कार्य (आधा दिन)।

21 शनिवार
22 रविवार } बैठक नहीं होगी।

23 सोमवार
24 मंगलवार
25 बुधवार
26 गुरुवार } वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

27 शुक्रवार 1–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशे जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी हैं, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख12.17 बजे, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–19 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–20।

आज दिनांक 09–03–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

प्रथम सूचना (1) श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री मनीष असीजा, श्री रामचन्द्र यादव, श्री आशुतोष टण्डन गोपाल जी, (2) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई (3) डा0 धर्मपाल सिंह (4) श्री सन्त प्रसाद (5) ठा0 दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट' की प्रदेश के

कतिपय मण्डलों में दिनांक 26 फरवरी, 2015 से 03 मार्च, 2015 के मध्य हुई ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से किसानों को हुये नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना (1) श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्या, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, चौधरी गजेन्द्र सिंह, श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू, श्री कालीचरन सुमन, श्री बब्बन सिंह, श्री मो0 इकबाल, श्री अली युसुफ अली, श्री उमेश पाण्डेय, श्री रामहेत भारती, श्री सन्त राम कुशवाहा, श्री वहाब चौधरी, श्री राधेलाल रावत, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री सुल्तान बेग, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री त्रिभुवन राम, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री उदय लाल मौर्य (2) श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री दलजीत सिंह, कुं0 कौशल सिंह, श्री गयादीन अनुरागी, श्रीमती उमाकान्ती, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री राधे श्याम, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की प्रदेश में बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं:–

1–श्रीमती सीमा

2–श्री मनीष असीजा

3–श्री अगयश राम सरन वर्मा

4–श्री लोकेन्द्र सिंह

5–श्री बब्बन सिंह

6–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत

7–श्री इन्द्रपाल सिंह

8–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल

9–श्री अजय कुमार 'लल्लू'

10–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल

11–श्री जय प्रकाश निषाद

12–श्री रामवीर उपाध्याय

13–श्री अवस्थी बाला प्रसाद

14–श्री रामचन्द्र यादव

मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी ग्राह्यता पर संक्षेप में बोलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपने प्रदेश में असामयिक अत्यधिक वर्षा के सम्बन्ध में मेरी नियम–56 की सूचना पर ग्राह्यता पर बोलने का हमें अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक सूचना/जानकारी देना चाहता हूं कि आज ही बजट पर साधारण चर्चा भी है, तो जो विषय यहां अब उठाये जायें उन्हें वहां न उठाया जाय, यह ध्यान रहे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह प्रदेश की एक ऐसी समस्या है जो असामयिक वर्षा से उत्पन्न हुई, मान्यवर 28 फरवरी और 01 व 02 तारीख को चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो या बुन्देलखण्ड हो, पूरे प्रदेश में बेतहाशा वर्षा हुई और वर्षा के कारण विशेषरूप से गेहूं, चना, मटर, आलू इसकी खेती को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, सरसों, मसूर, दलहन, तिलहन भी उसमें है, ये जितनी भी फसलें थीं, उन फसलों को बहुत भयंकर नुकसान हुआ। गेहूं की फसल हवा चलने से बुरी तरह से गिर गई और किसी–किसी तहसील में तो मान्यवर, पूरी की पूरी फसल जहां पर गेहूं पहले ही बो दिया गया था, जिन लोगों के खेत खाली थे, जहां पर गन्ना नहीं होता है मान्यवर, वह लोग पहले ही गेहूं बो देते हैं तो उनकी पूरी फसल बरबाद हो गई, उनके पास कुछ भी नहीं रहा और सारी योजनायें किसान इसी आधार पर बनाता है कि उसकी फसल होगी, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, शादी–विवाह या और भी जितने जरूरी खर्चे हैं, सारे के सारे इस बात पर निर्भर करते हैं कि किसान की फसल कैसे हुई और सारे सपनें किसान इसी आधार पर देखता है कि वह उसी से अपने सारे खर्चों की भरपाई करेगा, इसलिए मान्यवर एक तरह से उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है और इसमें सरकार ने संज्ञान लेकर जिलों से रिपोर्ट जरूर मांगी है, लेकिन समाचार–पत्रों का सामान्यतया संज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन और कोई माध्यम भी नहीं है। मान्यवर, कहा गया कि 50 परसेण्ट से ज्यादा नुकसान होगा तो 45 सौ पर हेक्टेयर और 09 हजार रुपये पर हेक्टेयर का वह दिया जायेगा। मान्यवर, मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि एक तो इतनी जल्दी में चार तारीख तक सरकार ने रिपोर्ट मांगी, इतनी जल्दी में सर्वे होना सम्भव नहीं था कि यह सर्वे होता और सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आती, सरसरी तौर पर मान्यवर उसके ऊपर सर्वे करवा लिया गया और उन्होंनें प्रथम दृष्टया एक आंकलन कर लिया कि 5, 6, 7 गांव में पानी बरसा तो उन्होंने कहा कि 20 परसेण्ट और अगर पूरी तहसील में पानी बरसा तो कहा कि 30 परसेण्ट, उसके लिए कोशिश की गई कि किसी तरीके से जो मानक हैं राजस्व विभाग के उससे किसी तरह से बचा जाय। उद्देश्य मान्यवर यह होना चाहिए कि ऐसे मौके पर किसानों के आंसू जरूर पोछे जांय, जो उनके ऊपर इस मुसीबत का पहाड़ टूटा है मान्यवर, कुछ न कुछ राहत जरूर मिल जाय। इस सवाल को, इस कार्य–स्थगन के प्रस्ताव को उठाने का आशय भी यही है कि किसानों के आंसू पोछे जायं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड वह जगह है, कल मैं चित्रकूट में था और खासतौर से वहां के लोग आंसू बहाकर रो रहे थे, मैं आपके सामने विशेष रूप से बुन्देलखण्ड के तथ्य रखना चाहता हूं। मान्यवर, श्री बिहारी लाल अहिरवार और श्री शिवमंगल प्रसाद शुक्ला, ये 2 लोग महोबा में मरे, इनकी मौत सदमें से हुई। जैसे ही ये अपना खेत देखने गये सदमें से इनकी मौत हो गई। ये गिर पड़े और इनको हार्ट अटैक

हो गया, इनकी मौत हो गई। मान्यवर, हाथरस में एक व्यक्ति शंकर लाल की सदमें से मृत्यु हुई, मात्र 15 बीघा जमीन उसके पास थी। अमेठी के अमरनाथ उम्र 45 वर्ष ने फांसी लगा ली, जब इन्होंने देखा कि पूरा खेत बरबाद हो गया और इनके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी। मान्यवर, हमीरपुर के राजा भईया तिवारी उम्र 68 साल, इनकी भी मौत सदमें से हुई। मान्यवर, इन्द्रपाल ने भी फांसी लगा ली, ये पुनेहटा गांव हमीरपुर के हैं, इन्होंने भी फसल बरबाद होने की वजह से फांसी लगा ली। मान्यवर, उन्नाव के वीरेन्द्र सिंह की भी खेत में मौत हो गई। मान्यवर, राम स्वरूप पटेल और बदरेही गांव के श्री इन्द्रपाल गौतम, इनकी भी सदमें से मौत हुई और ये चित्रकूट के रहने वाले हैं। मान्यवर, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार अभी तक 9 लोगों की मौत सदमें से, हार्ट अटैक से या फांसी लगा के हुई है जिनके सामने पूरी तरीके से अनिश्चितता की स्थिति थी, जिनके भविष्य के सामने अंधेरा था, जिनके सामने भुखमरी का संकट हो गया और वे यह निर्णय नहीं ले पाये कि हम क्या करें तो उनके सामने केवल एक ही रास्ता बचा और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। मान्यवर, यह अत्यन्त पीड़ादायक स्थिति है। मैं समझता हूं कि सरकार को भी पूरी संवेदना के साथ इस विषय को लेना चाहिये। ये ऐसी दैवी आपदा है जिस पर किसी का बस नहीं था लेकिन आंसू पोछने का काम सरकार को करना चाहिये। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं और इस कार्य–स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसमें संवेदनशीलता का परिचय सरकार को देना चाहिये। मान्यवर, सरकार की जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये कहीं बनता नहीं है। ये कहेंगे कि वह जब तक 50 परसेण्ट नहीं होगा तब तक हम नहीं देंगे तो मेरा कहना यह है कि ऐसे मौके पर चाहे मानकों को शिथिल करना पड़े, विशेष परिस्थिति को देखकर, विशेष स्थिति को देखकर, किसानों के संकट को देखकर क्योंकि इसमें सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ है, उसके बाद 7 और 8 तारीख को भी वर्षा हुई और कुछ स्थानों पर ओले भी पड़े हैं। जैसे बागपत है, मेरठ है, सहारनपुर है इन जगहों पर ओले भी पड़े हैं और इन जगहों पर फिर से दोबारा नुकसान हो गया। मान्यवर, मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो हमारी सूचना है वह अधिकांश स्थानों पर 40 से 50 परसेण्ट तक वर्षा हुई और 40–50 परसेण्ट से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ। अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, रायबरेली जहां पर ओले गिरे। बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर जहां पर 50 परसेण्ट से ज्यादा का फसल का नुकसान हुआ है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद जहां पर गेहूं और तिलहन की फसल पूरी तरीके से बरबाद हो गयी और 40 परसेण्ट से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है। मेरा इस बात पर विशेष रूप से बल है कि ऐसे मौके पर जो पुराने मानक हैं या राजस्व विभाग का शासनादेश है तो चाहे उनको थोड़ा शिथिल करना पड़े किसानों के आंसू पोछने के लिये और अगर मानक को 33 परसेण्ट पर ले आयेंगे तो बहुत से लोगों के आंसू पुछ जायेंगे। आपने मुझे इस कार्य–स्थगन के प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता, भाजपा ने कार्य–स्थगन के प्रस्ताव पर जो बिन्दु रखे हैं उन सबसे अपने आपको सम्बद्ध करता हुआ और उनमें से किसी को न दोहराते हुये मैं 5 बिन्दुओं पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हम लोग गोरखपुर से लखनऊ आ रहे थे, आप भी आये हैं। आज भी बारिश हुई है और रातभर बारिश हुई है इसलिये यह 28 फरवरी के बाद से खत्म होने वाली बात नहीं है, अभी लगातार चलने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप भी पूर्वांचल से आते हैं और आपने हुद–हुद की मार देखी है। इसी सदन में पिछली बार जब हम ये मुद्दा लेकर आये थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश से जो उस समय तूफान आया था उसके नाते पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत बारिश हुई थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान एक बार बर्बाद हो चुका है और अध्यक्ष जी आपको भी अपने क्षेत्र के माध्यम से जानकारी होगी, नियमों के कारण उस समय भी किसी को मुआवजा नहीं मिला था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला इसलिए अलग है, क्योंकि एक बर्बादी हम सह चुके हैं, खरीफ के समय और फिर दूसरी बर्बादी हम सह रहे हैं इस समय, इसलिए यह हमारे किसानों को दोहरी मार पड़ी है। सरकार की जागरूकता, उस समय भी हमने बहुत मजबूती के साथ इस सदन में कहा था चूंकि यह मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले पा रही है, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। आप इसके गवाह हैं। सदन इसका गवाह है। आज हम दोहरी मार पा रहे हैं। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का मूल्यांकन अलग प्रकार से होना चाहिए। दूसरी चीज अध्यक्ष जी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसान, लगभग 85 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत किसान हैं। वह अपने पेट भर का भी अनाज पैदा नहीं कर पाते हैं और यह जो अभी कुछ हुआ है, जिसमें 40 प्रतिशत गेहूं गया है, आलू की फसल तबाह हुई है, सरसों में माहो लगा है, पहले से बहुत ज्यादा, चना, मटर सबका नुकसान हुआ है। आलू का दाम आने वाले समय में 50,60,70 रुपये किलो होने वाला है। यह जो नुकसान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लघु और सीमान्त किसानों का हुआ है, यह स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं होगी। हमारा किसान जो छोटा किसान है, जो अपने पेट भरने का अनाज भी नहीं पैदा कर पाता है, आज वह इस बेमौसम की बारिश से भुखमरी का शिकार होने जा रहा है इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब सरकार को मुआवजे की बात करनी होगी तो सिर्फ मुआवजे की नहीं, इस बात की भी चिंता करनी होगी कि आने वाले समय में जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तब यह सरकार उसके लिए क्या व्यवस्था करने जा रही है ? तीसरी चीज अध्यक्ष जी, जो सरकारी नियम का हवाला माननीय नेता जी दे रहे हैं, 50 परसेन्ट का, हम लोगों ने गोरखपुर में जा करके जो आस–पास के 7 जिले हैं, आपका जिला जोड़ते हुए अध्यक्ष जी, उनका आंकलन किया, मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट इकट्ठी की, जो रिपोर्ट तैयार होकर शासन में आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से किसी को मुआवजा नहीं मिलने वाला, क्योंकि तहसील में 50 परसेन्ट

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

का नुकसान जब आधार बनेगा तो जो इंडीबिजुअल किसानों का नुकसान 50 परसेन्ट से ऊपर हुआ है, उनमें किसी को मुआवजा नहीं मिलने वाला। इसलिए यह बात कही गई कि कहीं न कहीं हमें नियमों को शिथिल करना पड़ेगा। चौथी चीज, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में बेमौसम बारिश नहीं आती है, ओले आते हैं। प्रश्न यह है कि जब सरकार इस बात को जानती है कि सिर्फ ओले ही प्राकृतिक आपदा में आते हैं, बेमौसम बारिश नहीं आती तो सरकार ने अगर मूल्यांकन कराया है, उसमें सरकार ने कोई योजना शामिल की होगी कि अगर बेमौसम बारिश आपदा में नहीं आती है और हमारे पास रिकार्ड आते हैं तो उन रिकार्ड के हिसाब से हम किसानों को क्या मुआवजा देंगे ? क्योंकि मेरे पास भारत सरकार के कृषि मंत्री का एक बयान है। उन्होंने कहा है इस बात को कि ''हां यह सत्य है कि बेमौसम बारिश आपदा में नहीं आती है'' यह उनका अधिकृत बयान है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो राज्य इस बारे में मुझे प्रतिवेदन देंगे, होली के बाद मैं उन पर विचार करूंगा, लेकिन जब तक यह विचार न हो जाए, राज्य सरकारें अपने आपदा कोष से किसानों को मुआवजा दें, भारत सरकार उसकी भरपाई कर देगी, यह अधिकृत बयान है। प्रश्न यह है कि ओला के बारे में तो ठीक है, लेकिन सरकार ने बेमौसम की बारिश के बारे में क्या निर्णय लिया है और अंतिम चीज अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा पिछले वर्ष भी हम लोग गेहूं की खरीद की बात को लेकर आए थे। इस सरकार ने अंत तक भारत सरकार से बात नहीं की कि जो गेहूं नम हो, जो गेहूं खराब हो उसके जो मानक हैं, उनको शिथिल किया जाए और गेहूं की खरीद की जाए। आज अगर हम कदम नहीं उठाएंगे, आज जिस बारिश ने हमारे गेहूं को सड़ाया है, आज समय रहते हम अगर भारत सरकार के साथ पत्राचार नहीं करेंगे और जब गेहूं की खरीद का समय आएगा, उस समय तक अगर हम नियमों को शिथिल नहीं करा पाएंगे, तो पूर्वान्चल के किसानों के साथ वही होगा माननीय अध्यक्ष जी, आप भलीभॉति जानते हैं, जो पिछली बार हुआ है, उनका गेहूं खरीदा नहीं जायेगा। मैं इन्हीं पांच बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं।

(श्री पूरन प्रकाश के खड़े होने पर)

बैठिए पूरन प्रकाश जी, आपके नेता बोल रहे हैं, आप क्यों बोलेंगे आप सात सदस्य हैं तो क्या पांच बोलेंगे, उनकी इतनी सदस्य संख्या है तो दो बोले हैं।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हमारे पूर्व साथी माननीय खन्ना जी ने और डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से पूर्वान्चल के बारे में पूरा विस्तार से बताया कि वहां पर किसान केवल अपने उदर पूर्ति भर के लिए अन्न पैदा करते हैं, मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जहां अपने उदर पूर्ति के साथ–साथ, पूरे प्रदेश और देश के लिए खाद्यान्न पैदा करता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान। मान्यवर, किसान भारी पैसा लगाकर आलू का उत्पादन करता है वह सरसों,

दलहनी फसलों का उत्पादन करता है। इन फसलों के उत्पादन में और सिंचाई व्यवस्था में उसका भारी पैसा खर्च होता है। मान्यवर, जो पिछले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है उससे उनकी फसलें बरबाद हो गयी हैं। इसमें कई किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। मान्यवर, वहां 7 और 8 तारीख को भारी बारिश हुई है। ओले गिरे हैं। मान्यवर, जो किसानों को सरकार से राहत की उम्मीद थी वह भी उनकी आशा समाप्त हो रही है। मान्यवर, जो तहसील से रिपोर्ट आ रही है वह 50 प्रतिशत से कम क्षति की रिपोर्ट दे रहे हैं। मान्यवर, आप सरकार को आदेश दें कि मान्यवर जो किसानों के फसलों की क्षति हुई है उसकी सही रिपोर्ट भेजी जाये। मान्यवर, किसान अगली फसल को लेने के लिये अपना खेत खाली करता है। जब वह आमतौर पर अपने खेत को खाली करता है तो उसमें 10 मजदूर लगते हैं परन्तु जब उसकी फसल खेत में गिर जाती है तो उसे उस खेत को खाली कराने के लिए 50 लेबर को लगवाना पड़ता है। मान्यवर, उसको मिलाकर उसकी क्षति 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। मान्यवर, सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और यहां से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे किसानों को समुचित आर्थिक सहायता पहुंचाने का। भारत सरकार के कृषि मंत्री जी का इस संबध में बयान भी आया है। मान्यवर, सरकार किसानों की क्षति को, गेहूं और अन्य फसलों को दृष्टिगत रखते हुए मुआवजा दे क्योंकि किसानों की इस प्रकार की क्षति 80 प्रतिशत तक पहुंच जाती है।

श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट–

मान्यवर, मेरे यहां बहुत क्षति हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें। इसमें बी0एस0पी0 की ओर से भी नोटिस है। माननीय पूरन प्रकाश जी कुछ लिखा नहीं जायेगा। आपकी बात हमारी समझ में भी नहीं आ रही है।

डॉ0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे किसानों की समस्या पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, पिछले महीने की 28 तारीख से और इस माह की 3 तारीख तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश हुई, भारी ओले पड़े। प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह बारिश हुई है और किसानों की आलू, गेहूं की फसल, सरसों, मटर और चना की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। मान्यवर, खासकर हमारे आगरा मण्डल में पूरे 15 जिलों में और खासकर आगरा में भारी बरसात हुई, भारी ओले पड़े जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मान्यवर, हमारे यहां एतमादपुर, खन्दौली, फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, जगनेर, सैंय्या, फतेहाबाद, शमसाबाद, बाह, जैदपुर और पिनहट इन सभी ब्लाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से चाहे वह आलू की फसल हो, गेहूँ की फसल हो और सरसों की फसल हो वह पूरी तरह से बर्बाद हो गयी। मान्यवर, फसलों की बरबादी का हाल यह हुआ है कि एक किसान रमेश चन्द्र पचौरी, निवासी बमरौली कटारा, ब्लाक बरौली का था वह अपनी फसल को अपने खेत पर गये अपनी फसल की बरबादी को देखकर उनको

हार्टअटैक हुआ और सुबह उनकी मृत्यु हो गयी। मान्यवर, सरकार ने, प्रशासन ने फसलों की क्षति की ओर से जो आंकलन कराया है फसलों की क्षति का, मान्यवर आप भी किसान परिवार से आते हैं आप जानते हैं, किसानों के फसलों की क्षति के आंकलन की सही विधि होती है सैम्पुल कटिंग प्रति हेक्टेयर और उसमें जो फसल निकलती है उससे आंकलन किया जाता है।

'डा0 धर्म पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि उसका सही आंकलन उसी विधि से हो सकता है उसी से कराया जाय। माननीय अध्यक्ष जी पूरे आलू की फसल बरबाद हो गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा आपदा कोष से 200 करोड़ रूपये प्रदेश में जारी किये गये हैं यह हमारा दुर्भाग्य है न आगरा मण्डल, न अलीगढ़ मण्डल में उसके एक भी जिले में यह राशि जारी नहीं की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि आगरा मण्डल और अलीगढ़ मण्डल में खासकर हमारे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस और अलीगढ़, एटा जिलों के लिए भी आपदा राशि जारी कर दी जाय। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय बिजली विभाग द्वारा किसानों का जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है वसूली को लेकर। माननीय अध्यक्ष जी किसानों की फसल बरबाद हो गयी है किसान बरबाद हो गया है किसानों ने होली भी नहीं मनाई है। आगरा में मुझे ज्ञात है आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि जब फसल ही नहीं है तो पैसा कहॉ से आयेगा। जब फसल आयेगी तो पैसा भी आयेगा तो इस वसूली को भी तुरन्त रोका जाय। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं धन्यवाद।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप तो बहुत ज्ञानी हैं ग्राह्यता पर बोलना है यह तो चर्चा हो गयी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं रिपीट नहीं करूंगा मेरा बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो ओलावृष्टि से और बारिश से नुकसान हुआ है सरकार बजाय सरकारी आंकलन के अपने माननीय विधायकों से पूछ ले कि उनके ग्रामीण क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है उसको आंकलन का आधार बना लेंगे तो सच आंकलन निकल आयेगा। दूसरा, मेरा यह कहना है कि केन्द्र सरकार को यहां से सूचना जाना उनका दल आना सहायता आना यह तो होगा तब तक सरकार टी0आर0 27 से जिलाधिकारियों को निर्देश दे दे कि वह साढ़े चार हजार से लेकर 6 हजार हेक्टेयर की जो घोषणा किये हैं, बहुत कम है यह मध्य प्रदेश में 13 हजार तक है लेकिन जो भी घोषणा किये हैं इसको जिलाधिकारी तत्काल टी0आर0 27 से निकालकर किसानों को मुहैया करा दें और सभी प्रकार के वसूलियों को स्थगित किया जाय किसान की, इसके अतिरिक्त अगली फसल बोने के लिए बीज और

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

खाद किसान को मुफ्त मिले यह मेरा निवेदन है और जो साढ़े चार हजार से लेकर 6 हजार तक जो दिया जाता है वह बहुत कम है यह हम सरकार के लोग यहां बैठे हैं सदन के माननीय विधायक हैं इनके खेत में नुकसान हो तो क्या यह प्रर्याप्त है ? इसको अगर संज्ञान में लेकर तद्नुसार किसान के पक्ष में फैसला लें तो किसान का भला होगा।

'श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। जनपद मथुरा में वैसे तो पूरे प्रदेश में पिछले हफ्ते जो बारिस हुई उससे किसान बरबाद हुआ है और खासकर हमारे मथुरा में पिछली जो बारिस आई थी उसमें पूरी फसल सो गयी। माननीय अध्यक्ष जी, 3 दिन पहले किसानों ने पानी लगाया और चौथे दिन बारिस आ गयी 50 ही नहीं 70 प्रतिशत तक हुआ उसका नुकसान लेकिन आंकलन बिना देखे सुने किया जा रहा है 25–30 परसेन्ट। मान्यवर, आज रात को मेरे क्षेत्र के फरह ब्लाक के ग्राम झुड़ावली, ओल, रैपुरा धाना, जीवनी, गजौली, नगला महादेव, महुअन, झण्डीपुर तथा ब्लाक बल्देव, राया में सैकड़ों ग्रामों में 400–400 ग्राम के सूखे ओले पड़े हैं जिससे पूरी फसल चौपट हो गयी है, जानवर मरे हैं किसानों की जो टीनशेड पड़ी थी वह टूटकर बरबाद हो गयी है इसके साथ–साथ भदाया गांव में एक विजय सिंह किसान हैं जब उन्होंने देखा रात 11.00 बजे कि फसल चौपट हुई पड़ी है तो उसको देखकर वह सदमें में गिर गये और उनकी मृत्यु हो गयी । आज सुबह लोगों ने देखा विजय सिंह की लाश पड़ी हुई है मथुरा में माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि शासन से गया आदेश कि इसका सर्वे कराकर आंकलन कराकर भेजा जाय मान्यवर, मौके पर कोई आंकलन नहीं हो रहा है घर बैठकर आंकलन किया जा रहा है। ओलावृष्टि दैवी आपदा में आती है उसको आधार मानकर मेरा आपसे अनुरोध है नियम–56 में कि इसको आप करा दें और हमारे मथुरा जनपद के किसानों को राहत प्रदान करें और उनके सरकारी कर्ज माफ किये जाय।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने किसान से जुड़े मुद्दे पर बोलने का हमको अवसर दिया। मैं अपने नेता, विधान मण्डल दल माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी से अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश और देश कृषि प्रधान प्रदेश और देश है। जब कृषि प्रभावित होती है तो सचमुच देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दो–तीन बिन्दुओं पर आकृष्ट करना चाहूंगा। एक तो किसान समय पर अपनी बुवाई नहीं कर पाया, क्योंकि जो सरकार के द्वारा बीज–खाद मिलता है वह उसे मिला नहीं। जैसे–तैसे बुवाई भी की और बुवाई के बाद जो दैवीय आपदा आई उससे किसान की खेती प्रभावित हो गई। पहले तो रतुआ रोग गेहूं को लग गया, संक्रामक रोग उससे गेहूं प्रभावित हुआ, उसके बाद यह जो अतिवृष्टि हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तेज हवायें चली हैं उससे सब फसल गिर गई हैं, फसल गिर जाने से वैसे तो बाली आयेगी नहीं और जो बाली आयेगी तो उसमें दाना पतला

निकलेगा और पैदावार होगी नहीं। अभी जो पचास प्रतिशत से ऊपर का नुकसान हुआ है, प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठे–बैठे रिपोर्ट भेज दी। हमारे आंवला विधान सभा क्षेत्र में, आंवला तहसील में किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों का जो फसली ऋण है, किसानों ने जो फसली ऋण लिया है, सरकार उसको माफ कर दे और जिन किसानों ने प्रदेश में अतिवृष्टि होने के कारण से जो आत्महत्या की है, उन आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की समस्याओं पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त महत्वूपर्ण प्रश्न है। मान्यवर, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी तात्कालिक इमदाद देने की घोषणा की थी, लेकिन मान्यवर, आज अभी नेता, भा0ज0पा0 बता रहे थे कि कई जिलों में बड़े पैमाने पर मौतें भी प्रारंभ होनी शुरू हो गई हैं। अभी कल भी एटा में दो लोगों की मौत हुई, इसके पहले अमेठी में एक मौत हुई, हाथरस में एक मौत हुई, महोबा में दो मौत हुई, चित्रकूट में दो मौत हुई और जालौन में एक मौत हुई। मैं यह कह रहा हूँ कि यह अत्यन्त लोकमहत्व का इसलिए है क्योंकि इस प्राकृतिक आपदा के चलते फसलों के बरबाद हो जाने के बाद किसान हतप्रभ है, जिस तरीके से भीषण अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, फसलें तबाह हुई उससे किसान पूरा बरबाद हो चुका है और मान्यवर, यहां तक कि वह अपनी जान गवांने के लिए भी तैयार हो चुका है, आत्महत्यायें करना शुरू कर दिया है। मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है और अच्छा होता कि ...

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, किसान हत्या नहीं करता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आत्महत्या कह रहा था। किसानों ने आत्महत्या करना भी शुरू कर दिया। मान्यवर इसलिये अच्छा होता कि इस पर चर्चा होती। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के अंदर आकर इस पर कोई विशेष घोषणा करते और इस आपदा से पीड़ित उन तमाम परिवारों के आंसुओं को पोंछने के लिए कुछ तात्कालिक राहत देने की व्यवस्था सुनिश्चित करते। इसलिये मान्यवर, यह अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है, इसलिये किसानों के इस अति महत्वपूर्ण संकट की घड़ी में हम उस पर बल देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पर चर्चा कराये जिससे कि उन किसानों को दम तोड़ने के हालात न पैदा हो। इसलिये मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

अब इतनी चर्चा हो चुकी है, सरकार का जवाब आ जाने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन लोगों की नोटिस भी नहीं है और जिन लोगों का नाम भी नहीं है, क्या उन लोगों को बोलने का अवसर दिया जाना उचित है।

श्री अध्यक्ष–

डा0 धर्मपाल जी का नोटिस है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, धर्मपाल जी के ऊपर कौन आपत्ति कर रहा है।

श्री अध्यक्ष–

जो लोग बोले हैं उनका नोटिस है। यह नेता विरोधी दल है, यह किसी मामलें में बोल सकते हैं, आप जानते है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम नियम–56 में नहीं होना चाहिये।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, यह बेमौसम बारिश है।

श्री अध्यक्ष–

चाहे नियम–56 हो, चाहे जो हो, किसी विषय पर भी चर्चा हो रही हो तो नेता विरोधी दल, संसदीय कार्य मंत्री और नेता सदन यह कभी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। नेता विरोधी दल के पद के नाते उनको मौका मिल गया। अब आप सरकार का पक्ष सुनिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, नेता विरोधी दल का सम्मान हमेशा रहना चाहिये और यही स्वस्थ लोकतंत्र के बने रहने का आधार भी है। ऐसा न कीजिये कि लोक सभा में अगर कोई नेता प्रतिपक्ष न हो, संख्या के आधार पर, तो आप यहां भी नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने से रोकें। वैसे तो बहन भाई का रिश्ता रहा है, हमें ज्यादा बोलने का हक है भी नहीं। मान्यवर, यह किसानों की सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार है और किसानों के ही बल पर इस सदन में मौजूद है। जो भी सरकारी रिपोर्ट है, मैं यह नहीं कहता कि वह कोई आसमानी किताब है और उसमें शत–प्रतिशत सही होगा। इसमें कहीं गलती भी हो सकती है, उस पर पुनर्विचार कर लिया जायेगा और जैसे ही नेता सदन आते हैं, उनके सामने इस बात को गंभीरता से रखा भी जायेगा कि आज इस तरह की बहस सदन में हुयी है। मान्यवर, जो भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है, वह तो दी ही जायेगी, मानवीय आधार पर जो और बेहतर सलूक किया जा सकता है, उसे करने के लिये सरकार बिल्कुल वचनबद्व है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैनें मुख्य रूप से तीन बातें कही थीं कि नियमों को शिथिल करके राहत की घोषणा की जाय, दूसरा किसानों की वसूली स्थगित कर दी जाय और जिन

लोगों की मृत्यु हुयी है जो आत्महत्या करने के लिये विवश हुये हैं, उन लोगों को राहत दिलवा दें। इन तीन में से एक का भी उत्तर संतोषजनक नहीं आया है, इसलिये हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और मैं इस और मेरा दल इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य दलवीर सिंह जी ने एक बात और कही थी कि सदन के माध्यम से भारत सरकार से भी यह आग्रह कर लिया जाय कि वह इसमें अलग से सहायता करे तो भारत सरकार के खिलाफ वाकआउट कर जाना भी मान्यवर इसमें जोड़ लिया जाय कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उनकी नीतियों से सहमत नहीं है और सदन का बहिर्गमन कर गयी है।

(डा0 धर्मपाल सिंह के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब इसे छोड़िये, अब दूसरा विषय लेने दीजिये। यह कहीं इतनी देर चलता है। बहुत हो गया, आपका चूंकि महत्वपूर्ण विषय था, इसलिये हर माननीय सदस्य ने अपनी बात कह ली। माननीय मंत्री जी ने सब कह दिया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आयेंगे तो हम आप लोगों की भावनाओं से उनको अवगत करा देंगे, अब आप बैठिये। दूसरा विषय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पार्टी के लोग तथा श्री प्रदीप माथुर और उनकी पार्टी के लोगों का प्रदेश में बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर एक बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी घटनायें घटी हैं, इसलिये मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात रखें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था से प्रदेश की जनता त्रस्त है, परेशान है और आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है और गुन्डे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि 622 हमले पुलिस कर्मियों पर भी हुये हैं, मान्यवर, यही नहीं, संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज ही इस बात को भी स्वीकार किया कि साइबर क्राइम में ढाई गुना, तीन गुना बढ़ोत्तरी हुयी है। इतना ही नहीं, आपके इसी हुसेनगंज में लगभग डेढ़ महीना पहले डेढ़ करोड़ की डकैती हुयी, अभी पिछले हफ्ते हसनगंज में अलीगंज के पास ए0टी0एम0 से 51 लाख की लूट हुयी। मान्यवर, जब हम यहां पर शुरू–शुरू में आये थे और माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे तो सहारनपुर में तनिष्क के शोरूम में 10 करोड़ की लूट की बात आई थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वंय इस बात को कहा था कि 15 दिन के अंदर हम इस घटना को वर्कआउट करायेंगे, इसी प्रकार ए0टी0एम0 पर हुयी 51 लाख की लूट का भी

एक महीने के अंदर वर्क आउट कराने के लिये कहा गया, लेकिन यह मान्यवर, केवल कहने–कहने की बात रहती है, व्यवहारिक रूप में इन गुन्डे, माफिया, अपराधियों पर सरकार कहीं न कहीं अंकुश लगाने से बचती है। अगर बचती तो है तो इसका मतलब है कि सरकार का कहीं न कहीं इन गुण्डे–माफियों, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में यह गुण्डाराज फल–फूल रहा है, जिसके नाते आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता खौफ की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर है। आज बड़े पैमाने पर हत्या, लूट, डकैती, बैंक डकैती, अपहरण और फिरौती बेपनाह हो गया है। मान्यवर आज बड़े पैमाने पर महिलाएं असुरक्षित हैं, हम कल ही महिला दिवस मना रहे थे लेकिन कल ही देवरिया में एक ट्रेन से पुलिस कर्मियों ने ही एक पति और पत्नी को मार करके ट्रेन से नीचे फेंक दिया। एक तरफ तो हम महिला दिवस मना करके महिला सम्मान की बात करते हैं वहीं पर सरकारी संरक्षण में बड़े पैमाने पर कानून के रखवाले ही सारी की सारी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इसी लखनऊ में जब से यह हाउस शुरू हुआ तब से दर्जनों लूट और डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। मान्यवर, यही नहीं 17 फरवरी, 2015 को इलाहाबाद के शंकरगढ़ थाने में वहां की पूर्व सभासद श्रीमती शान्ती देवी की निमर्म हत्या की गई। मान्यवर, हत्या हुई, अपराधियों ने अपराध किया लेकिन सरकार द्वारा नामजद अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार करना तो दूर उनसे अभी तक ठीक से तफ्तीश और पूछतांछ तक नहीं की गई है। इनसे पूछताछ न करना इनको खुलेआम घूमने के लिए छूट देना, उनकी गिरफ्तारी न करना इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं उन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है जिसके चलते अपराधी बेखौफ हत्या करने के बाद भी घूम रहे हैं। मान्यवर, यही नहीं आज जिस तरह से चरमराई कानून–व्यवस्था है उससे पूरा का पूरा प्रदेश आज दहशत की जिन्दगी जी रहा है। पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है, गुण्डे, माफिया मस्त हैं और इन गुण्डे–माफियाओं के सामने अखिलेश यादव की सरकार पस्त है, यह कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज इस गुण्डाराज का आतंक है, गुण्डे, माफिया जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार इन गुण्डे–माफियाओं के आगे घुटना टेक चुकी है। आज प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार अपनी जड़े जमा चुका है इस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए, गुण्डे–माफियाओं पर नकेल लगनी चाहिए, कानून–व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए जिससे कि प्रदेश की जनता को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। इसलिए मान्यवर, यह विषय लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है और इस सूचना पर मैं सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता को कानून का राज मिल सके, कानून उनको शिक्षा दे सके और गुण्डे माफियाओं पर कानून की हथकड़ी लग सके। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सूचना को ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

ख्श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य के खड़े होने पर,

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, अब हो गया कुशवाहा जी, अभी आप चर्चा में भाग लेंगे, जनरल बजट में बोल लीजिएगा।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, बहुत गम्भीर घटना है इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मेरा नाम भी इस सूचना में है। मान्यवर, कानून–व्यवस्था एक संवेदनशील मुद्दा है और इससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है। मैं अपने आपको नेता विरोधी दल से सम्बद्ध करता हूं। मैं जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद सीट से चुनकर आता हूं, तीन साल के अन्दर एक दर्जन से ज्यादा अपहरण हमारे क्षेत्र में हुए। कुछ लोग पैसा देकर छूट करके आये और कइयों की हत्या हो गई। अभी हाल की घटना है 12 तारीख की, हमारे जलालाबाद थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक करमापुर गॉव आता है। वहां पर एक 18 साल के नौजवान श्रवण कुमार का 12 तारीख को अपहरण कर लिया जाता है और 16 तारीख को उसकी डेडबॉडी मिलती है। इस बीच में उसके घर पर फोन से 10 लाख रुपए की फिरौती मॉगी गई। 12 तारीख को पुलिस को सूचना दी गई, जब फोन आया तो सूचना दी गई और उसके बाद वहां के एस0पी0 से मैंने भी बात की, घटना की एफ0आई0आर0 बहुत ही मुश्किल में पुलिस ने लिखी और लिखने के बाद केवल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया बाकी लोगों को बचाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो अपहरण का वहां पर उद्योग चल रहा है, लगातार शाहजहांपुर में अपहरण हो रहे हैं। उस अपहरण करने के पीछे कौन लोग हैं उन पर हाथ डालने का प्रयास सरकार नहीं कर रही है। इस बारे में मैंने स्वयं वहां के एस0एच0ओ0 से बात की, कप्तान से मिलकर मैंने बात की। मैंने कहा कि एस0एच0ओ0 ने दो लोगों को गिरफ्तार कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी। मैंने कहा कि जब आप अपहरण का मामला स्वीकार कर रहे हैं, फिरौती मांगी गयी यह स्वीकार कर रहे हैं तो इसके पीछे कौन लोग हैं जब तक उनको नहीं पकड़ा जायेगा ये अपहरण की घटनायें चलती रहेंगी क्योंकि इसके पहले ही जलालाबाद नगर का एक प्रिंस गुप्ता जो कि 08 साल का लड़का था उसका अपहरण किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गयी। यह बहुत ही गम्भीर विषय है और पूरी तरह से पूरे जनपद शाहजहांपुर के अंदर अगर अपहरण के रिकार्ड दिखाये जाएं तो दर्जनों से कहीं अधिक मामले आपको मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक तो जो अपहरणकर्ता हैं जो इसके पीछे हैं, जो फिरौती मांगने का काम कर रहे हैं उन पर पुलिस अंकुश लगाये और सरकार उसको रोकने का काम करे और इसी तरह से जनपद शाहजहांपुर के अंदर एक सट्टे का बिजनेस चल रहा है और उसमें एस0एच0ओ0 व पुलिस के अधिकारी हैं वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो असली सट्टेबाज हैं उनको पकड़ने का काम करते हैं तो हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव आ जाता है। मान्यवर, इस तरह की जो घटनायें हो रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी स्वयं स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि नियम–56 की यह जो सूचना आयी है सरकार इसका संज्ञान लेते हुए इन घटनाओं का तत्काल पटाक्षेप करे और ऐसे अपराधियों पर

अंकुश लगाये। मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय नेता विरोधी दल की नियम–56 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। धन्यवाद।

'श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कानून–व्यवस्था की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, पिछले तीन साल से समाजवादी पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ है। लगातार कहा जा रहा है कि कानून–व्यवस्था पर लगाम लगायेंगे, कंट्रोल करेंगे और कानून–व्यवस्था को सही स्थिति में लायेंगे। इसके बावजूद भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज वर्तमान में आम आदमी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, महिलायें, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। लूट की घटनायें, हत्या की घटनायें, बलात्कार की घटनायें बल्कि ए0टी0एम0 की लूट की घटनायें और प्रदेश में अपराधियों द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाने का माहौल सा बन गया है। मैं समझता हूं कि प्रदेश में दरोगा राज है न कि पुलिस का राज। कानून–व्यवस्था इसलिए कंट्रोल में नहीं आ रही है कि आज दरोगा एस0एस0पी0 से मजबूत हो गये हैं और दरोगा द्वारा एस0एस0पी0 के आर्डर की धज्जियां उड़ा दी जाती है। एस0एस0पी0 कहता है कि एस0एच0ओ0 साहब इस काम को करिये, सत्ता में बैठे हुए विधायकों की बातें सुनी जाती होंगी पर इधर बैठे हुए विधायकों की बातें कभी सुनी नहीं जाती। स्थिति यह हो गयी है कि दरोगा लोग एस0एस0पी0 के आर्डर, डी0आई0जी0 और डी0जी0पी0 के आर्डर की अवहेलना करते हैं, मैं समझता हूं कि वही पॉवर सेण्टर्स है और पॉवर सेण्टर्स की व्यवस्था ठीक न होने के कारण प्रदेश की कानून–व्यवस्था चरमरा गयी है।.....

श्री अध्यक्ष–

कुछ गम्भीर घटनायें उद्धृत करके ग्राह्यता पर बोलिये, भाषण नहीं करना है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। 8 मार्च को मुसाफिरखाना में कॉग्रेस कमेटी के महासचिव श्री गोविन्द लाल ओझा के पुत्र मनोज ओझा की हत्या कनपटी पर गोली मारकर कर दी जाती है और हत्यारों के खिलाफ नामजदगी का रिपोर्ट है लेकिन पुलिस पार्टीबंदी का केस मानकर एक तरफ डाल देती है और हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं हो रही है। 04 मार्च को प्रतापगढ़ में तहसील पट्टी में राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र को स्कूल जाते हुए गोली मार दी जाती है, जब अध्यापक सुरक्षित नहीं है तो और लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। लखनऊ में जनवरी में 16 हत्यायें और 12 लूट की घटनायें हुई प्रदेश सरकार की नाक के नीचे। बैंकों के ए0टी0एम0 भी सुरक्षित नहीं रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी यह सारी बातें बोल चुके हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मान्यवर, 21 नवम्बर को मथुरा में 35 लाख की सिंडीकेट बैंक की लूट होती है आज तक अपराधी नहीं पकड़े जाते इसी तरह से ए0टी0एम0 भी सुरक्षित नहीं है। मथुरा जनपद में जेल के अंदर गैंगवार होती है जेल में अपराधी भी सुरक्षित नहीं हैं। एक अपराधी को गोली मार दी जाती है। फिर उस अपराधी को पुलिस एस्कार्ट में आगरा एस0एन0 मेडिकल कालेज ले जाया जाता है पुलिस एस्कार्ट में उसकी हत्या कर दी जाती है। आप देखिए कि पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। पुलिस एस्कार्ट के अन्दर अपराधी को मार दिया जाता है यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। यह सब नेता विरोधी दल बोल चुके हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

इसी तरह से श्री सुभाष श्रीवास्तव की हत्या कर दी जाती है। अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। मुरादाबाद में जज के सामने गोलियां चलती हैं बहराइच में कांग्रेस उपाध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। उसकी तफ्तीश सी0बी0सी0आई0डी0 को दे दी जाती है। मान्यवर, प्रदेश धधक रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी यह चर्चा नहीं हो रही है। यह तो आपने चर्चा कर दी इसमें ग्राह्यता पर बोला जाता है।

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या के खड़े होने पर)

माननीय नेता विरोधी दल आप इनको समझाइए यह कोई बात मानते नहीं हैं।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होने पर)

आप इसका जवाब आने दीजिए आपका अलग विषय है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर मेरा इसी विषय से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप बैठ जाएं जवाब आ जाए तब कहें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचना माननीय सदस्यगण ने दी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एवं अन्य सदस्यों ने उस पर अपनी बात रखी माननीय नेता कांग्रेस एवं अन्य सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। श्रीमन मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने अपनी सूचना पर बोलते हुए जो भी बातें कहीं उसे मैं सुन रहा था और सोच रहा था कि कोई ऐसी बात करें जिससे सचमुच लगे कि वह नियम–56 के अन्तर्गत कोई बात कहना चाहते हैं मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं अभी माननीय राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो उनकी चर्चा थी उसमें उन्होंने जितनी बातें कहीं थीं जो शब्द इस्तेमाल किए थे माफिया राज, पस्त है मस्त है वह सभी मुहावरे और सभी शब्द आज उसी क्रम से उन्होंने कहे जिस क्रम से उनका पिछला भाषण था इसलिए मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत एक सुनिश्चित विषय के अन्तर्गत कोई सूचना हो

जिसकी तात्कालिकता हो घटना का उल्लेख उन्होंने किया कि 12 फरवरी को इलाहाबाद में क्या हो गया फलां जनवरी को कहां क्या हो गया यह जनवरी–फरवरी की सारी बातें मान्यवर, जब से सदन की कार्यवाही चल रही है उसमें आ गई हैं अभी माननीय नेता कांग्रेस ने कहा कि यह तो दरोगा राज चल रहा है पुलिस राज नहीं मैं समझ नहीं पाया कि दरोगा राज और पुलिस राज से उनका क्या तात्पर्य है। मैं समझ नहीं पाया इसलिए उसका उत्तर देना कठिन है कि दरोगा राज से उनका क्या तात्पर्य है और पुलिस राज से क्या तात्पर्य है। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार ने कार्यवाही की है वह महत्वपूर्ण बात है। अपराध शून्य प्रदेश किसी तिथि को होगा यह हमने नहीं कहा कि फलां तिथि को यह प्रदेश अपराध शून्य हो गया यह बात कहना हमारे लिए संभव नहीं है। अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही क्या हुई उसके लिए प्रबन्ध क्या किए जा रहे हैं। सरकार ने प्रबन्ध किए हैं अभी माननीय मंत्री जी ने जब अवगत कराया था कि किस प्रकार से पुलिस कि इतने पद खाली थे इंस्पेक्टर्स के इतने पद खाली थे आधुनिकीकरण के कौन से उपाय किए गए चार हजार कैमरे अकेले लखनऊ में लगाए गए ताकि अपराधों का अन्वेषण हो सके और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। मान्यवर, नियम–56 में जो इन्होंने विषय रखा है वह नियम–56 के अन्तर्गत आता ही नहीं है मान्यवर, आपकी उदारता है कि उनको आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया यह सूचना नियम–56 में नहीं आती इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी मैं बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा इसमें घटना विशेष का उल्लेख है। 17 फरवरी 2015 को इलाहाबाद के शंकरगढ़ कोतवाली अन्तर्गत हज्जी टोला में शांति देवी पूर्व सभासद की हत्या हुई दूसरे दिन एफ0आई0आर0 भी लिखी गई हत्यारों का नाम अंकित कराया गया लेकिन अभी तक एक भी हत्यारे की गिरफ्तारी न होना यह सरकार पर उंगली उठाने के लिए मजबूर करती है। मैं जानता हूं कि अपराध शून्य प्रदेश नहीं हो सकता लेकिन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्रभावी कार्यवाही तो कर सकती है गिरफ्तारी तो कर सकती है भुग्तभोगी को न्याय तो दे सकती है। यह सरकार अपनी नाकामयाबियों पर पर्दा डालने के लिये जिस तरीके से प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रही है इससे गुन्डे, माफियाओं का हौसला बढ़ता है। इस सरकार को कहना चाहिए गुन्डे, माफियाओं अपराधियों पर अंकुश लगाने की जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ? मान्यवर, एफ0आई0आर0 हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। एफ0आई0आर0 होने के बाद यदि भुक्तभोगी परिवार किसी को नामजद कर रहा है तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई ? इसका मतलब है कि वह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के हैं, कहीं न कहीं उनका सरकार से सम्बन्ध है, कहीं न कहीं उनको सरकार का संरक्षण है। इसलिये मान्यवर, इस गुन्डाराज को बढ़ावा देने वाली सरकार उचित जवाब देने के बजाय अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह स्पष्टीकरण चाहता

हूं कि क्या शांति देवी के हत्यारों की गिरफ्तारी सरकार 24 घंटों के अन्दर करेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

यही पूछ लेते। इतना देर घुमाने की क्या जरूरत थी, वही कह देते।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक साथ बोल दूं।

(दो–तीन सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या अब आप लोग बोल चुके। यह चर्चा नहीं हो रही है।

(माननीय मुख्य मंत्री जी के आगमन पर मेजे थपथपाई गई)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने निवेदन किया था माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सचमुच स्वीकार कर लिया कि वो जो उन्होंने पिछले भाषण में कहा था वही आज कहा और फिर मेरे निवेदन के बाद दोबारा वही उन्होंने दोहराया है। मान्यवर, यह जो नियम–56 में 17 फरवरी की घटना की बात कर रहे हैं तात्कालिका एक उसकी दूसरी शर्त है। लोक हित से जुड़ा हुआ होना, एक सुनिश्चित घटना होना किन्तु तात्कालिकता होना भी एक दूसरा है। 17 फरवरी के बाद इस सदन की जितनी बैठकें हुई हैं। कितनी बैठकें मान्यवर, हो चुकी हैं और 17 फरवरी के बाद विस्तार से इन्होंने अपनी बात भी कही है। इसलिये नियम–56 में तो किसी तरह से इसकी ग्राह्यता नहीं है और जहां तक इन्होंने संरक्षण की बात कही है, माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि अपराधियों को अपने दायें बांये यहां बैठा करके उनको संरक्षण देने वालों का जमाना चला गया और अब यह न्याय करने वालों का जमाना है और अपराधों पर नियंत्रण करने वालों का जमाना है। (मेजें थपथपाई गईं)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, उत्तर नहीं आया। आपका संरक्षण इसलिये चाहता हूं कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पीठ को भी घेरे में ले लिया। मान्यवर, आपका निर्देश था कि जब तक महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी किसी भी नियम के अन्तर्गत...

श्री अध्यक्ष–

मैं खुद उसको कहने वाला था जो आप कह रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

नियम–56 और नियम–311 के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं ली जायेगी। और आपके निर्देश के क्रम में सूचना का पहला दिन आज है, जिसमें नियम–56 और नियम–311 की सूचनाएं ली जानी थीं तो इसलिये मान्यवर, यह तात्कालिक भी है, अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है लेकिन उसके बावजूद यह सरकार

अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। इसीलिये बहुजन समाजवादी पार्टी इस सरकार के गुन्डाराज को नहीं चलने देगी मान्यवर। जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं, इसलिये आपसे कहना चाहता हूं।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। वह तो वहां कहने से न सरकार चलती है न रुकती है। चाहे जितना नारा लगा लो जो सरकार है, वह चलती है। अब आपकी बात आ गई, चलिये अपने स्थान पर। आपके नेता ने पूरी बात कह दी, सरकार को जो कहना था कह दिया। अभी आपको फिर मौका मिलेगा, जनरल डिबेट में अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और मुख्य मंत्री तब उसका उत्तर देंगें। चलिये अपने स्थान पर जाइये। हो गया। मौर्य जी, बुला लीजिये। आपका विरोध हो गया। आपने विरोध दर्ज करा लिया। मैंने मौर्या जी को सुना।

(माननीय सदस्य श्री प्रदीप माथुर व श्री अनुग्रह नारायण सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

देखिये आप नियम–56 की टैक्नीक्लटी पर जायेंगें तो एक भी नियम–56 में नहीं आयेगा। बैठिये, इतना बोल लिये। अब हमको कहने दीजिये। देखिये आप नियम की किताब निकालो। देखिये यह नियम–56 में आता है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वेल से कानून–व्यवस्था ध्वस्त है, सपा सरकार मस्त है के नारे लगाये जाते रहने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने मौर्या जी को सुना और अन्य सदस्यों को सुना, मंत्री जी को सुना यह नियम–56 में नहीं आता इसलिये इसको अस्वीकार करता हूं। लल्लू जी आप अपनी बात कह लें ध्यानाकर्षण कर लें। अभी नेता जी का भाषण भी होना है।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

मान्यवर, घटना दिनांक 12–2–2015 की है। हाकी का एक मैच चल रहा था कसया में, उस दौरान वहां से एक छाइमाक्स का चोक चोरी होता है और वहां के लोगों ने, वहां की स्थानीय पुलिस को सूचना दी। शक के आधार पर श्री दुर्गा मदेशिया जो कसया के निवासी हैं कुशीनगर के एस0आई0 जो पुलिस चौकी के हैं श्री प्रियमबद मिश्रा, और दो एच0सी0पी0 जाते हैं और वार्ड नं0–6 कसिया में उनका निवास होता है उनको उठाकर लाते हैं और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन पड़ता है तो उसे चौकी में नहीं, थाना कसया में है थाना कसया में ले जाना चाहिए। लेकिन उसको चौकी पर लाया जाता है और उस एस0आई0 और दो एच0सी0पी0 द्वारा लाठी–डंडों से मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। पूरा कसया अशान्त होता है सब लोग

सड़क पर उतर आते हैं उनकी लाश को ले जाया जाता है, पडरौना पोस्टमार्टम हाउस। वहां उनकी लाश का पोस्टमार्टम होता है और सारे चोट के निशान इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनकी हत्या लाठी–डंडों से पीटने से हुई। वर्तमान जो वहां के एस0पी0 रहे उनसे बार–बार कसया की जनता कहती रही उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। डी0आई0जी0 के आदेश पर उस समय मुकदमा धारा–302 एस0आई0 प्रियमवद मिश्रा और एच0सी0पी0 दोनों के खिलाफ होती है। उसके बाद पूरा कसया नगर अशान्त होता है सारे लोग सड़क पर होते हैं। उस समय एडीशनल एस0पी0 और ए0डी0एम0 दोनों मौके पर आते हैं लोगों से बातचीत होती है और बातचीत के बाद उस लाश का दाह संस्कार होता है। उस समय उन लोगों ने कहा कि यह घटना निर्मम है और हत्या एस0आई0 के द्वारा हुई है उनकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अन्दर की जाएगी। लेकिन आज तक एस0आई0 प्रियमवद मिश्रा और दो एच0सी0पी0 दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई लगातार जन आन्दोलन चल रहे हैं। इतना ही नहीं वहां उस समय ए0डी0एम0 और एडीशनल एस0पी0 ने मौके पर यह घोषणा की थी कि मृतक के परिजनों को तीस लाख रुपये मुआवजा कसाडा में जमीन और सरकारी नौकरी देने की भी बात उनके परिजनों से की थी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस बात की मांग करना चाहता हूं चूंकि वह लोग टेन्ट व्यवसायी हैं, बड़े गरीब लोग हैं, उनकी बच्ची विकलांग है और विकलांगता के आधार पर अविवाहित है। तीन लड़कियां हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई अब बैठिए। आप तो पूरे घर की बात बताने लगे।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा जो पुलिस वाले इस घटना में लिप्त हैं उन्होंने जो दुस्साहस किया है सरकार की छवि धूमिल किया है।.....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें आपकी बात आ गई है। आप बैठें।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल उनको जेल भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए और उनकी बर्खास्तगी भी तय की जाए जो सरकार की छवि पर इस तरह से बदनुमा दाग लगाए हैं। जो मृतक के परिजन हैं उनको 30–30 लाख मुआवजा, कसाडा की जमीन और सरकारी नौकरी सुनिश्चित कराई जाए। यह अति तात्कालिक अविलम्बनीय महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर मैं चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। आपको जवाब चला जाएगा।

ख1.18 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का मैंने विधिवत अवलोकन किया। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी के इस बजट भाषण में सपनों का ऐसा सब्जबाग दिखाने का प्रयास किया गया है जो सोने के बाद सपने की तरह व्यवहारिक दुनिया में नदारद हो जाता है और वर्ष 2012, 2013, 2014 और 2015 लगातार उन्हीं वायदों की पुनरावृत्ति है। यह कह लिया जाये कि इस बजट भाषण में शब्दों की जादूगरी से प्रदेश की जनता को छलने और धोखा देने का बखूबी प्रयास किया गया है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। मा0 अध्यक्ष जी, इस बजट को मा0 मुख्य मंत्री जी ने सरकार के मूल्यों और प्रतिबद्धताओं का आईना बताया है, लेकिन न तो इसमें कहीं प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है और न ही कहीं संकल्प दिखाई पड़ता है। यह केवल छलावे से ज्यादा कुछ नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि हम समाजवादी विचारधारा के लोगों की कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन लगातार केवल फर्क ही फर्क दिखाई पड़ रहा है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने, सबको याद है जिसके हम लोग भी भुक्तभोगी हुये, बड़े लोकलुभावन वायदों और नारों के माध्यम से प्रदेश की जनता को बड़े–बड़े सब्जबाग दिखाये। मैं उस पर आ रहा हूं जो कहा कि फर्क नहीं होता कथनी और करनी में। कहां फर्क आया, कहा था मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली, कर्जा माफी के साथ–साथ बेरोजगारी भत्ता, लैपटाप, टेबलेट, कन्या विद्या धन क्या–क्या सब्जबाग दिखाये थे। साड़ी, कंबल बांटने का सब्जबाग दिखाया था। रिक्शा चालकों को बैट्रीयुक्त रिक्शा देने का वायदा उस समय किया था। मान्यवर, अगर अन्तर नहीं था तो बीच में बंद क्यों हो गये, ठप्प क्यों हो गये ? आपको अपनी कथनी पर हमेशा अडिग रहना चाहिये था। अगर हमारे झुनझुना कह देने से सरकार ने घुटने टेक दिये तो इसका मतलब विपक्ष भारी है और विपक्ष का काम भारी है। सरकार झूठी है और सरकार वायदाखिलाफी करने वाली है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

श्री अध्यक्ष–

अब शांतिपूर्वक आप लोग सुनिये। बाद में जवाब दे दीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसलिये इस बजट भाषण में इस शब्द का प्रयोग करके मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं कभी करते नहीं हैं। यह कहकर के जनता का वोट ले लिया। दो साल तक देने की कसरत भी की और वर्ष 2014 के परिणाम आशातीत धनात्मक न आने के नाते बैकफुट पर आ गये।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें, मौर्या जी को सुनें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इसलिए अगर कथनी और करनी में अन्तर होगा, आप तो केवल किताबों में लिखते हैं, बजट भाषण में लिखते हैं कि हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है लेकिन व्यावहारिक दुनिया में कथनी और करनी में अन्तर पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। आज वह नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है, वह किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है, प्रदेश की जनता अपने को ठगी महसूस कर रही है। भोले–भाले चेहरों और लोक–लुभावन वायदों और नारों पर अपने को न्यौछावर करके बड़े विश्वास के साथ आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई लेकिन आप तो बीच में ही दगा दे गए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना साहब, यह अखबार पढ़ने की जगह नहीं है। आपने रख दिया है, वह मैंने देखा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अब खन्ना जी व्यावहारिक दुनिया में तो फोटो देखने से वंचित रह गए। (हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैंने सोचा कि नेता विरोधी दल की आवाज सुन रहे हैं, फोटो भी देख लें। (हंसी)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, ऐसी कौन सी तस्वीर उनको नजर आ गयी कि उनकी आवाज से मेल खा गई ? (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में झूठे वायदे कभी–कभी काम करते हैं। प्रदेश में भी देखने को मिला और केन्द्र में भी देखने को मिला, एक ने बहुत सारी घोषणाएं करके सर–सब्जबाग दिखा करके लोक–लुभावन वायदों और नारों से सरकार बना ली तो एक ने अच्छे दिन का सपना दिखा करके केन्द्र में सरकार बना ली। लेकिन मान्यवर, व्यावहारिक दुनिया में जब कथनी और करनी में अन्तर दिखायी पड़ता है तो सरकारों को जनता सबक सिखाने के लिए भी अपने को तैयार कर लेती है। मान्यवर, कथनी और करनी में अगर एकरूपता देखना हो तो हमारी सरकार से उसका उदाहरण लेना चाहिए था। हमारी सरकार और हमारी नेता ने जिन कल्याणकारी योजनाओं पर काम ठाना कि यह प्रदेश की जनता के हित में है, कल्याणकारी है, समाज के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर इससे मुस्कान आयेगी, उनको लाभ होगा और झोपड़ियों में भी दिया जलेगा, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के चेहरों पर उजियारा आयेगा और यह मन बना करके जब गरीबों की बेहतरी के लिए हमने काम शुरू किया तो उसको अन्त तक चलाया। अगर गरीबों के लिए हमने कल्याणकारी योजनाएं चलायीं, सावित्री बाई फुले शिक्षा योजना के रूप में, महामाया

पेन्शन योजना के रूप में, महामाया आवास योजना के रूप में, मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना के रूप में, मुख्य मंत्री आर्थिक योजना के रूप में तो मान्यवर, हमने किसी के कहने से, किसी के उंगली उठाने से गरीबों का हक नहीं मारा, उन गरीबों के प्रति हमारी वचनबद्धता थी और हमने एक बार शुरू किया तो पांच साल तक उन गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर उनको उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। मान्यवर, यह कह करके कि विपक्ष ने उसको झुनझुना कहा। आपने घुटने टेक दिये। उन तमाम नौजवानों को जो प्रतिवर्ष 30 लाख की तादाद में इण्टर की परीक्षा पास कर आशा रखते हैं कि हमें लैपटाप मिलेगा। 32 लाख की तादाद में हाई स्कूल परीक्षा पास कर वह विद्यार्थी उम्मीद करता था हमें टैबलेट मिलेगा तो टैबलेट तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा उनके मंसूबों पर आपने पानी फेरने का काम जरूर किया है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी कहीं न कहीं सरकार को उदारमन होना चाहिए। गरीबों के हित में काम आप करें या हम करें उसका स्वागत करना चाहिए। मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना में उनको निःशुल्क एक बल्ब बिजली जलाने के लिए प्रावधान किया गया था। सरकार ने सारा का सारा बिजली कटवा दिया। मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत रहने वाले जिसमें समाज के सभी वंचित, अपेक्षित गरीब लोग रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं क्या वह गरीब इस समाज का हिस्सा नहीं है ? क्या समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति समाजवादी के आइने से नहीं दिखाई पड़ता है और मान्यवर अगर गरीबों के प्रति कहीं न कहीं कटिबद्धता है, वचनबद्धता है, प्रतिबद्धता है, तो उन गरीबों के प्रति सरकार को उदारमन से खड़ा होना चाहिए था। मान्यवर आज मा0 मुख्य मंत्री जी की नीयत साफ हो सकती है लेकिन व्यवहारिक रूप में कहीं न कहीं उसमें अवरोध होता है, रोड़ेबाजी होती है, विकास कार्य ठप है नतीजा उसका यह है। मान्यवर, आज डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना के माध्यम से केवल पार्टी विशेष के विधायकों को प्रेरित करने के लिए योजना चलाई जा रही है। मान्यवर आपका पूरा उत्तर प्रदेश है। पूरे उत्तर प्रदेश के आप मुख्य मंत्री हैं इसलिए जिस तरीके से अम्बेडकर ग्राम योजना का क्रियान्वयन बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में कराया जा रहा था उसी तर्ज पर इसका भी कार्य कराया जाना चाहिए लेकिन मान्यवर कहीं न कहीं भेदभाव होता है। मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, है या नहीं है ये मैं नहीं जानता। अगर नहीं है तो मैं जानकारी दे रहा हूं और अगर है तो इस भेदभाव को खत्म होना चाहिए। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आज कहीं न कहीं प्रशासनिक प्रभावी पारदर्शी प्रशासन की बात भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही। लेकिन मान्यवर आज जिस तरीके से शासन–प्रशासन पंगु है न सरकार की हनक है, न कानून की हनक है, सारा का सारा प्रशासनिक अमला राम भरोसे काम कर रहा है उससे कहीं न कहीं सरकार को दागदार बनाने में इस सरकारी अमला की भी अहम भूमिका है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों को उचित मूल्य और उन्नत बीज भी उपलब्ध कराने का संकल्प अपने बजट भाषण के पेज–3 पर रखा है। मान्यवर, व्यवहारिक रूप और देखने, पढ़ने, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उचित मूल्य मिलना चाहिए। हम भी इसका

समर्थन, स्वागत करते लेकिन आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। सारी चीजों में बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन मान्यवर, आखिर गन्ना किसानों ने कौन सा पाप किया था जो तीन साल से लगातार एक ही दाम चल रहा है। क्या यही उचित मूल्य है। खाद के दाम बढ़े, सिंचाई, गुड़ाई, मेहनताना बढ़ा।

श्री वसीम अहमद–

सिंचाई माफ है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उसमें जो पारिश्रमिक होते हैं। निजी ट्यूवेल होते हैं। मान्यवर, जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो डीजल से चलने वाला ट्यूबवेल का पानी भी महंगा होगा। डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर से खेत की जुताई भी महंगी होगी। पारिश्रमिक भी महंगा होगा। लेकिन तीन साल से एक लाइन खींच दिया कि हम बात के धनी हैं। एक बार जो कर दिया वह बार–बार करेंगे। मान्यवर, यह तो एक उस तरह की कहावत है। एक साथी थे नाम नहीं लूंगा नहीं तो शर्मिंदा हो जायेंगे। आठ साल पहले बातचीत में एक हमारे दूसरे साथी ने पूछ लिया, भई तुम्हारी उम्र कितनी है उसने कहा कि 22 साल। दस साल बाद फिर अचानक एक बार मुलाकात हुयी, बातचीत चलने लगी किसी दूसरे ने उनसे पूछ लिया कि तुम्हारी उम्र क्या है, कहा 22 साल। तो इत्फाक से हमारे चौधरी साहब भी बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भई, दस साल पहले भी तुमने 22 साल बताया आज भी 22 साल बता रहे हो। तो उसने कहा कि आप जानते नहीं हो मैं मर्द हूं जो एक बार कह दिया उसको टालता नहीं हूं। अगर एक बार कह दिया तो उस पर मैं अटल हूं। बिलकुल वही हाल सरकार का है। तो मान्यवर, यह तय कर दिये अब बढ़ने वाले नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए उचित मूल्य उन्नत बीज सही मायने में अगर किसानों को उपलब्ध होता तो हम स्वागत करते। यह किसान हितैषी सरकार है किसानों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए थी। लेकिन किसान हितैषी सरकार होने के बावजूद भी चरित्र किसान विरोधी साबित हो रहा है। इसलिए मान्यवर, आज दाम नहीं बढ़ा ठीक है, सरकार ने उसका फैसला किया। आपकी सोच क्या थी आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन कम से कम जो गन्ना किसानों का बकाया था उसका भुगतान तो समय से हो जाना चाहिए। जब आप जानते हैं कि 15 दिन के अंदर उसका भुगतान न किये जाने पर उसका 14 प्रतिशत ब्याज सहित उसका भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है। तो मान्यवर, इस मामले में किसानों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपने बकाये भुगतान के लिए मा0 उच्च न्यायालय जाना पड़ा, मा0 सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और सरकार इतनी संवेदनहीन, कि मा0 उच्च न्यायालय और मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार पहाड़ा पढ़ाती रही। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बजट भाषण में जो लिखा गया है उसका कहीं न कहीं व्यवहारिक तालमेल होना चाहिए, व्यवहारिक सच्चाई होनी चाहिए। मान्यवर, आज किसानों को बीज देने की बात आयी, इसी मण्डप में माननीय मुख्य मंत्री जी आपके ही एक मंत्री ने अपने बड़े मंत्री के खिलाफ बीज घोटाले का आरोप लगाया था। आज इत्तफाक से उनको अपने पद से भी

हटना पड़ा मान्यवर अभी इसी बजट के दौरान आपने आलू नीति 2014 बनाई, 17 लाख मीट्रिक टन बीज उपलब्ध आलू किसानों को बीज उपलब्ध कराने का आपने लक्ष्य रखा। मात्र 14 हजार मीट्रिक टन बीज उपलब्ध हुआ। कहां 17 लाख मीट्रिक टन और कहां 14 हजार मीट्रिक टन। मान्यवर, हम समझते हैं या तो आपके अधिकारी धोखा देते हैं या समीक्षा करने की फुरसत नहीं मिलती है। अखिर यह नीति आपकी बनाई हुई है, लक्ष्य निर्धारित आपने किया, तो इतने कम पैमाने पर आपने क्यों बीज उपलब्ध कराया? और मान्यवर यहीं नहीं आज जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक तो इसलिए नहीं कहते कि उनका धर्म है, सरकार का भय है कि कहीं मुख्य मंत्री जी आगे आने वाले समय में हमारा टिकट न काट दें इसलिए उनकी हालत तो बेचारों की है। माननीय अध्यक्ष महोदय आज यह जग–जाहिर है कि बड़े पैमाने पर गेहूं क्रय केन्द्रों और धान क्रय केन्द्रों पर मन–माना पन किया जा रहा है। यहां तक की शुरूआती दौर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद इसका गम्भीरता से संज्ञान लिया। एक–दो जगह पर कार्यवाही भी की लेकिन मान्यवर प्रदेश में मन–माना पन का वो दौर अभी भी चल रहा है। आज क्रय केन्द्रों पर किसान मारा–मारा फिर रहा है। बिचौलियों के माध्यम से धान और गेहूं की क्रय होती है। हरियाणा में उत्तर प्रदेश के किसानों के धन से कम मानक वाले धान की खरीद होती है। अच्छे मानक के धान उत्तर प्रदेश में रिजेक्ट किये जाते हैं और मान्यवर यहीं हाल गेहूं का है। एक तो दैवीय आपदा का प्रकोप कहीं पाला, कहीं पत्थर, कहीं पानी और दूसरा इन किसानों पर बिचौलियों का प्रकोप। अगर किसी तरीके से किसानों के घर में गेहूं और धान आ गया तो उन क्रय केन्द्रों के माध्यम से अपने धान और गेंहू का उचित दाम नहीं पा सकते। बिचौलियों का निवाला हो जाता है। अगर सरकार किसानों की हमदर्द है, किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों को उचित दाम दिलाना चाहती है, उन्नतिशील बीज लक्ष्य के मुताबिक उनको दिया जाना है तो सरकार को और गम्भीर होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह आरोप हमने नहीं लगाये, बीज से सम्बन्धित आरोप सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा ही लगाये गये, लक्ष्य आपने निर्धारित किया, कम बीज की आपूर्ति आपने ही किया, हम इसीलिए कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में कहीं न कहीं एकरूपता दिखाई पड़नी चाहिए। मान्यवर, आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में चाहते हैं कि समाज के अन्तिम छोर पर खड़ा हुआ अन्तिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा में जुड़े, किसान, मजदूर, गांव, गरीब सब मुख्यधारा में विकास के साथ खड़े हों तो मान्यवर कहीं न कहीं क्रियान्वयन भी योजनाओं का सही ढंग से करना चाहिए, अन्यथा हम समझते हैं कि कहीं न कहीं यह केवल झूठे वायदे रह जाय जायेंगे, कोरा कागज साबित होगा, इसलिए मान्यवर अगर आपने वायदा किया तो वायदा निभाना भी चाहिए, इसलिए अगर आपने अपनी बजट पुस्तिका में कुछ कहा भी है तो व्यवहारिक रूप में उसे अमलीजामा भी देना चाहिए और मान्यवर, नारा तो अच्छा देते हैं, ''मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई'' नारा बहुत अच्छा है, लेकिन मान्यवर अपनी इस बजट पुस्तिका में पेज–09 पर आपने ''मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई'' का नारा जो दिया, यह अच्छा भी है, अमलीजामा हो जाय और अच्छा है,

लेकिन मान्यवर बड़ी बारीकी से गरीबों को मिलने वाली सब्सीडी पर कैंची चला दी। मान्यवर, आज ''रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी'' यह समाजवादी पार्टी का नारा रहा, यह समाजवादी पार्टी की सरकार की प्राथमिकताओं में रहा, लेकिन मान्यवर यह योजना जिनके लिए बनाई गई, वह गरीब, वह मजदूर, वह गांव, वह गांव का किसान जिसके लिए यह सब्सीडी के रूप में खाद–बीज, खाद्यान्न, कैरोसीन, रसोई गैस, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेन्शन, कृषि सम्बन्धित जो भी कार्यक्रम/योजना या उसके संसाधन, संयंत्र जो भी होते हैं, इनमें छूट देने का प्राविधान आपने किया। वर्ष 2014–15 में आपने 8345.47 करोड़ किया था और इसमें बड़ी बारीकी से 1.24 प्रतिशत की कटौती की यानी 8240.38 करोड़ कर दिया। यह सब्सीडी और बढ़नी चाहिए, बढ़ने के बजाय सब्सीडी कटौती हो गई 1.24 प्रतिशत। तो मान्यवर, यह कैसा रहम, यह कैसी दया कि जो मिल रहा है उसमें भी कैंची चला दिया और मान्यवर, अगर इस बजट पुस्तिका में गरीबों के प्रति चिन्ता जताई गई है, तो व्यवहारिक रूप में उसके साथ खड़ा होना चाहिए, अमलीजामा देना चाहिए और यह सब्सिडी और बढ़ा कर के सही मायने में उन गरीबों, मजदूरों, किसानों को राहत देने की पहल करनी चाहिए। मान्यवर, आज इस सब्सिडी की कटौती से कौन प्रभावित होगा, ग्रामीण, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक यह सारे के सारे लोग इससे प्रभावित होंगे और मान्यवर, समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिये ही सब्सिडी दी जाती है। यानी जो समाज का कमजोर तबका है चाहे वह किसी भी वर्ग और जाति से सम्बन्धित हो, वे सभी प्रभावित होंगे। मान्यवर, इसीलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि योजनायें तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन अगर उनका क्रियान्वयन धरती पर नहीं होता तो योजनायें केवल धोखा और छलावा होती हैं। मान्यवर, इसीलिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर वर्ष 2015–16 को आपने किसान वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया तो फिर किसानों के लिये कुछ विशेष पहल करनी चाहिये थी। उनकी सब्सिडी पर कैंची चलाने से काम नहीं चलेगा, उनकी छूट की धनराशि और बढ़ानी चाहिये थी। सही मायने में उचित दाम दिलाने का काम करना चाहिये। किसान बिचौलिये के शिकार न हों इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये थी। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान समय पर हो सरकार को इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिये। मान्यवर, इसी प्रकार से पिछले सत्र में छात्रवृत्ति जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को मिलती थी, वह गई ही नहीं, कहां अटकी रह गई, व्यवस्था तो आपने बजट में की लेकिन गई क्यों नहीं, क्या कभी इसकी समीक्षा हुई ? मान्यवर, आपके इस बजट भाषण की पुस्तिका में जो कहा गया है उसमें व्यावहारिक दुनिया से बहुत अन्तर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपनी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिये। अपने वादों के खिलाफ सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये जिसका इस बजट भाषण की पुस्तिका में बड़ा अभाव है। मा0 मुख्य मंत्री जी, आपने इस बजट भाषण की पुस्तिका के पेज–6 पर अवस्थापना पर विशेष जोर दिया है। अवस्थापना तो किसी भी प्रगतिशील सरकार की प्राथमिकता का एक आधार होता है। उसको सुनिश्चित करने के

लिये 2013 में आपने ग्लोबल पार्टनरशिप समिट भी आगरा में की। उसके बाद 2014 में दिल्ली में निवेशक सम्मेलन भी आपने किया लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात। अवस्थापना पर सम्मेलन भी हो रहा है, 2013 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ। मान्यवर, आपने ही खुद कहा था कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे, लखनऊ–आगरा का निर्माण निजी सहभागिता से किया जायेगा, यह आपका वर्जन है पिछले बजट में। बार–बार निवेशक सम्मेलन करने के बावजूद भी कोई भी निवेशक आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सका जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे को बनाने के लिये आपके साथ करार करता, बनाने के लिये तैयार होता। ये अंगूर खट्टे हैं कब कहा आपने, जब कोई निवेशक नहीं मिला। पहले तो आपने निवेशक की खोज की, तीन–तीन बार टेण्डर भी पड़े, कॉल भी हुई लेकिन कोई आया ही नहीं। मान्यवर, यह तो आपकी मजबूरी है अब आप उसको सरकारी खजाने से बनाने जा रहे हैं इसलिये मान्यवर, यह अच्छा तब कहा जाता, जब बिना निवेशक की प्रत्याशा किये यह निर्णय आपके द्वारा पहले ही ले लिया गया होता। यह तो बार–बार निवेशकों की खोज होती रही और मान्यवर, तमाम बार माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में भी सब्जबाग दिखाते रहे कि इस निवेशन में बड़ी–बड़ी कम्पनियां आएंगी, सैमसंग आयेगा, इनफोसिस आयेगा, एच0सी0एल आयेगा, टाइम्स ग्रुप आएगा, रिलाइन्स आदि आएंगे।

(सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आई ''आ गए हैं, आएंगे नहीं आ गए हैं'')

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इन सारे–सारे लोगों को बार–बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, ग्लोबल पार्टनरशिप की मीटिंग करके आए, तब यहॉ सदन में कहा। निवेशक सम्मेलन करके आए तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा। उसके बाद भी बीच में कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, लेकिन बार–बार कहने के बावजूद कोई निवेशक माननीय मुख्य मंत्री जी पर यकीन नहीं किया।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

पिछली सरकार के कटु अनुभवों के कारण पहले यकीन नहीं कर रहे थे। अब यकीन कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, शायद माननीय सदस्या को यह नहीं मालूम कि मथुरा एक्सप्रेस–वे हमने ट्रिपल–पी पर ही बनवाया था और यही नहीं मान्यवर, हमने गंगा एक्सप्रेस–वे....

श्री अम्बिका चौधरी–

हस्तक्षेप नहीं करूंगा साथ–ही–साथ यह बताते चलिए कि कितने–कितने किसानों की हत्यायें एक–एक एक्सप्रेस–वे में कराईं, वह भी बता दीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शायद इनको यह नहीं मालूम कि किसानों की जमीन की जो लागत थी, उससे कई गुना मुआवजे के रूप में उन किसानों को दिया गया है और माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो आपके पीछे डा0 धर्मपाल जी बैठे हैं, उनको बता दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह माननीय मुख्य मंत्री जी की खुशनसीबी है कि मथुरा एक्सप्रेस–वे हमारी सरकार ने बनवाया और फीता काटने का माननीय मुख्य मंत्री जी को मौका मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गंगा एक्सप्रेस–वे, हमने एक ऐसी प्रदेश के विकास में मील का पत्थर गाड़ने की कोशिश की, व्यावहारिक रूप यह नहीं ले पाया, उससे पहले सरकार चली गई लेकिन उसके पहले इसके बावजूद भी हमने 40 हजार करोड़ ट्रिपल–पी के माध्यम से गंगा एक्सप्रेस–वे बनाने की व्यवस्था कर ली थी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शायद चौधरी साहब को नहीं मालूम की अगर गंगा एक्सप्रेस–वे बनता तो सबसे ज्यादा बलिया ही लाभान्वित होता। माननीय अध्यक्ष महोदय जी।

श्री नारद राय–

माननीय अध्यक्ष जी, शिलान्यास करने की सारी तैयारी पड़ी हुई थी, शिलान्यास करने गई नहीं, बताइये क्यों नहीं गई ? गंगा एक्सप्रेस–वे मायावती जी के नाम का पत्थर रो रहा है, क्यों नहीं गईं, कौन रोक रहा है उनको ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

राय साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इनका सपना पूरा होगा। 2017 में अगर बहुजन समाज पार्टी सरकार में आती है तो उस गंगा एक्सप्रेस–वे को वह जरूर बनवायेगी। (बहुजन समाज पार्टी की ओर से मेजों की थपथपाहट) हमारी प्राथमिकताएं कभी झूठी नहीं होती।

श्री अध्यक्ष–

आप की बात को खन्ना साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

वह 40 हजार करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, उसको हम अमलीजामा देने की कोशिश करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मौर्या जी, मुआवजा पिछली बार वाला ही रहेगा कि कुछ हम लोगों से सीख कर देंगे आगरा एक्सप्रेस–वे जैसा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इसीलिये इस बात को कहा कि आखिर निवेशकों की यहां पर आमद क्यों नहीं हो रही है। आप बार बार सम्मेलन कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं, बार बार उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हकीकत है उसको आपको स्वीकारना होगा। माननीय अध्यक्ष जी कोई भी निवेशक हो जब तक उसके अंदर सुरक्षा का संरक्षण का पूरा विश्वास नहीं जगेगा वह निवेश करने के लिये नहीं आयेगा। हम जितना भी कह लें वह नहीं आयेगा। माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन आप उनके अंदर सुरक्षा प्रदान करने का विश्वास जगा देंगे वह बिन बुलाये

आपके पास दौड़ता हुआ चला आयेगा। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्य मंत्री जी को जो हकीकत है उसको स्वीकारना होगा। हमें उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना चाहिये कि निवेशक एक नहीं बहुत से निवेशक यहां लाइन लगाकर निवेश करने के लिये खड़े हों। माननीय अध्यक्ष जी इस सरकार के पास एक ही साल का समय और बाकी है। 2015 का वर्ष चल रहा है 2016 के अंत में चुनाव हो जायेगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मान्यवर, आपकी गणित कमजोर है। पूरे के पूरे दो साल बाकी हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह गणित इसलिए कमजोर नहीं है। अब अनुभव की बात है प्रैक्टिस मेक मेन परफेक्ट, अनुभव आदमी को परिपूर्ण बनाता है। मान्यवर, 2012 में चुनाव ड्यू था मई जून में हो गया फरवरी में। आपका ड्यू है मार्च, 2017 में हो जायेगा नवम्बर दिसम्बर में। मान्यवर जब छह माह का समय शेष रहता है तो निर्वाचन आयोग अपने तरीके से समय निश्चित करता है, उसमें न हमारी सुनेगा और न केन्द्र की सुनेगा। इसलिए मान्यवर, फरवरी, मार्च, 2017 और नवम्बर–दिसम्बर, 2016 में अंतर क्या है। इसलिए हमारा गणित बहुत सटीक है। (बसपा के सदस्यों की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर इसलिए एक ही साल है चार साल तो आपने वायदों में काटा। आप सुन लें चौथा शुरु हो गया है। और अब एक ही मौका आपको मिलेगा बजट भाषण प्रस्तुत करने का। इसलिए कम से कम जाते जाते तो कुछ अच्छा कर जाइये। (हंसी) इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी हम जानते हैं कि सरकार भी कोई न कोई चतुराई में है। अभी तीन साल तक सड़कों पर काम नहीं हुआ विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। अंतिम दो सालों में हो सकता है तेजी लाकर के लोगों के मन को रिझाने के लिए उसमें गति प्रदान कर दे।अच्छा होगा अगर जाते जाते भी अच्छा काम होता है तो मैं उसकी भी सराहना करूंगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मान्यवर, आते आते जो अच्छे काम हुए थे उसकी तो सराहना करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर आते आते जो हुआ था वह तो विदा हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पेंशन पर माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत जोर है और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। मान्यवर, सरकार ने नकल करने का प्रयास तो बेहतरीन किया चाहे एक्सप्रेस–वे हो मथुरा की तर्ज पर आगरा एक्सप्रेस–वे, पेंशन की तर्ज पर महामहाया पेंशन योजना की तरह समाजवादी पेंशन योजना, पार्को के नाम पर जनेश्वर मिश्रा पार्क तो कहीं कही चलने का प्रयास तो किया आपने जो हमारी योजनाओं पर चलते हैं। तो आपके मन में लड्डू फूटे न फूटे हमारे मन में लड्डू फूटता है कि आपको हमारी योजनाएं कितनी प्यारी है। हमारी योजनायें कितनी प्यारी है यह बात दीगर है कि आप उस पर अमल कर पाते नहीं कर पाते लेकिन नकल करके इरादा

जरूर जाहिर कर देते हैं कि बसपा की वह सारी की सारी कल्याणकारी योजनायें पार्क, उद्यान पर किये गये काम आप सबको प्यारे हैं और इसीलिए कहीं न कहीं हर चीज का एक एक नमूना के तौर पर आपने नकल करने का प्रयास किया। मान्यवर, इसमें पारदर्शिता रहे हमे यह भी शिकायत मिली है योजना यह है कि परिवार के मुखिया महिला मुखिया न हो तो पुरुष मुखिया लेकिन कहीं कहीं एक ही परिवार में कई कई पेंशन मिल रही है अगर यह संज्ञान में आपके न हो तो हम लिखित रूप से आपको भिजवा देंगे दुरुपयोग नहीं होना चाहिए अगर दुरुपयोग होगा तो जिस गरीब के लिए आपकी योजना है यह कहीं न कहीं बाधित होगी। जो हमारी योजना है वह अच्छी तो होगी ही। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, एक आग्रह करना चाहते हैं नेता विरोधी दल बार बार महामाया पेंशन योजना की चर्चा करते हैं आप यह बता देते कि कितने लोगों को देते थे पेंशन और समाजवादी पेंशन कितने लोगों को मिलती है अगर यह बता देते तो बेहतर होता, किन वर्गों को देते थे और पैसा भी बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, राय साहब माननीय मंत्री जी भी हैं, गांव से जुड़े भी हैं आपने प्रश्न भी अच्छा किया पहले चरण में 31 लाख लोगों को हमने इससे लाभान्वित किया और इसको हमने जाति के आधार पर नहीं बल्कि सभी समाज के गरीबों के लिए और महिला मुखिया के लिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

एक भी अल्पसंख्यक को आपने नहीं दिया पूरे प्रदेश में ।

श्री नारद राय–

एक भी मुसलमान को नहीं दिया आपने अगर दिया हो तो नाम बताइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जब हम हजारों लाखों में दिये हैं तो एक नाम बताने का औचित्य क्या है।

श्री नारद राय–

जिस जाति की तरफ हम लोगों ने इशारा किया है इसको छोड़कर किस अन्य जाति को दिया है इसको ही बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि मैंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सभी समाज के गरीब लोग जो बी0पी0एल0 कार्ड पाने से वंचित रहे जिनको बी0पी0एल0 कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा था अन्य पेंशन योजनाओं से आच्छादित नहीं थे ऐसे लोगों को हमने इससे आच्छादित करने का प्रयास किया और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सर्व समाज तथा समस्त हिन्दू, मुसलमान, सभी समाज के गरीबों को लिया और महिला मुखिया को

और उस परिवार की महिला मुखिया को हमने इस योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता यदि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड विकास निधि और पूर्वान्चल विकास निधि बढ़ा दी होती। बजट पुस्तिका के पेज नम्बर–33 में जो आपने इस वर्ष पूर्वान्चल विकास निधि के रूप में धन आवंटित किया वह रुपये 253 करोड़ है और वर्ष 2014–15 में यह रुपये 291 करोड़ था। इसी तरह वर्ष 2013–14 में यह रुपये 291 करोड़ था, अब रुपये 291 करोड़ से नीचे घटकर यह रुपये 253 करोड़ पर आ गया। आखिर मान्यवर, आबादी बढ़ रही है, विकास की आवश्यकतायें बढ़ रही हैं, विधायक की घेराबन्दी बढ़ रही है और साथ ही साथ क्षेत्र में विधायक के प्रति लोगों की अपेक्षायें बढ़ रही हैं, तो धन बढ़ाने के बजाय घटाने का क्या औचित्य था ? लगता है कि आपको लोगों ने गलत मुगालते में रखा है, क्योंकि वित्त मंत्री तो कोई है नही, वित्त सचिव ने ही कहीं–न–कहीं कटौती का प्रस्ताव ला दिया है। यह पूर्वान्चल किसी व्यक्ति का नहीं है, पूर्वान्चल क्षेत्र में आने वाले सभी जनपद और क्षेत्र इससे आच्छादित होते हैं, विधायकों के माध्यम से धन आवंटित होता है, सभी पार्टी के विधायकों को बराबर रूप से, समान रूप से धन आवंटित किया जाता है तो यदि आप इसे बढ़ाते तो आपके विधायक और विपक्ष के भी विधायक आपको इसके लिए धन्यवाद देते कि रुपये 251 करोड़ के बजाय यह रुपये 350 करोड़ हो गया, अब रुपये 291 करोड़ के बजाय रुपये 253 करोड़ हो गया। जो पूर्वान्चल के विधायक थे, जो पहले रुपये 70 लाख, रुपये 72 लाख क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वान्चल निधि से पाते थे, अब इस बार रुपये 38 लाख, 39 लाख, 40 लाख में निपट गये, इस प्रकार आधा मिला। मान्यवर, आखिर कहीं न कहीं लोगों ने आपको अंधेरे में रखा है। आपका ध्यान इस पर नहीं गया, आपको इस बात को स्वीकारनी होगी और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, हम जानते हैं कि आप अनुपूरक बजट लायेंगे। यह तो हम जानते हैं, बजट कितना बड़ा क्यों न हो, अनुपूरक बजट आयेगा, अगर अनुपूरक बजट में इसकी भरपाई कर लेंगे, तब भी अच्छी बात होगी।

(कुछ सदस्यों द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आकर पत्र देकर कुछ अनुरोध किये जाने पर)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह कम से कम अपने विधायकों से मिलने के लिए अलग से यहां दो घण्टे बैठ लिया करें।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा अपने आसन पर बैठे हुये कहा गया कि कांग्रेस के भी मिलते हैं, भा0ज0पा0 के भी मिलते हैं)

श्री विजय कुमार मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता विरोधी दल को बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार में मुख्य मंत्री से इनके मंत्री भी नहीं मिल पाते थे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप शांत रहे, मौर्या जी अपनी चर्चा जारी रखे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही हाल बुन्देलखण्ड विकास निधि के साथ हुआ। 2013–14 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड विकास निधि के रूप में 109 करोड़ आवंटित किया, 2014–15 में 758 करोड़ आवंटित किया और 2015–16 में मात्र 72 करोड़ आवंटित किया। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2015–16 में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अंतर्गत मात्र 72 करोड़, जबकि वर्ष 2014–15 में रूपये 758 करोड़, 13–14 में रूपये 109 करोड़ आखिर यह घटौती क्यों। यह तो क्षेत्र के विधायकों के मार्फत विकास के कार्य कराये जाते हैं। इसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष दोनों के विधायकों की बराबर सहभागिता होती है। इसमें तो दिल खोल करके आपको धन आवंटित करना चाहिये था।

श्री दलवीर सिंह–

आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात करनी चाहिये, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी तो नाम लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप तो दलीय नेता हैं अपने भाषण में आप बोलेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये तो 3000 करोड़ की सड़क बनने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिये अतिआवश्यक है और स्वास्थ्य के विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की नीयत साफ है कि हम गरीबों के लिये मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था करायेंगे लेकिन सही मायने में न अस्पताल में दवाई है, न वहां मरीजों के लिये बेड मिलता है और मुफ्त वाले मरीज जमीन में लिटाये जाते हैं और तमाम प्रसव अस्पताल से बाहर हो जाते हैं, उसका लेखा जोखा देने लगूंगा तो बहुत लम्बा हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी और माननीय मुख्य मंत्री जी, यहां पर डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद संस्थान, गोमतीनगर है, शायद आपको मालूम होगा कि वहां पर एक भी इमरजेंसी बेड नहीं है। डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल अलग है और यह अलग है, दोनों एक नहीं हैं और डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान पी0जी0आई0 के स्तर का है तो अगर पी0जी0आई0 में 200–250 बेड का इमरजेंसी वार्ड चाहिये तो यहां भी 200–250 बेड की इमरजेंसी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पी0जी0आई0 की स्थापना के दिन से मात्र 30 इमरजेंसी बेड वहां हैं, पूरे प्रदेश के मरीज वहां आते हैं और यहां तक कि निकटवर्ती प्रदेशों के भी मरीज जैसे मध्य प्रदेश, बिहार के मरीज और नेपाल तक के मरीज इस पी0जी0आई0 में आते हैं। यहां तक कि तमाम हमारे विधायकों और सांसदों को भी इमरजेंसी बेड के अभाव में पी0जी0आई0 से लौटना पड़ता है और तमाम ऐसे मरीज जिनको विधायक पी0जी0आई0 के लिये रिकमेंड करता है, डायरेक्टर से बार–बार कहता है कि इस मरीज को एडमिट कर लो, डायरेक्टर इस बात का रोना रोता है कि साहब बिस्तर खाली नहीं है। इमरजेंसी पूरी फुल है। तो पी0जी0आई0 जैसे अस्पताल में मरीजों को जमीन पर लेटाना पड़ता है। इसलिए मा0 मुख्य मंत्री जी कम से कम ढाई सौ इमरजेंसी बेड का वार्ड पी0जी0आई0 में होना चाहिए और डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद संस्थान चूंकि पी0जी0आई0 के स्तर का है इसलिए यहां पर भी कम से कम दो सौ इमरजेंसी बेड का वार्ड स्थापित होना

चाहिए। डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तो मात्र 40 इमरजेंसी बेड हैं उसको संस्थान में सम्मिलित मर्ज कर देने से गरीबों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जो हम चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाने की कोशिश में हैं वह नहीं हो पायेगा इसलिए आपको उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। यद्यपि कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान स्वायत्तशासी संस्था है लेकिन उसके बावजूद जब उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यवेक्षण में है, मुख्य सचिव उसका पदेन अध्यक्ष होता है तो यह सारी व्यवस्थाएं वहां सुदृढ़ होनी चाहिए। लगभग 17 वेंटीलेटर डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में हैं, वर्षों से हैं लेकिन चालू नहीं हैं आखिर यह जिम्मेदारी उनकी है और वह सरकार का भी बहाना बनाकर मुक्ति नहीं पा सकता। डॉक्टर नियुक्त करने का अधिकार उसके पास है, स्टाफ नियुक्त करने का अधिकार उसके पास है, वेंटीलेटर चलाने की जिम्मेदारी उसकी है। मैं इसलिए यह संज्ञान में ला रहा हूं क्योंकि व्यवहारिक रूप से इसे अमलीजामा दिया जाना चाहिए। जब मरता हुआ मरीज बिस्तर के अभाव में दम तोड़ता है तो मरीज तो मरता है लेकिन परिवार के लोग भी रो–रो करके मरते हैं कि अगर बिस्तर मिल जाता तो मरीज बच जाता। यह तो हमने यहां के दो बड़े अस्पतालों की बात की और मान्यवर, मेडिकल विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश का पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय है लखनऊ में उसको और बेहतर बनाये जाने की जरूरत है। वहां पर काबिल डॉक्टर हैं और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि पी0जी0आई0 के डॉक्टरों से कम अच्छे डॉक्टर मेडिकल विश्वविद्यालय में नहीं हैं लेकिन पी0जी0आई0 के डॉक्टरों का जो वेतनमान और अन्य सुविधाएं हैं वही वेतनमान और अन्य सुविधाएं मेडिकल विश्वविद्यालय के डॉक्टरों और प्रोफेसरों की होनी चाहिए, यह समानता होनी चाहिए। मान्यवर, इसी प्रकार से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित जो जिला चिकित्सालय हैं चूंकि जिलों के जो जिला चिकित्सालय हैं वहां अस्पताल की स्थापना के दिन से जो इमरजेंसी बेड चले आ रहे हैं आज तक चले आ रहे हैं। जौनपुर का अस्पताल 1928 में स्थापित हुआ आज भी वहॉ पर इमरजेंसी बेड की संख्या उतनी ही है जितनी कि स्थापना के समय थी। जबकि पूर्वांचल का जौनपुर जिला अस्पताल बहुत अच्छा अस्पताल माना जाता है, तो मान्यवर, सुविधाएं बढ़ाये जाने की जरूरत है। आज जनसंख्या बड़े पैमाने पर बढ़ी है, बीमारियां अनेकों प्रकार की नई–नई पैदा हुईं, आज तरह–तरह की बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ी तो स्वाभाविक रूप से हमें अस्पतालों की सुविधाएं भी बढ़ानी होंगी तभी मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज का आपका नारा कारगर होगा अन्यथा वह केवल कागजों पर रह जायेगा। हमने आपसे यह इसलिए कहा कि जनहित का यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे जन सामान्य पीड़ित है। इस बजट चर्चा के दौरान हम इस बात को इसलिए संज्ञान में लाये हैं कि अगली बार जब कभी भी हम चर्चा में खड़े हों तो अस्पताल से सम्बन्धित समस्याओं की पुनरावृत्ति न करनी पड़े, यह सरकार की संवेदनशीलता होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के सभी अस्पतालों में दवाओं का कहीं न कहीं टोटा रहता है। गरीब से गरीब व्यक्ति जाता है, जबकि व्यवस्था है कि बी0पी0एल0 कार्ड धारक का निःशुल्क चिकित्सा हो लेकिन

डॉक्टर लम्बी–चौड़ी एक पर्ची लिख करके देता है कि अस्पताल में दवा खत्म हो गयी, बाहर से खरीद लो। जब उसकी हैसियत ही नहीं है, सुमन जी केवल आगरा की बात नहीं है, आज पूरे प्रदेश के सभी अस्पतालों की यह हालात है तो इसको सुधारने की जरूरत है। आपकी प्राथमिकता है, आपका नारा है तो बेहतरीन तरीके से उसको अमलीजामा भी मिलना चाहिए इसलिए इसको आपके संज्ञान में लाया और मा0 अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घण्टे बिजली देने का वायदा किया। यह कौन सा नया वायदा है, यह तो 2011 में हमारी सरकार के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 2017 से पहले हम 24 घण्टे बिजली पूरे प्रदेश को देंगे। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने बैठे हुए कहा कि एक यूनिट उत्पादन नहीं करेंगे तो बिजली कहॉ से देंगे ?) उत्पादन के लिए तमाम योजनायें कुछ एम0ओ0यू0 की गयी थी, कुछ लगायी गयी थी जो अब व्यवहारिक रूप में कहीं पूरा होने जा रहा है और कहीं अभी प्रक्रिया में है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, हमने तो प्रदेश की बेहतरी के लिए बिजली कम उत्पादन के बावजूद हमको अगर खरीदना पड़ा तो हमने खरीद करके ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे बिजली दिया। चौधरी साहब, आप चौधरी इसीलिए हैं कि सही बात नहीं मानते हैं। मान्यवर, हमने तो जिला मुख्यालयों को 22 घण्टे बिजली दिया और महानगरों को बिना कटौती के हमने 24 घण्टे बिजली दिया।

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष जी, बिजली ही नहीं दिया, कमाल की बिजली दिया कि जले हुए ट्रान्सफार्मर पर बिजली दे दिया, जो अदभुत काम किया प्रदेश भर को जले हुए ट्रान्सफार्मर पर बिजली दे दिया, जो ट्रान्सफार्मर काम ही नहीं कर रहे थे, कमाल किया आपने।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों को 14 घण्टे, जिला मुख्यालयों को 22 घण्टे और कवाल सिटीज को 24 घण्टे बिजली देंगे तो स्वभाविक रूप से कुछ न कुछ ट्रान्सफार्मर जलेंगे, ज्यादा लोड के चलते जलेंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष जी, एक घण्टा हो गया, कितना समय और लेंगे ? वैसे आपको पूरा टाइम है लेकिन कितना समय और लेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बजट पुस्तिका के पेज–5 पर बेहतरीन वित्तीय प्रबन्धन की दुहाई दी है। लेकिन मान्यवर, क्या यही वित्तीय प्रबन्धन है कि वर्ष 2013–14 में 10,732 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट माननीय मुख्य मंत्री जी लाये थे, 3152.06 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाये, क्या वित्तीय प्रबन्धन है ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी बजट लाने में कोताही तो नहीं करते हैं भारी भरकम बजट होता

है, खर्च करने में कोताही जरूर बरतते हैं पिछले बजट सत्र में प्रशासनिक सेवाएं, नागर विमानन, बिजली परियोजनाएं, पुलिस शिक्षा, खेलकूद और कला यह ऐसे विभाग हैं जहां किसी में 53 प्रतिशत किसी में 51 प्रतिशत, किसी में 44 फीसदी, किसी में 41 फीसदी किसी में 30 फीसदी खर्च हुआ। यानी मार्च बीतने जा रहा है और इतने मदों में 50 फीसदी धन यह सरकार खर्च नहीं कर पायी। क्या यही वित्तीय प्रबन्धन है माननीय अध्यक्ष महोदय आज केवल सामान्य सेवाएं एक ऐसा विभाग है जिसमें शत–प्रतिशत आवंटित धन खर्च हुआ। शेष ज्यादातर विभागों में पचास फीसदी से कम कुछ में 50 फीसदी और 100 के बीच में मान्यवर, जिस तरीके से बजट लाने में अपना दरियादिली दिखाते हैं उसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी को समय रहते प्राविधानित बजट धनराशि को खर्च करने में भी तेजी दिखाएं तब वित्तीय प्रबन्धन का आपका जो कमिटमेंट है वह ज्यादा सार्थक होगा और जब हम वित्तीय वर्ष के अन्त में यानी मार्च महीने में हम किसी मद में धन आवंटित करते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी आपको हवा तक नहीं लगेगी अधिकारी लोग धन का बंदरबांट कर लेंगे। यह अनुभव आपको भी है आप ज्यादा माहिर हैं इसलिए मान्यवर, जब भी सरकार हमारी हो या आपकी हो या अन्य किसी साथी की हो सरकार किसी की हो अगर मार्च के महीने में धन आवंटित हो रहा है तो उस धन का दुरुपयोग अधिकारी बंदरबांट में करेंगे। योजनाएं जहां की तहां रह जाएंगी। इसलिए वित्तीय प्रबन्धन की बात करना तब ज्यादा अच्छा होता जब हम समय पर आवंटित मद के ब्योरेवार धन को समय से खर्च कर लेते। माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंडी पर बहुत जोर दिया और इतना जोर दिया कि लगता है कि सरकार ने मंडी पर पहली बार कुछ काम शुरू किया। इसलिए आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं यह सिलसिला तो हमने प्रारम्भ किया था हमने अपनी सरकार में 12 नई मण्डी बनवाई थी 10 नई उप मण्डी बनवाई थी और नवीन फल सब्जी मण्डी चार बनवाई थी। इस तरीके से हमारे मंत्री पंडित जी ने नाम पूछा 2007–12 के बीच में जो हमने नवीन मण्डी स्थल बनाई। अकबरपुर, खलीलाबाद, रसड़ा, चंदौली, खागा, मंझनपुर, सुल्तानपुर चिल्काना, टूंडला, विलासपुर, मुस्करा, नौगढ़, अछलदा और उप मण्डी जो बनवाई थीं। बिसन्दा बांदा, बुन्देलखंड फैजाबाद, गुसाईगंज फैजाबाद, गोवर्धन मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, कुरावली मैनपुरी, खरैला बॉदा, जसराना खोड़ाबाद, भोगांव। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में मंडी से 4771 किलोमीटर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया। अब जहां भी किसानों को मंडी स्थल पर अपना सामान ले जाने के लिये 10 किलोमीटर की परिधि में जहां भी सड़क ठीक से नहीं थी, असुविधाजनक मार्ग था, ऐसे मार्गों को चिन्हित करके जिनकी टोटल किलोमीटर में 4771 किलोमीटर सम्पर्क मार्ग के रूप में निर्माण कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इत्तेफाक से हवा में काम करने वाले दूसरों के काम को भी हवा में समझते हैं। और माननीय इन्द्रजीत सरोज जी तत्कालीन विभागीय मंत्री थे और इस विभाग के चेयरमैन भी थे, इनके कार्य–काल में बनाई गई थीं। और यही नहीं, मान्यवर, 42 कृषि विपणन केन्द्र भी बनवाये हमने। इसके

साथ ही साथ कृषक किसान सेवा केन्द्र भी बनवाये जहां पर बीज, खाद एवं अन्य पेस्टीसाइड्स की व्यवस्था किसानों के लिये बेहतर तरीके से की जा सके और आपकी सरकार को काम करने के लिये हमने यह रास्ता प्रशस्त किया क्योंकि हमारी सरकार ने कुल 3354 करोड़ रुपया भारत सरकार के सहयोग से स्वीकृत करवाया था 2105 कृषि विपणन केन्द्र के लिये जिस धन से इस समय आपकी सरकार में काम चल रहा है। बुन्देलखंड में कृषि विपणन एवं भंडारण की सुविधा के लिये विशिष्ट मंडी और 164 विपणन केन्द्र के लिये 691.50 करोड़ रूपया स्वीकृत कराई थी जिसमें 320 करोड़ रूपया अवमुक्त हुआ था जिसका निर्माण कार्य हमारी सरकार में हुआ और शेष धन बाद में आया जिसका उपभोग आपकी सरकार कर रही है। इसलिये मान्यवर, यह सरकारों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, किसानों के प्रति जो हमारी जवाबदेही थी वह सुनिश्चित किया। हम समझते हैं कि बेहतर तरीके से उसको आप और कार्यान्वित करायेंगे यह मुझे पूरा भरोसा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, (किसी माननीय सदस्य के माननीय मुख्य मंत्री जी के पास खड़े होने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के अपनी बात रोक देने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप चलें अपनी बात रखें वह तो आते जाते रहेंगे। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरीके से मंडी की डुगडुगिया पीटी उसी तरीके से फोर लेन का भी बड़ा ढिंढोरा पीटा। अरे यह कौन सी नई बात है, हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो, जो सरकार का धर्म है वह तो निभाना ही पड़ता है। और मान्यवर, आपके माध्यम से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इन्होंने कटाक्ष किया कि पिछली सरकार में एक भी फोर लेन तैयार नहीं हुई माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 2014–15 के बजट भाषण में आपने कहा था कि मेरी सरकार सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ देगी। यह कहकर माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को गुमराह करते हैं सही बात तो यह है माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के तीस जिले–लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, कानपुर देहात गाजियाबाद, उन्नाव, झांसी, उरई, चन्दौली, वाराणसी, फतेहपुर, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ इलाहाबाद, ललितपुर यह सभी जनपद भारत सरकार के एन0एच0डी0पी0 नेशनल हाई–वे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जुड़ चुके हैं तो जो जुड़ चुके हैं इसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है। जब भारत सरकार की पूर्व योजना से आपकी सरकार आने के पूर्व ही यह जुड़ चुके हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल समय बहुत हो गया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 नेता विरोधी दल फोर लेन से कोई जिला जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आपकी सरकार आने के पहले जुड़ गया है उसको क्यों गिनाते हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मा0 मुख्य मंत्री जी ने 14 जिले फोर लेन से जोड़ने की घोषणा की। लेकिन अपने बलबूते पर नहीं केन्द्र के बलबूते पर, केन्द्र का जो काम है वह तो केन्द्र करेगा ही, वह 14 जिले रायबरेली, सुल्तानपुर, अम्बेदकरनगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर इनकी सरकार ने (शोर) यह केवल केन्द्र सरकार के सहारे बैठे हैं। पूरी बात सुन तो लीजिए इतनी बेचैनी क्यों है।

एक सदस्य–

भदोही का नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहिए। संक्षेप करिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, अरे इनका ध्यान गया कि नहीं गया आप कन्नौज को फोर लाइन से जुड़वा देते उसको भी आप नहीं कर रहे हैं उसमें भी आप केन्द्र के सहारे बैठे हैं। अरे कहीं न कहीं तो दरियादिली दिखानी चाहिए। अगर आप नहीं दिखा सकते हैं तो हमारी सिफारिश पर दरियादिली दिखा दीजिए।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

यह लोक सभा है कि विधान सभा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह विधान सभा के अन्तर्गत आता है जो मैंने गिनाया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मा0 मुख्य मंत्री जी ऐसा लालीपॉप देते हैं कि पूरे हाउस को और पूरे माननीय सदस्यों को, बच्चा समझकर भटकाने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप भी भटक जाते हैं कि नहीं। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नहीं हम क्यों भटकेंगे। इसमें 11 जिले ऐसे हैं जो केवल केन्द्र के सहारे बैठे हैं कि केन्द्र करेगी तो वाहवाही हम लूटेंगे। इसी के साथ–साथ मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी बसपा सरकार में दिल्ली–सहारनपुर मार्ग, वाराणसी–शक्ति नगर मार्ग ट्रिपल पी मॉडल पर बने थे।

श्रीमती रूबी प्रसाद–

मा0 अध्यक्ष जी, वाराणसी–शक्ति नगर मार्ग तो अभी बन रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी की सरकार ने कुछ जिलों को प्रस्तावित किया, लेकिन व्यवहारिक सत्य यह है कि उसकी स्वीकृति नहीं है। जैसे बलरामपुर, गोण्डा, हरदोई, बहराइच और लखीमपुर खीरी को चार लेन से जोड़ने का प्रस्ताव तो सरकार का है, लेकिन इसकी कार्य योजना की स्वीकृति कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्य जी, यह सब चर्चा तो हो गई, कुछ नयी और अच्छी बात इसमें से निकाल कर कीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह जो शासनादेश इसी सरकार का है। इसी सरकार के शासनादेश के क्रम में मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं कोई बनावटी बात नहीं रख रहा हूं और शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 2014 संख्या–69 ई, 23–11–2014, 153/8, उसके तहत मैं यह सारी बात रख रहा हूं। आपका ही शासनादेश है और जो मैं यहां बता रहा हूं वह आपके शासनादेश में इंगित तथ्य हैं। इसलिये मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं। मान्यवर, मैंने इसलिये बताना जरूरी समझा, क्योंकि केंद्र सरकार के बलबूते पर अपनी पीठ ठोकना बहादुरी नहीं है। आप अगर अपने बलबूते पर अपनी पीठ ठोकेंगे तो शायद हम भी साथ खड़े दिखाई पड़ें। मान्यवर, यह तो मैंने फोर लेन का सच बताया। पुल का भी सच जानिये। हमनें पांच साल में क्या किया ? आप कहते हैं न कि क्या किया ? मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के माध्यम से बोलते हुए ऐसा स्पष्ट किया कि लगता है कि हर कार्य की शुरूआत हमसे हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्य जी, जो आपने किया वह अपने बजट भाषण में पहले जरूर कहा होगा कि हमनें यह–यह किया। अपनी सरकार जब थी तो यहां से बजट भाषण में बोल रहे होंगे तो अब उसको दोहराने की क्या आवश्यकता है। जो आपको बजट में सुझाव देना है वह दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने 03 साल की सरकार में 153 नए पुल बनवाये और 149 नए पुल स्वीकृत किए। हमने अपने टाइम में 368 नए पुल बनवाये और 345 नए पुल स्वीकृत किए। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार की जो जवाबदेही जनता के प्रति है, यह सरकार का धर्म है। आप विकास का कार्य करते हैं या हमारी सरकार ने कराया या किसी और की सरकार ने कराये हों, यह प्रदेश की जनता पर हमने कोई बहुत ज्यादा एहसान नहीं किया, यह सरकारों का अपना धर्म है और जो भी सरकार रहती है, वह अपना धर्म निभाने के तहत् अपने कार्यकाल में अच्छा काम करने का प्रयास करती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी के अपने बजट

भाषण में यह दर्द भी उनके दिल से कहीं न कहीं आया कि लोग कानून मुद्दे पर लोग सरकार को बेवजह बदनाम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप खुद उसके गवाह हैं आज ही यहां पर एक प्रश्न के उत्तर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा कि 622 हमले पुलिस कर्मियों पर हुए, 2012 मार्च से ले करके सितम्बर, 2014 तक, यह सरकार का उत्तर है। साइबर क्राइम में भी सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि 2012 की तुलना में 6 गुना, 7 गुना, 2013 की तुलना में ढाई गुना साइबर क्राइम में बढ़ोत्तरी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम यह मानते हैं कि प्रदेश बड़ा है, कहीं न कहीं अपराध की घटनाएं घटती हैं जिस पर सरकार का कोई बस नहीं है। लेकिन सरकार का बस अपराधियों को कठघरे में खड़ा करना, कानून के दायरे में लाना, गिरफ्तार कर उसको अपराध का एहसास कराना, यह सरकार के बस में है। कोई अपराध करता है तो वह आपके बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है लेकिन उस अपराध करने वाले को सजा दिलाना सरकार के बस में है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा इसी लखनऊ में जिस तरीके से सरकार की नाक के नीचे घटनाएं हो रही हैं और प्रदेश में जिस तरीके से गुंडे, माफिया, अपराधी और अराजक तत्वों का खौफ है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बलात्कार, हत्या, डकैती, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती बेतहाशा बढ़े हैं, प्रदेश की जनता क्या दहशत की जिन्दगी नहीं जी रही है ? अगर यह अपराध करते हैं तो इन अपराधियों पर कार्यवाही करने में सरकार पीछे क्यों रहती है ? मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आज हालात यह है कि कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं हैं। कानून के रखवाले खुद कानून की धज्जियां उड़ाने में भी पीछे नहीं हैं। आम जनता इन गुण्डे, माफिया, अपराधियों से हमेशा भयभीत और दहशत में रहती है।

(सत्तापक्ष के कुछ मा0 सदस्यों द्वारा बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

इनको जल्दी खत्म कर लेने दीजिए। आप कहें। आप दलीय नेता लोग गुजारिश कर लीजिए। नेता विरोधी दल जरा संक्षेप करिए, जिससे मुख्य मंत्री जी और नेता विरोधी दल भी बोल सकें। आप लोग शांत रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे एक विधायक बीच में खड़े हो गये। हमने अभी आपको नहीं छेड़ा है।

श्री अध्यक्ष–

अब रहने दीजिए। आप आगे चलिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अपराधियों पर यह सरकार अंकुश नहीं लगा सकती है तो सरकार के मायने क्या हैं ? आज अगर सरकार को बदनाम ये गुण्डे, माफिया, अपराधी कर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है ? इन गुण्डे, माफिया, अपराधियों के गिरेबान पर कानून का शिकंजा क्यों नहीं है ? यह सरकार को

सोचने की जरूरत है। अगर मा0 मुख्य मंत्री जी की चिन्ता यह है कि बेवजह कानून के मुद्दे पर सरकार को बदनाम किया जाता है तो मा0 मुख्य मंत्री जी इस पर गंभीरता से आपको मनन करना होगा कि आखिर वह ऐसे कौन से अराजक तत्व हैं जो आपकी सरकार पर उंगली उठाने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। हम इस सदन में शुरू में आए, सहारनपुर का तनिष्क का दस करोड़ का लूट काण्ड हुआ। बीच में यहां आए ए0टी0एम0 का 51 लाख का लूट हो गया। अभी एक महीना भी नहीं बीता, इसी लखनऊ के हुसैनगंज में डेढ़ करोड़ की लूट हो गयी। यह तो लखनऊ की कहानी है, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कानून की धज्जियॉ उड़ रही हैं उससे कहीं न कहीं सरकार पर उंगली उठेगी। इसके लिए मैं चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी बेमुरव्वत हो करके ऐसे अराजक तत्व जो कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं, जो कानून से खिलवाड़ कर आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके गिरेबान पर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। सरकार आखिर कठघरे में खड़ी होती है तो क्यों ? इसलिए कि कानून कहीं न कहीं उनके साथ रहम करता है। इसलिए मान्यवर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा जिस दिन यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, हम उसी दिन की बात कर रहे हैं, निघासन में एक महिला की लाश पेड़ पर टंगी मिली। उसी दिन पुलिस के बुलावे पर किसान लल्लू पुलिस के पास गया और उसकी हत्या हो गयी। उसी दिन हाथरस में दुकानदार की हत्या हुई। उसी दिन बरेली में महिला कांस्टेबल की हत्या हो गयी। उसी दिन प्रतापगढ़ में डेढ़ करोड़ की लागत का कछुआ बरामद हुआ। उसी दिन मथुरा में पशु तस्करों द्वारा हमला हुआ था जिसमें दो होमगार्ड एक दरोगा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उसी दिन बोर्ड की परीक्षा में धांधली करने से एक छात्र और एक छात्रा उन्नाव में यानि दो बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि प्रवेश–पत्र समय से नहीं मिला। मान्यवर, उसी दिन लखनऊ में सीमा विवाद को लेकर के गोमती किनारे मिली लाश पर पुलिस नौ घण्टे देर से पहुंची और उसी दिन मान्यवर झांसी में एक महिला से दरोगा द्वारा बलात्कार का प्रयास किया गया, महिला ने बिल्ला नोच लिया था। उसी दिन पुलिस का सारा का सारा करिश्मा दिखाई पड़ा जब एस0पी0 बस्ती ने पुलिस लाइन पर सारे पुलिस कर्मियों को बुलाया और कहा 'हथियार चलाओ'। क्या ऐसे बहादुर पुलिस कर्मियों के बूते पर कानून कसेगा।

श्री अध्यक्ष–

किस जिले की घटना है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

बस्ती की। मान्यवर, उसमें एक को छोड़कर कोई नहीं चला पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां कानून को काम करना चाहिए वहां कानून कहीं न कहीं बैठा दिखायी पड़ता है। तो मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी मैंने कहा कि पूर्व सभासद शंकरगढ़, इलाहाबाद में शांतिदेवी की हत्या हुयी। सेम डे नामजद एफ0आई0आर0 हुयी गिरफ्तारी नहीं हुयी। हत्या हो गयी यह न

आपके बस में था न हमारे बस में। लेकिन हत्या के बाद जब नामजद एफ0आई0आर0 हुयी तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुयी। इसी तरह से गोण्डा में विकास यादव, 14 वर्ष का लड़का है, नवीं कक्षा में पढ़ता है। रमेश कुमार यादव का बेटा है। 22–09–14 को अपहरण हुआ और एफ0आई0आर0 भी लिखी गयी 23–09–14 को, लेकिन आज तक न बच्चे की बरामदगी हुयी न नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुयी।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

इसमें एफ0आई0आर0 लिखी गयी है। मुल्जिम जेल में हैं। लेकिन वह लड़का अपने आप भाग गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह लड़का मात्र 14 साल का है और नवीं कक्षा का बच्चा है अपने आप कैसे भाग जाएगा और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर अपने आप भाग गया तो जब एफ0आई0आर0 दर्ज है तो पुलिस को विवेचना करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। विवेचना नही की है। अगर आप बीच में दखल दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम आपके द्वारा किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, जल्दी करिये। बहुत हो गया। आज शादी ब्याह भी है। सदस्यों को जल्दी जाना भी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, एफ0आई0आर0 होने के बाद यह कानून का काम है कि वह भाग गया है, अपहरण हुआ है या नहीं हुआ है। सारी की सारी बात विवेचना से आनी चाहिए। मान्यवर, उसमें किसी और को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक फरवरी को उस बच्चे का अपहरण हुआ। मान्यवर, विकास, कक्षा 09 का छात्र यह भी है। सन ऑफ नत्थू। एस0पी0, थाना हर जगह लड़के का बाप एफ0आई0आर0 लिखाने गया लेकिन एफ0आई0आर0 तक नहीं लिखी गयी। कैसे हम कहें कि यह कानून का राज है। कैसे कहें कि यह कानून व्यवस्था दुरुस्त है। एक बच्चे का अपहरण हो गया उसके घर के लोग मारे–मारे फिर रहे हैं। थाने में जा रहे हैं, एस0पी0 के पास जा रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही है। एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जा रही है। और सरकार चाहती है कि कानून के मुद्दे पर उंगली भी न उठे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जंगलराज का एक नमूना मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि किस तरीके से अराजक तत्व बेखौफ सरकार की ऑख में धूल झोंककर कानून को अपने हाथों में लेकर मनमानी कर रहे हैं। डेढ़ सौ बीघा जमीन गांव बरडिया शुबाराजा, जनपद मिर्जापुर, विकास खण्ड लालगंज और गांव बसकोप कोटामुदत्त विकास खण्ड हलिया, इन दो ग्राम पंचायतों की डेढ़ सौ बीघा जमीन पर एक अराजक तत्व काबिज है। जिलाधिकारी से लेकर ऊपर तक गांव का प्रधान और गांव के अन्य सभी लोगों ने अपनी शिकायत की। माननीय मुख्य मंत्री जी एक ही व्यक्ति

दो ग्राम समाज की 150 बीघा जमीन कब्जा किये हुए है और आज तक उसका बाल बाका नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

यह सब मुख्य मंत्री जी को लिख कर दीजिये। आगे जो बजट पर बोलना है तो बोल दीजिये। लोग बेचैन हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी बस समाप्त कर रहे है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर केवल प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए नहीं हूं। हम लोगों की प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। अभी हमारे सर्वश्री लल्लू जी ने एक प्रकरण उठाया कसिया के दुर्गा मदेसिया का। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यह दुर्गा मदेसिया अपनी दुकान पर बैठा था, टेन्ट हाउस चलाता था। एक कार्यक्रम चल रहा था, एक प्रभावी नेता उसके यहां से जनरेटर मंगवाने के लिए आदेश किया। उसने कहा साहब मेरा जनरेटर बुक है, नहीं दे पाऊंगा। केवल इसकी सजा देने के लिए पुलिस के माध्यम से उसे बुलवाया और इतना पिटवाया कि चौकी में ही मर गया। जिला अस्पताल ले गये, डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एफ0आई0आर0 दर्ज है। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं यह कहूंगा कि जब तक कानून की धज्जिया उड़ती रहेंगी और कानून चुप बैठेगा तब तक आप पर कहीं न कहीं उंगली उठेगी। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी मैं चाहूंगा, आप कितना भी विकास कार्य कर लें, कितनी भी कल्याणकारी योजना चलाइये कितना भी और अच्छे कार्य करके वाह–वाही लूटने का प्रयास करिये लेकिन अगर कानून–व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त नहीं होगा सब आपके किये कराये पर पानी फिर जायेगा। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज अपराधियों की बाढ़ आयी है, इन अपराधियो पर अंकुश लगाने की कहीं न कहीं आवश्यकता है। सरकार का हनक दिखाई पड़ना चाहिए और सरकार के सामने यह गुण्ड, माफिया, अपराधी दम तोड़ते नजर आने चाहिए न कि सरकार को बंदरघुड़की दिखाते नजर आवें इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी आपने अपने बजट भाषण में बातें तो, लिखत–पढ़त में बहुत अच्छा किया लेकिन व्यवहारिक रूप से उसका सत्य से बहुत दूर का नाता भी नहीं है। इसलिए मैं आपके बजट भाषण पर कुछ ऐसी विशेष बातें जो आपका ध्यान आकृष्ट करने के साथ ही साथ आगे की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और उन कमियों को दूर करके अच्छा शासन प्रबन्ध देने के लिए आवश्यक है जो हमने सुझाव दिये और मान्यवर इस प्रकार से अपनी सारी की सारी बातें माननीय मुख्य मंत्री के बजट भाषण पर रख रहा हूं क्योकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में शुरू में कहा कि एक ऐसा सशक्त बाण दिखाने का ऐसा शब्दों का जादू दिखाया गया है कि जैसे जगने के बाद सपना ध्वस्त हो जाता है वैसे व्यवहारिक रूप में माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण ध्वस्त हो जाता है। इसलिए मान्यवर मैं कहना चाहूंगा कि कथनी और करनी में कहीं तालमेल नहीं है। आपके बजट भाषण से और व्यवहारिक कर्मों से कोई नाता नहीं है। इसमें व्यवहारिकता लाई जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल नेता सदन इनकी कोई समय–सीमा नहीं होती है। दलीय नेता 15 से 20 मिनट तथा माननीय सदस्य गण 10 मिनट तक बोलेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मौर्या जी आपके भाषण से आपके पीछे वाले ही सहमत नहीं हैं अगर होते तो मेज ही बजा देते आपके भाषण पर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट की सामान्य चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तीन लाख दो हजार करोड़ के बजट में जो प्लान्ट एक्सपेन्डिचर है वह 1,06,720.42 करोड़ रुपये का

(इस समय 3 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजबली जैसल पीठासीन हुए)

और मान्यवर, शेष सभी नान प्लान एक्सपेंडीचर है, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि बजट के अन्तिम पृष्ठों में इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि प्रदेश की जो स्थिति है, वह ठीक है और अगर आप यूं देखें तो 17 हजार करोड़ रूपये का जो हम केन्द्र से या फाईनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन से जो पैसा लेते हैं उसके ऊपर 17 हजार करोड़ का ब्याज वर्ष 2013–14 में हमने अदा किया और इस वर्ष भी आपकी पुस्तिका के हिसाब से मान्यवर 7.2 परसेण्ट हमने ब्याज के लिए मद तय कर रखी है जितना भी नान प्लान में एक्सपेंडीचर होगा उसमें 7.2 परसेण्ट हम ब्याज का दे देंगे, 9.8 परसेण्ट पेन्शन का दे देंगे और वेतन और सरकारी कर्मचारियों का 14.2 परसेण्ट। मान्यवर, मैं इस बात को इसलिए कोड कर रहा हूं कि अगर हम राजस्व व्यय में किसी न किसी रूप से कमी लाएं और पूंजीगत व्यय को बढ़ायें तो निश्चित रूप से हम प्रदेश को घाटे से भी उबार सकते हैं और प्रदेश की विकास दर भी बढ़ा सकते हैं और मान्यवर, हम प्रदेश को सही मायने में उत्तम प्रदेश, जो सरकार का नारा है, उस तक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में जमीन–आसमान का फर्क है। आप विकास दर देख लें, पिछले तीन वर्षों में विकास दर उत्तर प्रदेश की गिरी है। इससे अच्छी विकास दर तो तब थी जब मा0 नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। मान्यवर, यह कहा गया कि केन्द्र की 4.7 परसेण्ट विकास दर ले आये। पता नहीं कहां से ले आये और किस फार्मूले से ले आये। केन्द्र की विकास दर मा0 मुख्य मंत्री जी इसको ठीक कर लीजिए केन्द्र की विकास दर 6.9 परसेण्ट है और उत्तर प्रदेश की विकास दर 5.8 से घटकर पांच परसेण्ट रह गई और मान्यवर कृषि विकास दर तीनों साल 3.3 परसेण्ट, 3.2 परसेण्ट और 2.7 परसेण्ट पर पहुंच गई। मान्यवर, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो यह विकास दर भी ठीक आनी चाहिए और विकास दर ठीक नहीं आती है, इसका मतलब कि ठीक नहीं चल रहा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। मान्यवर, यह सरकार अपने आप को गरीबों की हितैशी बताती है, आप देख लें कि इस सरकार के मुखिया ने केन्द्र सरकार का समर्थन किया था वर्ष 2013 में फूड सिक्योरिटी ऐक्ट बना और फूड सिक्योरिटी ऐक्ट में यह व्यवस्था है कि 79 परसेण्ट ग्रामीण क्षेत्र और 64 परसेण्ट शहरी

क्षेत्र के गरीबों को उसमें लाभान्वित होना है। मान्यवर, तीन रुपये और दो रुपयें में खाद्यान्न कहां मिलेगा ? मान्यवर, उस ऐक्ट को लागू करने के बाद तीन रुपये और दो रुपये में खाद्यान्न की व्यवस्था उसमें की गई। उत्तर प्रदेश में नहीं सम्पूर्ण देश के 11 राज्यों ने इसको लागू किया, उसमें मध्य प्रदेश और बिहार भी शामिल हैं, मा0 मुलायम सिंह यादव नेता जी उस केन्द्र सरकार के समर्थक थे, जिस समय फूड सिक्योरिटी ऐक्ट लागू हुआ, एक तरफ तो सरकार कहती है कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं, दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के गरीबों को फायदा पहुंचाने वाला ऐक्ट है, जिससे सबसे ज्यादा लोग लाभान्वित होने वाले हैं, जिससे बी0पी0एल0 के लोग सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, 79 परसेण्ट ग्रामीण क्षेत्र की पापुलेशन और 64 परसेण्ट शहरी क्षेत्र की पापुलेशन जिस ऐक्ट को लागू करने से लाभान्वित हो सकती है, मैं समझ नहीं पाया, इस बजट में एक भी लाईन, किसी भी पन्ने में, लगभग 67 पेज के बजट में एक भी लाईन उस फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के बारे में नहीं कही गई जो सबसे ज्यादा गरीबों के हितैशी हैं, मैं समझ नहीं पाया कि आखिर कौन सी मजबूरी है उस ऐक्ट को लागू करने में। अगर केन्द्र सरकार ने कुछ आइडियाज दिये हैं और उसको पूरा करने के बाद आप उसको लागू कर सकते थे, वह महीनों से टल रहा है, पहले यह तय हुआ कि 31 जनवरी तक हो जायेगा, फिर उसके बाद हुआ कि शायद 31 मार्च तक हो जायेगा। अब वह कौन सा दिन आयेगा जब सरकार फूड सेक्योरिटी ऐक्ट लागू करके इस प्रदेश के गरीबों का भला करेगी। मैं तो कहता हूं कि यह सरकार गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मन है इसलिये फूड सेक्योरिटी ऐक्ट लागू न करके गरीबों का हक उनसे छीना है। मान्यवर, इसमें कहा गया है कि वर्ष 2015–16 किसान वर्ष घोषित किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी सुविधा आपने किसानों को ऐसी दे दी जिससे आप सैचुरेशन प्वाइण्ट पर पहुंच गये। अगर गांव के क्षेत्रों में किसानों की स्थिति देखी जाये तो जिस दिन से ये सरकार आई तो कहती थी कि 2016 में पूरे समय बिजली देंगे। अब आज 16 घण्टे की बात की है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में और 2019–20 तक बिजली की स्थिति सुधारने की बात कही है। मान्यवर, पता नहीं 2019–20 तक क्या होगा। बिजली की स्थिति पूरे प्रदेश को मालूम है, कहीं 4 घण्टे, कहीं 6 घण्टे, कहीं 7 घण्टे इससे ज्यादा बिजली ग्रामीण क्षेत्र में कहीं नहीं आती है। मान्यवर, ट्रांसफार्मर को 72 घण्टे में बदलने का शासनादेश है लेकिन ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते। इण्डिया मार्का के नल 25 परसेण्ट से 40 परसेण्ट तक खराब हैं और उनको ठीक कराने की बात नहीं है। नये इण्डिया मार्का–2 नलों के बारे में तो मानक ही समाप्त कर दिया गया है कि साहब वह तो लगेंगे नहीं लेकिन 25 से 40 परसेण्ट तक नल खराब हैं वे ठीक नहीं हो सकते तो पेयजल की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं। सफाई की व्यवस्था इतनी लचर है कि हर गांव में एक–एक सफाई कर्मचारी तो लगा हुआ है लेकिन वे सफाई कर्मचारी स्वयं काम करते नहीं उन्होंने अपना–अपना एक आदमी लगा रखा है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है किसी गांव में सफाई का काम होता नहीं है। सफाई नहीं, बिजली नहीं और मान्यवर, शिक्षा का यह हाल है कि दसियों हजार करोड़ रुपया सर्व शिक्षा अभियान

से लेकर प्रदेश खर्च करता है और हमने केवल एक बात की मांग की थी कि टीचरों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये बायोमीट्रिक डिवाइस की व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो उससे टीचरों की उपस्थिति सुनिश्चित हो जायेगी तो उसके लिये सरकार के पास बजट नहीं है। इस प्रकार टीचर नहीं हैं, शिक्षा का हाल बेहाल है। 'असर' की रिपोर्ट हम दोबारा कोट नहीं करना चाहते क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ जो हाल है। मान्यवर, पी0एच0सी0 में डाक्टर नहीं है। इसके अलावा, मान्यवर, अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपने खेत की नाप कराना चाहे तो वह नाप नहीं करा सकता। जहां चकबन्दी चल रही है 20–20, 30–30 सालों से, अगर उस चकबन्दी में चक कट गये तो उन पर कब्जा नहीं मिला। वह फाइनल निर्णायक स्थिति तक पहुंचा ही नहीं तो फिर काहे का किसान वर्ष, कौन सी सुविधा किसान को दे दी, क्या किया किसान के लिये, खाली नारा दे देने से किसी चीज की उपलब्धि नहीं हासिल होती। इससे ज्यादा खराब हाल क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का पलायन हो रहा है और उसको रोकने की कोई बात इसमें नहीं की गई है। केवल किसान वर्ष का नारा देकर किसानों के सेण्टीमेण्ट्स को एक्सप्लॉइट करने की जो चेष्टा की गई है तो मैं समझता हूं कि वह कभी पूरी नहीं होगी। मान्यवर, जहां तक शहरी क्षेत्रों का सवाल है तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं शहरी क्षेत्रों की तरफ। मैं बजट पढ़ रहा था तो उसमें जल निकासी सीवर लाइन के लिये 249 करोड़ रुपये दिये हैं। ऐसे न मालूम कितने शहर होंगे कि जहां पर सीवर लाइन अधूरी पड़ी है। जो पैसा लगा है वह भी बरबाद हो रहा है। इसी हाउस में कई बार एश्योरेन्स है कि हम उस पैसे को बरबाद नहीं होने देंगे लेकिन सीवर लाइन को पूरा नहीं किया गया। ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट बना नहीं उसको अंतिम छोर तक पहुंचाया नहीं गया और वह भी पैसा बरबाद हो रहा है। मान्यवर, इसलिये कई जिले हैं जहां पर सीवर लाइन नहीं है, उनमें शाहजहांपुर भी एक जिला है। मान्यवर, उन जनपदों के लिये मैं कहना चाहता हूं कि उन जनपदों की सीवर लाइन पूरी होनी चाहिये। मान्यवर, एक बात कही गई कि साइकिल ट्रैक बनेगा। एक तरफ तो हम 21वीं सदी में प्रदेश और देश को आगे ले जाने की बात करते हैं तो मैं समझ नहीं पाया कि लखनऊ और आगरा में साइकिल ट्रैक बनवायेंगे, 168 करोड़ रूपये की व्यवस्था, उसके लिये एक एकेडमी और वेलोड्रम तमाम चीजें इसमें दी हुईं हैं, हम इसकी उपयोगिता को नहीं समझ पाये। ये यूरोप, अमेरिका में इसका उपभोग तो होगा लेकिन ऐसा है कि ये केवल सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिये साइकिल ट्रैक बनाने का एक शिगूफा छोड़ा गया है। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला एक तरफ सड़कों में गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं और दूसरी तरफ साइकिल ट्रैक बनवा डाले आपने। मान्यवर, जो अधूरे पुल पड़े हुए हैं, वह पूरे नहीं हो रहे हैं। मान्यवर, नगरीय क्षेत्र में पेयजल के लिए 354 करोड़ की व्यवस्था है। मान्यवर, आबादी बढ़ी है, तो मलिन बस्तियों की संख्या बढ़ गई है और मलिन बस्तियों की संख्या के साथ–साथ उनकी आवश्यकता सबसे पहले पीने के पानी की होती है। मान्यवर, उन क्षेत्रों में भी हमारे पास इण्डिया मार्का नल नहीं है, जहां उन असेवित बस्तियों में, जहां सर्वाधिक आवश्यकता है इस बात के लिये और 354 करोड़

रुपया इस बजट में बहुत कम है मान्यवर, हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मान्यवर, जिला योजना में हर बार पैसा क्वांटिफाई होता है। जिला योजना अधिनियम बना हुआ है, जिला योजना अधिनियम में भी यह व्यवस्था है कि परिव्यय सरकार निर्धारित करेगी। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। जिले के हाईस्ट रिकमेन्डेटरी बॉडी है, उसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसी जिला योजना समिति को पॉवर है कि वह इसमें परिवर्तन कर सकता है। यहां से कांट–झांट करने की पॉवर नहीं है। जिस संस्था का अध्यक्ष प्रभारी मंत्री हो, वह सरकार का वरिष्ठ काबीना मंत्री होता है, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। वह जिले के हाईस्ट रिकमेन्डेशन, सारे जिले के प्रतिनिधियों को बैठाकर पूरे जिले का समेकित विकास हो, उसके लिए यह योजना बनाई जाती है। उसमें पूछिये कि धन कितना दिया और देने के बाद खर्च कितना हुआ। 75 करोड़ रुपया केवल सड़कों के लिए दिया गया है ''जिला योजना में'' मान्यवर, जिला योजना में। ''चुकरिया भर बारूद और अंग्रेजों से जंग'', मैं पूछना चाहता हूं कि इस 75 करोड़ में किस जिले का क्या विकास होगा ? पूरे प्रदेश को 75 करोड़ जिला योजना में। मान्यवर, एक प्रकार से पूरे तरीके से जिला योजना के साथ मजाक किया गया है। मान्यवर, यह अपने आपमें बहुत दुखद है। पूरे बजट में उत्तर प्रदेश में लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और हर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के परिवार का एक व्यक्ति बेरोजगार बैठा है। एक भी लाइन इसमें रोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में एक भी लाइन नहीं कही गई है और मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार जब इसमें (बजट में) सतुष्टि व्यक्त की गई, आखिर किस आधार पर इसमें (बजट में) संतुष्टि व्यक्त की गई, बेरोजगार को हम रोजगार दे नहीं सकते। किसी प्रकार से उसके आंसू पोछ नहीं सकते, उसका स्तर ऊंचा उठा नहीं सकते और किसान वर्ष मना लो और उसके बाद झूठे नारे दे दो, झूठे वादे कर लो, करना कुछ नहीं है। अभी नेता विरोधी दल ने एक बात कही थी कि पूर्वान्चल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि उसमें पैसे की कटौती कर दी गई है। इसके लिए तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको भी दिया जाए और मध्यांचल के लिए भी एक पैकेज बना दें, मध्यांचल विकास निधि का अलग से गठन भी किया जाए। जिसमें लखनऊ भी आता है, कानपुर भी आता है और बाकी क्षेत्र भी आता है। कम से कम इन क्षेत्रों का भी विकास हो। माननीय आप का भी समर्थन करते हैं कि कम से कम पश्चिमांचल को भी उसी अनुपात में दिया जाए जो पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड के लिए पहले से व्यवस्था थी। मान्यवर, तीसरी बात विशेष रूप से औद्योगिक वातावरण प्रदेश में है नहीं। दो सम्मिट किए, नीयत तो अच्छी है, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो लेकिन उसका आउटपुट क्या है ? खाली मिश्री, मिश्री कहने से लार टपकती है, मुंह मीठा नहीं होता। मुंह मीठा तब होता है, जब मिश्री उठाकर खायें। मान्यवर, एक भी बड़ा कारखाना जब तक इस प्रदेश में नहीं आएगा और औद्योगिक निवेश जब तक इस प्रदेश में नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार से इस प्रदेश की तरक्की नहीं संभव है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता की बात कही गई कि यह सरकार पारदर्शी है। आज

आप उत्तर प्रदेश की पुलिस बेवसाइट देख लें मान्यवर, उत्तर प्रदेश की पुलिस वेबसाइट पर 2013 दिसम्बर तक के आंकड़े हैं और उसके बाद 2014 का आंकड़ा इसमें नहीं मिलेगा। ये पारदर्शिता है। मैं पूछना चाहता हूं इस बजट पुस्तिका में, पिछले साल जो इन्होंने पैसा लिया 2 लाख 76 हजार करोड़ रुपया, इसमें एक समरी आनी चाहिए थी कि इतना पैसा हमने इस मद में लिया है और उसमें से इतना–इतना पैसा इस मद में खर्च हो गया है। माननीय मौर्या जी ने जो बातें कही हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। साल भर के लिये पैसा दिया गया मान्यवर और वह पैसा पूरा खर्च नहीं हो पाता है मान्यवर मंहगाई निरंतर बढ़ रही है सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य पांच प्रतिशत से सात प्रतिशत तक बढ़ जाता है, अगर समय पर पैसा खर्च हो जाये तो लोगों को उसका लाभ भी मिलता है और उसी पैसे में वह काम भी पूरा हो जाता है। और समय से जब देरी होती है, उस पैसे का खर्च नहीं हो पाता है तो न तो उस योजना का लाभ जनसामान्य को मिल पाता है और उसकी कास्ट भी बढ़ जाती है। और जिसका बोझ जनता को उठाना पड़ता है। मान्यवर, इस बजट में छलावा किया गया है यह कहा गया है कि आगामी वर्ष में यह करेंगे लेकिन यह नहीं बताया गया है कि पिछले वर्ष में जो लिया गया था उसमें यह योजना पूरी हो गयी है यह पूरी नहीं हो पायी है। इसमें इसकी एक लाईन तो आनी चाहिये थी इस बारे में। मान्यवर हम बरसों से देख रहे हैं कि 300 करोड़ रुपया बैटरी चालित रिक्शा के लिये हर वर्ष के बजट में आ जाता है। पिछले वर्ष भी आया था उसके पिछले साल भी आया था। मान्यवर इसमें बताया नहीं गया है कि पिछले साल जो तीन सौ करोड़ इसके लिये दिया गया था वह कहां चला गया एक भी लाईन उसके बारे में इसमें नहीं आयी है। बताते कि यह मजबूरी थी। मान्यवर, जो बजट पुस्तिका देते हैं उसमें हाईलाईट करते हैं तो उसमें बताना चाहिये कि इसमें हो पाया इसमें नहीं हो पाया। मान्यवर उसके बारे में बजट पूरी तरह से मौन है। शहरी मलिन बस्तियों में मान्यवर 310 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है यह बहुत कम है इसको बढ़ाया जाना चाहिये। मान्यवर, किसान मित्र योजना इस सरकार ने समाप्त की मान्यवर किसान मित्र योजना अगर चालू कर दें तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिल जायेगा और उससे किसानों को फायदा भी हो जायेगा। शुगर मिलों के संबंध में मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण में काफी कुछ कह चुका हूं। लेकिन एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी से जरूर कहना चाहता हूँ कि जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं खोजेंगे जब तक शुगर काम्पलेक्स नहीं बनायेंगे जब तक उसके बाई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी न किसी रुप में यदि उन्हें बिजली बनाने में सहयोग करेंगे तभी शुगर मिलों की स्थिति अच्छी हो जायेगी। खाली शुगर के प्राइज से गन्ने का मूल्य चुका पायें मान्यवर यह मुश्किल हो गया है मान्यवर। पिछले साल भी किसानों की दुर्दशा थी इस बार भी स्थिति वही है, 1152 करोड़ रुपये दिये गये। इस बार भी 240 रुपये किवंटल का भाव मिलना है इस बार भी रो रोकर मिल रहा है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि 11 चीनी मिलों का उनके सेंटर चेंज कर दिये गये उनमें पेमेंट करने की स्थिति नहीं है। जो पैसा है दिया है उसका पेमेंट करने की स्थिति नहीं बन रही है और यह कहा जा रहा है कि

प्राइज नीचे है इसलिए ज्यादा नहीं देंगे। मान्यवर कामधेनु योजना में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है वह बहुत कम है इसको बढ़ाया जाना चाहिये। मान्यवर, महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है इस सरकार के द्वारा, कल अन्तरर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। आपकी सरकार की 1090 डायल योजना है उसकी उपलब्धि क्या है यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायेंगे। लेकिन अन्ततोगत्वा एक उपलब्धि हम लोगों को देखने को मिलती है कि जो गरीब बेटियों की शादी के लिये अनुदान योजना थी वह इस सरकार ने बंद कर दी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। यह चालू किया जाना चाहिये हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करके निर्णय लेंगे। मान्यवर एक शासनादेश आप लोगों के द्वारा लागू किया गया जो अशासकीय विद्यालय हैं यह सितम्बर 2014 का शासनादेश है जिसमें शिक्षक और शिक्षेणत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में है मान्यवर जो अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय हैं मान्यवर उसमें तो शासनादेश लागू हो गया लेकिन नियुक्ति के मामले में 6 महीने हो गये अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। लोहिया ग्राम में सड़कों के लिये 20 लाख हैं जो कम हैं इसमें ग्राम की अधिकांश आबादी छूट जाती है इसमें धन बढ़ाये तो कम से कम एक क्षेत्र में यह कहने के लिए हो जायेगा कि हॉ इन लोगों ने भी ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सड़क और नाली का निर्माण किया और यही स्थिति जो लोहिया के अतिरिक्त जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत 40 लाख रुपया की इसमें व्यवस्था की गयी है अगर उस 40 लाख के बजाय इसमें यह कर दिया जाय कि सम्पूर्ण गांव के जितने भी गलियारे हैं सारे के सारे पक्के होंगे तो मैं समझता हूं कि सारी की सारी आबादी को लाभ मिल सकता है। मान्यवर, मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी से 2–3 बाते और कहना चाहता हूं मान्यवर, यह दवाओं की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में दवा के ऊपर जो भी वैट है वह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आपने 587 करोड़ रूपये दवा की व्यवस्था के लिए किये हैं लेकिन वह अपर्याप्त है। दूसरी बात, एस0जी0पी0जी0आई0 में, मैं निश्चित रूप से दो बातों का समर्थन करना चाहता हूं जो नेता विरोधी दल ने कहा एसजीपीजीआई में जब शुरू में यह प्रारम्भ हुआ था तो 1700 बेड का था आज तक 1000 से ज्यादा बेड फंक्शनल नहीं हो पाये। अगर डाक्टर्स की उम्र बढ़ाना हो तो बढ़ा दे संविदा के ऊपर चाहे डाक्टर्स रख लें लेकिन एस0जी0पी0जी0आई0 जो उत्तर प्रदेश का सुपरस्पेशलटीज अस्पताल है काफी ख्याति प्राप्त अस्पताल है लोगों को उससे राहत भी मिलती है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, अब आपका समाय समाप्त हो गया है, आप समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर यह उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है यह राजस्व की प्राप्तियां वर्ष 2013–14 में 8.9 प्रतिशत का लक्ष्य था उसके अंगेस्ट में 7. 98 प्राप्त हुआ, 2014–15 में 8.5 परसेन्ट का लक्ष्य था अभी तक 7.9 प्रतिशत इसका प्राप्त

हुआ। मान्यवर, इसमें जो भी प्राप्तियों का लक्ष्य दिया गया है वह मैं समझता हूं कि वह बढ़ाकर दिया गया है और वह पूरा होना मुश्किल है और अन्त में यह स्थिति बनती है इसके बाद कि हमको बाद में परेशानी उठानी पड़ती है इसलिए बहुत लम्बे सब्जबाग भी नहीं दिखाना चाहिए और कुल मिलाकर एक रुपया लाना चाहिए और जो व्यावहारिक हो उसी के हिसाब से इसको बढ़ाना चाहिए। यह बजट अपने आप में प्रदेश की जनता को धोखा देने वाला और एक जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक बाते असत्य कही गयी यह प्रदेश के विकास को गति नहीं दे सकता इसमें पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए और राजस्व व्यय कम होना चाहिए। बिजली के ऊपर पिछले साल 33 हजार करोड़ की व्यवस्था की गयी इस बार 25 हजार 764 करोड़ की व्यवस्था की गयी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली की व्यवस्था क्या ठीक हो गयी ?

मान्यवर, कानून–व्यवस्था की स्थिति कुछ इस पर बात आ चुकी है माननीय मुख्य मंत्री जी को इसका संज्ञान लेकर उसका सुधार जरूर करना चाहिए और जो ओला वृष्टि हुई जो किसानों को क्षति हुई उसमें 9 लोगों ने आत्महत्या की या सदमे से मरे उनको मुआवजा मिले उनका फसली ऋण माफ हो और उनकी देनदारियां स्थगित हो आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने आपको नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि 2015–16 का माननीय मुख्य मंत्री जी जम्बो बजट लाये हैं जो पिछले वर्ष से 10.2 प्रतिशत अधिक है यह लगभग 3 लाख 2 हजार 687.32 करोड़ का है इसमें काफी विजन है, अच्छी सोच हैं और कार्य करने के कुछ नये इन्होंने आयाम दिये है परन्तु पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने 403 विधान सभा में नहीं बाटा है काश, यह बजट पूरे 403 विधान सभाओं में बराबर बटे तो यह उत्तम प्रदेश कहलायेगा। आपका जो सपना है उत्तम प्रदेश बनाने का वो तभी सार्थक हो पायेगा। बजट से सीधे–सीधे पता लगता है कि कुछ विशेष क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है। लखनऊ, आगरा तथा बनारस इन क्षेत्रों पर आपका विशेष ध्यान है। आपने हेरिटेज हब बनाने की बात करी। उसमें तमाम ऐसी व्यवस्थायें करी कि तमाम ऐसे शहर छूट गये, जिससे कि आप प्रदेश को और आगे ले जा सकते थे। माननीय अधिष्ठता जी, यदि आप 2014–15 की अपेक्षा कर राजस्व को देखें तो 13.5 प्रतिशत की इसमें वृद्धि संभावित है। जी0डी0पी0 रेसियो पूववर्ती वर्षों से गिर रहा है, जो कि एलार्मिंग है। इसके अतिरिक्त बहुत बड़े–बड़े वायदे किये गये हैं, परन्तु बजट खर्च नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। हम अनुपूरक बजट भी लाते हैं, मुख्य बजट भी लाते हैं, पर बजट का पैसा खर्चा करने में क्यों कोताही, बाद में आपका पैसा लैप्स होता है। यह प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, विधायकों के साथ धोखा किया जाता है कि बजट में तो पैसा था लेकिन सरकार उसे खर्च नहीं कर पाई। तो इस मामलें में मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार को कोताही नहीं दिखानी चाहिये, खुलकर पैसा खर्च करना

चाहिये पहले दिन से प्रदेश के विकास के लिए। जहां तक अवस्थापना का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे जो आप बना रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई हो और उसके लिए आपने 3000 करोड़ की व्यवस्था की है। हम नेता प्रतिपक्ष को भी बधाई देंगे कि इनकी सरकार में जो नोएडा से लेकर आगरा तक एक्सप्रेस–वे बना उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जीवन्तता आ गई, जब आप आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस–वे बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा। काम शुरू हो गया है मुझे पता है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन्फ्रास्ट्रकर के मामलें में एडवेन्चर्स के मामलें में सैमसंग, इन्फोसिस, एच0सी0एच0, टाईम्स ग्रुप, एज्योर ग्रुप, रिलायंस, अमूल इत्यादि के निवेश की बात आपने करी है, परंतु आपको इन इन्वेस्टर्स को टाइम बाउण्ड करना पड़ेगा एच0ओ0यू0 में, क्योंकि होता क्या है कि यह इन्वेस्टर्स आपसे जमीन ले लेते हैं, और फेसिलिटीज ले लेते हैं, उनको आप प्रोत्साहित करते हैं, उनको आप आगे बढ़ाने की बात भी करते हैं, लेकिन अगर आपने उनको टाइम बाउण्ड नहीं किया तो अगर उन्होंने चार–पांच साल तक कार्य नहीं किया तो सब बेकार हो जाता है, इसलिये आपको प्रतिबद्धता के साथ उनके ऊपर एक तरह का प्रेसर क्रियेट करना होगा कि टाइम बाउण्ड समय में वह कार्य करें वरना यह व्यवस्थायें खिंच जाती है प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ जाती है और नतीजा यह होता है कि फाइनल ग्राण्उड पर कुछ फाइनल सक्सेज प्रदेश को नहीं मिल पाती हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, इस बजट में 9388.79 करोड़ रुपये की नई परियोजनायें शामिल की गई हैं, यह अच्छी बात है। मैं मुख्य मंत्री जी से कह रहा था कि यदि यह परियोजनायें समय से पूरी होती हैं, तो उसका लाभ है, वरना कोई लाभ नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी और सम्मानित शिवपाल जी से यह बात कहना चाहूंगा कि आप यह देखिये कि ग्रास रूट पर आपका पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। मैं मानता हूं कि आपकी सोच पाजीटिव है, पर यह मानकर चलिये कि अफसरशाही ग्रास रूट पर निरंकुश है। मैं उदाहरण दे सकता हूं कि 15 करोड़ घाट बनाने का पैसा तीन साल से पर्यटन विभाग में दबा पड़ा है, हम हर नियम में उठा चुके हैं कि भाई यह पैसा निकालो, यह पैसा निकालो, पर अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और इस तरह वह 15 करोड़ रुपया लैप्स हो जायेगा, अब यह व्यवस्था नीचे कन्ट्रोल करने की है। यह पूरा आपका जो बजट है इससे लगता है कि मैनीफैस्टो को पूरा किया जा रहा है और इसमें दो साल के बाद आने वाले चुनाव का भी रिफलेक्शन हैं। अब आप कृषि के मामलें को देखिये। आपने किसान वर्ष घोषित किया। अच्छी बात है कि आपने किसान वर्ष घोषित किया, पर 200 करोड़ की मुफ्त सिंचाई करने से काम चलने वाला नहीं है। 1000 करोड़ के आप एग्री सेण्टर्स खोल रहे हैं पर उन एग्री सेण्टर्स का लाभ किसानों को कितना मिल पायेगा यह तो वक्त बतायेगा। किसानों को बीज, किसानों को खाद, किसानों को पानी की आवश्यकता है, स्थिति यह है कि नीचे लेवल पर किसानों को बहुत त्रस्त होना पड़ता है, न उनको खाद मिलती है, न बिजली मिलती है, न पानी मिलता है। आपने ऊर्जा के मामलें की बात करी। रुपये 2100 करोड़ की आपने व्यवस्था रखी, परंतु जब तक आप प्रदेश में बिजली खरीदेंगे नहीं, भला

होने वाला नहीं है। एवरेज बिजली की व्यवस्था देखिये। पूरे प्रदेश में ऐवरेज में शहरों को मुश्किल से 6–7 घण्टे, देहातों को मुश्किल से 3–4 घण्टे बिजली मिल पाती है। यह आप लोगों के वी0आई0पी0 इलाकों में हो सकता है, पर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इधर के एम0एल0ए0 के यहां देखिये। वास्तविकता से मुख मत मोड़िये। वास्तविकता आपको बता रहा हूं कि व्यवस्था यही है। बिजली खरीदने के लिये आप दूसरी प्रदेश सरकारों से एग्रीमेंट करिये, कुछ नये बिजलीघर बनाने के लिये आप परियोजनाओं को लगाइये, आप यदि यू0पी0 पावर कारपोरेशन की अंडरटेकिंग को देखें तो 40 हजार करोड़ का घाटा है और उस 40 हजार करोड़ के घाटे को यदि आप इस बजट में एक ऋण के रूप में ले लें तो आपके मेन बजट का क्या हाल होगा। आपकी जितनी बिजली कम्पनियां हैं, सब बुरी तरह से लॉसेस में हैं। आप कितना भी उनको रिवाइव करने की कोशिश करें, इतना आसान नहीं है उनको रिवाइव करना। आप यथार्थ में जीने की कोशिश करिये, यह बजटरी किताब दिखाना एक मृगमरीचिका की तरह व्यवस्था को दिखाना है, यह समझते हैं कि हम अपने आप को भी गुमराह कर रहे हैं और जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, गन्ने के प्राइस के बारे में हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि आप इसके दाम को इस वित्तीय वर्ष में अवश्य बढ़ायेंगे, परन्तु ढाक के तीन पात। आपने वही के वही रेट रखे हैं और गन्ना किसानों के साथ सरेआम धोखा हुआ है। इसी तरह से आपने गेहूं का मूल्य 1400 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। इसी तरह धान के किसानों का बड़ा पुरसाहाल है तो जब यह किसानों की सरकार है और आप किसान वर्ष घोषित कर रहे हैं तो आपको किसानों के लिये दरियादिली दिखानी चाहिये थी। इसी तरह यदि आप नगर विकास की बात करें तो जैसा सीवर के लिये माननीय खन्ना जी ने कहा, जो नालों के लिये कहा, वह बजट का एमांउट बहुत कम है, उन्होंने शहरी सड़कों के बारे में बात कही, आप पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों की सड़कों का हाल देखिये, शहर की सड़कों का हाल इतना बुरा है, सड़कें बुरी तरह टूटी पड़ी हैं, माननीय शिवपाल जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि नगरपालिकाओं की सारी सड़कें अपने एकाउन्ट में ले लें और उनको लेकर उसके लिये फंड दें और माननीय आजम खां साहब को भी लालीपाप दे दिया गया है। सड़कों के लिये कोई बड़ा पैसा नहीं दिया गया है, केवल 100 करोड़ आपने इनको दे दिया है। इतनी धनराशि में यह कितनी सड़कें बनवा देंगे, आपके पास जब केवल 20 हजार करोड़ रुपये हैं, 10 हजार करोड़ रुपये है तो माननीय आजम खां साहब से आप वह सड़कें गोद ले लीजिये और पी0डब्लू0डी0 वाले शहर की सड़कें बनाये। उसके लिये नगरपालिकाओं से एन0ओ0सी0 लेने पड़ते हैं आपकी बाकी बचीखुची नगरपालिकाओं पर बी0जे0पी0 वाले काबिज हैं, इन्होंने तो इन सड़कों का कबाड़ा कर रखा है। स्थिति यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे हर वित्तीय वर्ष में यह बोलता हूं, माननीय आजम खां साहब से बोलता हूं कि आप अपने यहां डी0पी0आर0 बनाने का एक डिपार्टमेंट क्रियेट करिये। यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जो आपके जे0ई, ए0ई0 नीचे डिपार्टमेंट के लेविल पर हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, एक जरूरी बात कहनी है कि मैनें सुबह प्रश्नकाल में सदन में एक वायदा किया था कि जो बारिश हुयी है मौसम के खिलाफ और जो ओलावृष्टि हुयी है, उसके लिये मैनें माननीय नेता सदन से आप सबकी तरफ से गुजारिश की है और आपने यकीन दिलाया है कि पहले भी पैसा बॉटा गया है और जितना भी बेहतर से बेहतर कम्पनसेशन होगा, वह दिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इसकी वजह से जिनकी मृत्यु हो गयी है, उनके लिये क्या करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

देखिये, यह थोड़ा जॉच का विषय है, अगर उनकी मौत किसान होते हुये, वह तो किसान को मिलता ही है, लेकिन अगर अलग से कोई कम्पनसेट करना है तो भी नेता सदन की नॉलेज में है, आपका कहना यह है कि यदि अपनी फसल को देखकर शॉक से उनकी मौत हो गयी है तो यह जांच का विषय है, यदि शॉक से हुयी है तो जाहिर है उसके लिये भी विचार किया जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का संज्ञान इस ओर चाहूंगा कि आप एक टेक्निकल डिपार्टमेंट डी0पी0आर0 बनाने का बना दीजिये, हमारा प्रदेश इस मामले में पिछड़ जाता है, आप लोगों की डी0पी0आर0 सेंटर में पहुँच ही नहीं पाती, चाहे हमारी सरकार रही हो और चाहे इनकी सरकार आ गयी हो। जब तक आपकी प्रापर डी0पी0आर0 केन्द्र सरकार में पैसा लेने के लिये नहीं भेजी जायेंगी, तब तक आप वहां से पैसा नहीं ला सकते। यही कारण है कि जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनीवल मिशन का पैसा केन्द्र सरकार से हम प्रापर्ली नहीं ला पाये और हम समय से टेक्निकली साउंड डी0पी0आर0 बनाकर नहीं भेज पाये। आपने उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिये भी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में कम प्रावधान किया है, हमारे जो सातों शहर हैं उसमें इस मिशन की स्कीम्स को पूरा करने के लिये पैसा बहुत कम है, इसलिये यह बहुत गंभीर इश्यू है, इसलिये आपकी सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दे और जब तक आपकी टेक्निकल डी0पी0आर्स नहीं बनेंगी, तब तक आप केन्द्र सरकार से पैसा नहीं ला पायेंगे और पैसा ला भी पायेंगे तो उसे खर्च के लिए भी आपके पास प्रापर अधिकारी नहीं हैं। मान्यवर, मैं औद्योगीकरण के बारे में कहना चाहूंगा कि आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के उद्यमी जो भी व्यवस्था बनाते हैं चाहे फायर ब्रिगेड्स बनायें या कोई व्यवस्था बनायें, मा0 मुख्य मंत्री जी 10 परसेंट रिफरेंश उत्तर प्रदेश के लोकल उद्यमियों को पहले मिला करता था लेकिन आज की सरकार ने वह 10 परसेंट रिफरेंश खत्म कर दिया है। आज स्थिति यह है कि हरियाणा, कर्नाटक के लोग टेन्डरिंग में आते हैं और प्रदेश का उद्यमी देखता रह जाता है। मैं कई बार आपको पत्र दे चुका हूं, चीफ सेक्रेटरी को पत्र दे चुका हूं, प्रमुख सचिव, इण्डस्ट्रीज को पत्र दे चुका हूं लेकिन वह नक्कारखाने में तूती की आवाज सिद्ध हुई, कोई सुनने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश के उद्यमी जो माल बना रहे हैं, बड़े–बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनका माल कैसे बिकेगा, वह बिक नहीं रहा है और

दूसरे प्रदेश के लोग अपना सामान गाड़ियां या फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर रहे हैं। एक तरफ तो आप उद्यमियों को बचाने की बात करते हैं एक तरफ तो आप इण्डस्ट्रीज की बात करते हैं लेकिन उद्योग तो तभी लगेंगे जब उनका माल बिकेगा लेकिन आज माल बिक ही नहीं रहा है तो आपके उद्यमी कैसे सर्वाइव करेंगे। मा0 अधिष्ठाता जी, बात पर्यटन विभाग की है, मा0 मुख्य मंत्री जी ने बहुत समिट कीं, तमाम लोगों को बुलाया, छोटे–छोटे वायुयान चलाने के लिए कनेक्टिविटी लखनऊ में देने की बात की परन्तु आप हेरिटेज टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, यह लोकल टूरिज्म जो उत्तर प्रदेश का है जो रिलीजियस टूरिज्म उत्तर प्रदेश का है आप उसको क्या देने जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृहों की हालत को देख लीजिए, उसमें कुत्ते सोते हैं, हालात इतने खराब हैं कि आठ–दस पर्यटक आवास को छोड़कर बंटाधार हुआ पड़ा है। आप लोकल टूरिज्म को कैसे आकर्षित करेंगे उसके लिए आपने कौन सी व्यवस्था बनाई है, मैं दूर नहीं जाता पास में मथुरा में आपकी कृपा नहीं मिलती है अब आप जब जायें तो कृपा करके आयें। इसी तरह से संस्कृति विभाग का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश संस्कृति के मामले में बिल्कुल रिच है। यदि आप संस्कृति को बढ़ावा दें तो आप देखेंगे कि आप क्या कुछ कर पायेंगे लेकिन इसका बजट बहुत कम है, पर्यटन का बजट भी बहुत कम है। हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं परन्तु दुनिया के तमाम देश पर्यटन और कल्चर पर चल रहे हैं। उनकी इकोनॉमी टूरिज्म एण्ड कल्चर पर बेस्ड है। (किसी मा0 सदस्य के बोलने पर) अब मोदी जी की तो बात छोड़ दीजिए अब तो आपकी पी0डी0पी0 पार्टी हो गई है। आप लखनऊ में 50 हजार लोगों के बैठने वाला स्टेडियम बनवा रहे हैं, कानपुर में 33 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आपने अवार्ड्स भी दिये हैं और जो खिलाड़ी होते हैं उनको आप प्रोत्साहित भी करते हैं परन्तु जो जिला स्तरीय स्टेडियम्स हैं उनके बारे में आप अपने 403 विधायकों से पूछ लीजिए कि जिलों में उनका क्या पुरसाहाल है। आप महानगरों की बात को छोड़िये आज जिला स्तरीय स्टेडियम्स में बेसिक सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए आपको प्रॉपर एलोकेशन ऑफ बजट करना पड़ेगा। वहां आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमें पता है कि आप खेलों पर विशेष ध्यान देते हैं लेकिन खेलों के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और स्टेडियम्स में भी गधे चर रहे हैं, इसलिए इसमें भी प्रॉपर बजट का एलॉटमेंट चाहिए जो कि आपने नहीं किया है। जैसा कि पूर्व में ग्रामीण विकास के मामले में कहा गया, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, मैं नगर विकास मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गांव में पाइप इतने घटिया स्तर का लगाया गया है कि जैसे टंकी से पानी छूटता है सारी पाइप लाइनें फट जाती हैं और इस योजना का फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। यदि कोई भी व्यवस्था किसानों के लिए बनाई जाती है तो उसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए। इसी तरह से उच्च शिक्षा की बात करते हैं, पूरी दुनियां में उत्तर प्रदेश छठवें कंट्री के बराबर है किन्तु हमारे प्रदेश में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो दुनिया की 10 यूनिवर्सिटीज में से एक हो। आपने कुल 134 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, आप आज यूनिवर्सिटीज का हाल देखिये। वह यूनिवर्सिटीज

वाइस चांसलर की प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी हो करके रह गयी हैं। मैं सदन के माध्यम से आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसा पेंच डालिये विश्वविद्यालयों में जिसमें सरकार का दखल हो और प्रदेश के विश्वविद्यालय ठीक से चल सकें। प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय ठीक से नहीं चल रहा है, लेट रिजल्ट्स का आना, फर्जी मार्क्सशीट्स, मॉस कापीईंग हो रही हैं। आज प्रदेश का क्या भविष्य होगा जब अच्छे छात्र बनकर नहीं निकलेंगे। डा0 लोहिया ग्राम व जनेश्वर मिश्र गांव के बारे में कहा गया। इसमें चाहिए कि आप लोहिया ग्राम में पूरे ग्राम को सेचुरेट कराईये। आप जो 40 लाख रुपया देते हैं उससे पूरे गांव को सेचुरेट करिये जिससे गांव वाले खुश हों और आपको दुआयें दें। इसी तरह से जनेश्वर मिश्र में भी कोई न कोई इस तरह से व्यवस्था करिये। माननीय अधिष्ठाता जी, दूसरी बात यह है कि यह सब तब होगा जब प्रदेश की कानून–व्यवस्था ठीक हो। मैं समझता हूं कि मैंने अभी कानून–व्यवस्था के बारे में बोला था और मा0 मुख्य मंत्री जी मैं आपसे सीधे–सीधे कहना चाहूंगा कि आज स्थिति यह है कि आपका एस0एच0ओ0 एस0एस0पी0 पर हावी है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता कांग्रेस, माथुर जी समय का ध्यान रखें, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री प्रदीप माथुर–

जब तक आप दरोगा राज को कण्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपके वे सपने जिन सपनों के आधार पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं और इण्डिस्ट्रलाईजेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स की बात करते हैं वह तभी हो पायेगा जब कानून–व्यवस्था के माध्यम से आप एक कान्फीडेंस इन्वेस्टर्स को देंगे कि कानून–व्यवस्था व्यवस्था ठीक रहेगी। माननीय अधिष्ठाता जी, कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं मुख्य मंत्री जी में एक सोच थी करने की, अब इस बजट का अनुपालन किस तरह से हो, प्रदेश के लोगों को कैसे लाभ मिले, अफसरशाही इस काम को किस तरह से करे और मुख्य बिन्दु तक कैसे पहुंचे तभी आपका बजट सार्थक है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता कांग्रेस माथुर जी, अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर–

वरना यह बजट मृग मारीचिका की तरह है यदि इसका अनुपालन प्रापर–वे में नहीं होता है तो यह एक मृग–मारीचिका है। गन्ना किसानों के बारे में मैं बोल ही चुका हूं पर शुगर मिल्स की हालत बहुत खराब है। मुख्य मंत्री जी की घोषणा हो चुकी है परन्तु छाता में शुगर फैक्ट्री को चालू करने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की और उसको दो साल हो गये परन्तु छाता शुगर फैक्ट्री

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

का कोई काम नहीं हुआ है। हमारे मा0 सदस्य श्री अजय कुमार लल्लू जी की ये दो सड़कें हैं इसको मैं लिखकर दे दूंगा उसका संज्ञान ले लिया जाए। इसके अतिरिक्त जिस तरह से पूर्वान्चल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि है इसी तरह से पश्चिमांचल विकास निधि की मैं मॉग माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी, अब आपका समय समाप्त हुआ, बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर–

बताया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सड़कें टूटी पड़ी है इसकी व्यवस्था ठीक करायी जाए। धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने पूर्व साथी माननीय मौर्या जी, मा0 खन्ना जी, मा0 प्रदीप माथुर जी के साथ अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पेश कर रहा हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी, बहुत कम बोलूंगा, बहुत कम बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन संसदीय रहे।

श्री दलवीर सिंह–

इस सरकार ने इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में घोषित किया, पूरा सदन चिल्ला रहा है कि पूरी फसल बर्बाद हो गयी, ओलावृष्टि हो गयी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसके लिए सदन में रहना जरूरी है।

श्री दलवीर सिंह–

मैं सदन में था और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपको बताया, ओलावृष्टि के बारे में अभी नियम–56 में पूरी बात हो गयी फिर उसे क्यों दोहरा रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय सदस्यों की भावना का आदर करके मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी व मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन उसके साथ–साथ किसान वर्ष के रूप में आपने घोषणा की है मैं चाहूंगा कि इस बजट में प्राविधान किया जाय किसान की हालत बहुत खराब हो गई है मैं चाहूंगा कि बोनस के रूप में किसान को कुछ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब आप कहां जा रहे हैं बैठिए।

श्री दलबीर सिंह–

उसके लिए बजट में प्राविधान किया जाय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा मण्डल अलीगढ़ मण्डल में इतने जिले हैं जहां आलू की भरमार पैदा होती है। इस बरसात की वजह से काफी क्षति हुई है आलू की प्रगति के लिए आपने एक पैकेज भी बनाया है मैं चाहूंगा कि सरकार विशेष रूप से इन जिलों का ध्यान रखे जिससे आलू के किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। पूरे प्रदेश में तिलहन की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल तीन करोड़ पचपन लाख रुपए का प्राविधान किया है मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूं कि यह इतनी महत्वपूर्ण कैश क्राप है इसको बढ़ावा देने के लिए बजट में और व्यवस्था की जाए और किसानों के खेतों में सुअर, गाय और भैंसें घुसती हैं तो खेतों की फेंसिंग के लिए पूर्व में व्यवस्था की गई थी लेकिन पिछले वर्षों से यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है मैं चाहूंगा कि किसानों के खेतों की फेसिंग के लिए अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने इस बजट में बहुत अच्छा काम कर लिया कि वर्ष 2015 तक जितनी भी पेंडेंसी थी कनेक्सनों की वह आपने पूरी कर दी इसके लिए मैं किसानों की तरफ से धन्यवाद देता हूं लेकिन आपने एक घोषणा की थी कि किसानों के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था की जाएगी उसका काम आंशिक रूप से शुरू हुआ है उसको वृहद स्तर पर बढ़ावा देंगे तो किसानों का हित होगा। किसानों के ट्रांसफार्मर जलने की बहुत शिकायत है इसके लिए एक अलग से कोष की व्यवस्था करें और उसका सुपरवीजन कलेक्टर करे जहां भी आवश्यकता हो किसानों के ट्रांसफार्मरों को बदलवाने की तुरन्त व्यवस्था की जाय तो बहुत अच्छा रहेगा। चीनी मिलों के सम्बंध में हमारे साथी बहुत कुछ कह चुके हैं मैं यह कहता हूं कि आपकी सहकारी और निगम की चीनी मिलों के भुगतान की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक है। मैंने खुद आंकड़े भी देखे हैं सरकारी चीनी मिलों का बहुत अच्छा पेमेंट है लेकिन प्राइवेट चीनी मिलों का पेमेंट घटिया है उसके लिए आप हिम्मत के साथ सख्ती के साथ आर0सी0 कटाकर इन बड़े बड़े उद्योग पतियों के यहां वारण्ट कटवाकर भेजिए अगर आपने वारण्ट कटवाकर पुलिस भेजी तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी यह वसूली की जा सकती है। आपने एक नई चीनी मिल सठियांव चीनी मिल की स्थापना की है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश में कई चीनी मिलें जैसे छाता मथुरा की अलीगढ़ की साथ मिल अगर इनकी क्षमता बढ़ाई जाय तो किसानों को लाभ होगा और सरकार को बहुत कम खर्च करना पड़ेगा। गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान है उसको शीघ्रता से कराएं। लोहिया गांवों के बारे में हमारे कई साथी कह चुके हैं अच्छी स्कीम है लेकिन जैसे अर्ध भोजन, वृद्ध गाय दाता देय नरक को जाय अभी आधा अधूरा काम गांवों में हो रहा है यदि पूरी तरह से सेचुरेशन का काम होता तो अच्छा लगता। इसमें धनराशि बढ़ाई जाय। यह जो फ्री बोरिंग किया जा रहा है फ्री बोरिंग में पाइपों की जो लेंथ है वह सरकार की तरफ से केवल 60 फीट रखी है जबकि 110 से 120 फीट गहराई तक वाटर

टेबुल पहुंच गया है मैं चाहूंगा कि इसमें भी सीमा बढ़ाई जाए। आपने जो 20 हजार से 30 हजार रुपए पारिवारिक लाभ योजना में किया है। यह बहुत अच्छा काम आपने किया है लेकिन मैं इसमें थोड़ा और चाहता हूं मंहगाई का समय है। इसे अगर 50 हजार रुपया कर दिया जाय तो सभी लोग इससे सहमत होंगे 50 हजार से कम देना अच्छा नहीं लगता इसलिए इसमें 20 हजार रुपये और बढ़ा दिया जाएं। हमारे यहॉ आगरा विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है इसका बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था लेकिन वर्तमान में जैसा कि कई साथी कह भी चुके हैं फर्जी मार्कशीट फर्जी सर्टीफिकेट सब पूरा फर्जीफिकेशन है आपसे कई बार निवेदन किया गया अलीगढ़ में बहुत से कालेज हो गए हैं अलीगढ़ मण्डल बन गया है आपने वायदा भी किया था कि अलीगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा लेकिन इस बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं किया। आपने स्पोर्टस यूनीवर्सिटी की घोषणा की थी माननीय मुख्य मंत्री जी आपने अलीगढ़ में स्पोर्टस यूनीवर्सिटी की घोषणा की थी हमने प्रयास करके उसके लिए जमीन की उपलब्धता करा दी लेकिन उसका इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया मैं चाहूंगा कि इसको जरूर शामिल किया जाय। अलीगढ़ हरदुआगंज का विद्युत तापीय गृह आपका ठीक चल रहा है आपने 660 मेगावाट का बिजलीघर कर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नादर्न इंडिया में वह इतना महत्वपूर्ण है उसके लिये 70 हेक्टेयर जमीन और वहां पर पड़ी है अगर आपकी और इच्छाशक्ति हो और सरकार चाहे तो 660 मेगावाट का एक और बिजलीघर वहां बनाया जा सकता है। इसके लिये सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। मैं चाहूंगा कि इसके लिये तो आप धन आवंटित करें ही लेकिन और बिजली की व्यवस्था ठीक करने के लिये एक और बिजलीघर 660 मेगावाट का बनाया जा सकता है यह मेरा सुझाव है। सोलर लाइट का आपने एक अच्छा प्रयोग शुरू किया है। यह कबसे कहा जा रहा था किसानों के लिये। कम से कम आपने शुरूआत तो की। लेकिन यह कम है मात्र 300 के लिये आपने बजट अनुदान में व्यवस्था की है। 900 के लगभग ब्लाक हैं, तीन ब्लाकों के बीच में एक आयेगा। लेकिन फिर भी तारीफ करेंगे कि एक अच्छे काम की शुरूआत तो की आपने, तो इसको धीमे धीमे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर आगे और अधिक लक्ष्य बढ़ाया जाय ताकि और अधिक से अधिक किसानों को इससे लाभ मिले। मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने स्वर्गीय राम सरन दास जी के नाम से सड़क योजना चलाई और लोहिया जी के नाम से चलाई। मुझे थोड़ा दिल में कष्ट होता है जब इस सरकार ने चौधरी चरण सिंह के नाम से कोई योजना नहीं चलाई। मैं आपसे बिल्कुल यह आशा रखता हूं कि आप बड़े विशाल हृदय के हैं पूरी सरकार है, माननीय अध्यक्ष जी भी बैठे। ऐसी बात नहीं है कि हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से चौधरी साहब के ऋणी हैं। मैं चाहूंगा चाहे कोई सी योजना चला दें। एक योजना माननीय चौधरी चरण सिंह के नाम से जरूर चलायें। (किसी माननीय सदस्य द्वारा टोकने पर कि आप उनके विचारों से धोखा कर रहे हैं) क्या करने लगे ? मैं समझा नहीं। धोखा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ? आप पढ़िये अपना जो लिखे हैं।

श्री दलवीर सिंह–

यह आपकी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, हर एक सरकार की योजना बढ़िया होती है और सभी सरकार यह चाहती है कि हमारा नाम हो, हमारी योजना बढ़े। आप हमारे मुखिया हैं 403 विधायकों के। हमारे संरक्षक भी हैं। चाहे मैं सीधा सादा आदमी हूं, चाहे मैं गांव का आदमी हूं, चाहे मैं थोड़ा अध्यक्ष जी से कम उम्र का हूं, चाहे थोड़ा ज्यादा उम्र का हूं, 70 साल का हूं। हमारे सभी विधायक साथी अपनी पीड़ा कभी कभी जब हम रेल से अलीगढ़ जाते हैं तो इटावा से या और कहीं जगह के विधायक भी होते हैं, सबकी इच्छा है। तीन साल हमारे पूरे हो गये और मात्र दो साल रह गये। यह दो साल हमारे काम करने के हैं। और हमारे सभी सदस्यों का इस महंगाई में यह कहना है कि हमारी विधायक निधि इस महंगाई के दौर में बढ़े, तीन करोड़ रुपया हो जाय। तो उससे थोड़ा कुछ काम करने के लिये हो जायेगा एक बात, दूसरी बात यह कि आप कई बार कह भी चुके हैं लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमें हड़क देते हैं, यह सदन में कहने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे कहने से आप समझ गये होंगे कि वेतन–वेतन जो आप कर रहे हैं या तो वह खत्म कर दी जाय। 50 हजार रुपया एक विधायक को मिलता है जो हमको लेने में और कहने में भी शर्म लगती है। हिन्दुस्तान के सब प्रदेशों में अगर किसी प्रदेश में विधायकों का टी0ए0, डी0ए0 वेतन कम है तो वह उत्तर प्रदेश में कम है। आप एक जागरूक मुख्य मंत्री हैं, आस्ट्रेलिया, अमेरिका से पता नहीं कहां–कहां से पढ़ कर आये हैं, दुनिया में देखकर आये होंगें तो आपको यह निर्णय लेना चाहिए था कि यह विधायकों के केवल दो वर्ष रह गये हैं और दो वर्ष के कार्य काल में एक तो आप विधायक निधि बढ़ाइये और एक वेतन, भत्ता और कूपन। हमारे ही नहीं, एक्स विधायकों के भी बढ़ावें, वे बड़ी दयनीय स्थिति में हैं सब लोग। हम यह आपसे आशा रखते हैं और हमें आशा है कि आप इसे निश्चित रूप से करेंगे। हैंड पम्पों का कार्यक्रम आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हम लोगों के पास भूला बिसरा एक आदमी हैंड पम्प लेने के लिये आता था। सौ हैंड पम्प आपने पहले साल में दिये तो हमारा ठीक ठाक पट गया मामला कि चलो विधायकों को हैंड पम्प हैं। इस बार तो आपने वह भी खत्म कर दिया शायद। तो मैं चाहूंगा कि इस बजट में 100–100 हैंड पम्प का प्रोविजन जरूर करें चाहें कहीं से कटौती काट लें चाहे किसी जगह से प्रोविजन करें लेकिन 100–100 हैंड पम्प का प्रोविजन जरूर करें। सड़कों के सम्बन्ध में माननीय बड़े सीनियर मंत्री जी बैठे हैं, मैंने तो कई बार कहा है, आपने आश्वासन दिया है, मेरी एक सड़क खैर, मैंने कई बार कहा है, अब आपने आदेश तो कर दिया शायद वह बन जाय। देखिये, माननीय मंत्री जी एक ही वर्ष हम पर बचा है काम करने के लिये। अगले वर्ष तो चुनाव का सा माहौल बन जायेगा। इस वर्ष को आप विकास वर्ष के रूप में जो भी बजट अजट, फंड बंड जो कुछ भी करना हो (हंसी) इस वर्ष आप लगकरके आप पूरे क्षेत्रों का विकास कराईए। वरना एक साल बाद तो भगदड़ चुनाव की हो ही जाएगी और उस वर्ष जब काम आपके होंगे तो वह गिनती में नहीं आएंगे वह फिर आगे बढ़ जाएंगे तो मेरा

आपसे निवेदन है कि चौथा बजट आपने पेश किया है, पांचवां बजट भी आप पेश कर लो, और उस पांचवें बजट का पैसा भी इसी वर्ष में खर्च कर लो मेरा आपसे यह सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

एक सदस्य–

आगे भी तो मुख्य मंत्री जी रहेंगे।

श्री दलवीर सिंह–

मुख्य मंत्री जी रहें। हम तो चाहते हैं आप जीवन भर रहो, हमारी तो सत्तर वर्ष की उम्र हो गई, अब हम लोग तो कह ही सकते हैं आशीर्वाद दे सकते हैं। (मेंजे थपथपाई गईं) इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं एक चीज और रह गई यह जो हमारे मार्शल लगे हुए हैं इनके लिए हमने पिछली बार भी कहा है इन पर भी कृपा कर दो यह हम सबकी बहुत देख रेख करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

रामलाल अकेला जी आप पिछले टर्म में बोल चुके हैं।

'श्री गुलाम मौहम्मद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष–

दस मिनट कुल हैं इसका ध्यान रखिएगा।

श्री गुलाम मौहम्मद–

जी मैं बहुत शार्ट में बोलूंगा। आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत शुक्रिया।

मान्यवर, यह सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी का, सरकार का, यह बजट समाजवादी सिद्धान्तों के अनुरूप है। समानता के अनुरूप है और सभी वर्गों को चाहे वह किसान हों, मजदूर हों किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले इंसान हों उन सबका ख्याल रखते हुए इस बजट की प्रस्तुती हुई है। जहां एक तरफ किसान दिवस के रूप में इस वर्ष को मनाने की बात कही है वहां किसानों को बहुत सारी सहूलियात दी हैं। किसान बीमा, किसानों के गन्ने के पेमेन्ट के लिए 1152 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हमारे कई साथियों ने खासतौर से विपक्ष के सारे लोगों ने गन्ने के पेमेन्ट की बात कही। 1152 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना, दूसरे जहां से इस समस्या की शुरूआत होती है केन्द्र सरकार की आयात–निर्यात नीति, आयात नीति से चीनी का मंगाना और यहां चीनी का सस्ता होना इसकी एक बड़ी समस्या है। हमारी सरकार ने मा0 मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर भी इस तरफ उनका ध्यान दिलाने की कोशिश की है मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए वह मिल मालिक जब

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

हमारी सरकार शुरू में आई थी तो चालीस रुपया हमारी सरकार ने बढ़ाया था और मिल मालिक उस पर सहमत हो गए थे। लेकिन उस वक्त में चीनी का भाव 36 से 37 रुपया किलो था। मान्यवर, आज चीनी का भाव 26 और 27 रुपये किलो है। मैं चाहूंगा कि हमारे अपोजिशन के लोग केन्द्र सरकार पर भी यह दबाव डालें कि वह चीनी का आयात न करके चीनी के भाव में स्थिरता लायें ताकि गन्ना किसानों का पेमेन्ट हो सके। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुये हमारे विपक्ष खासतौर से नेता प्रतिपक्ष मा0 मौर्य जी बात कह रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान भी आती थी जब वह असत्य बोलते थे। एक सांवले से चेहरे से सफेद सा असत्य बड़ी मुश्किल से निकलता था और वह पहचानने में आ जाता था कि अब असत्य निकलने वाला है, पहले ही महसूस हो जाता था। जैसे मा0 श्री दलवीर सिंह जी ने सत्यता को स्वीकार लिया, क्योंकि वह किसानों की समस्याओं को जानते हैं। एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार से छिटके हैं। मैं तो चाहूंगा कि छोटे से दलबल को और बड़ा करके इधर ही आ जाईये तो बेहतर होगा। एक ही नीतियां हैं एक ही लोग हैं, लेकिन उधर से जिस तरह की बातें आ रही हैं। हमारे जो भाजपा के लोग हैं, आपके मुंह से तो किसान की और इस तरह की बातें बहुत अच्छी नहीं लगतीं। आपका तो सिर्फ एक ही नारा है सांप्रदायिकता का नारा। जब–जब चुनाव करीब आते हैं कहीं न कहीं कुछ सिर उठा देते हैं और इस तरह से लोगों को फंसा देते हैं कि फिर यह अपना उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं। आपने किस–किस तरह के वायदे करके सेण्ट्रल गवर्नमेंट को कब्जा लिया और अब आप कहां खड़े हैं। अभी पीडीपी का जिक्र आया, आपका जिक्र आया और अभी कहां पहुंचेंगे यह तो आप देखिये। आपका खेल भी भविष्य में है। यह मोमेन्टम है लगभग खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों से दर्ख्वास्त करता हूं कि बजट का उद्देश्य यह हो कि हम गरीबों में मुस्कान बाटें। जहां–जहां जरूरत है जहां–जहां के लोग पीड़ित हैं और जहां–जहां के लोग दुख में, दर्द में हैं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचायें, उन लोगों तक अपनी सहूलियात पहुंचायें। जिस तरह से उनके चेहरों पर मुस्कान आ सकती हो वह सब काम करें और वह सभी काम बजट में हो रहे हैं चाहे बिजली का सेक्टर हो, चाहे खेती का हो। मान्यवर, हमारे प्रतिपक्ष के मा0 नेता की जुबान पर एक बार भी अल्पसंख्यक या मुसलमान का नाम नहीं आया। मुझे अफसोस है कि आप बहुजन समाज पार्टी कहलाते हैं और 18 या 20 फीसद लोगों का नाम आपकी जुबान पर कभी आता हुआ नहीं देखा। पूरे भाषण में आपने एक लफ्ज भी उनके लिये नहीं कहा जबकि सच्चर कमेटी और मिश्रा कमेटी ने साफ–साफ कह दिया है कि इस देश में दलितों से पीछे अगर कोई है तो वह मुसलमान है। एक बार भी आपकी जुबान पर नहीं आता और वोट के लिये आप लोगों को इलेक्शन में खड़े करेंगे। आप सौ–सौ लोगों को दो–दो सौ लोगों टिकट देकर खड़ा करेंगे और वोट लेने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ वोट काटने के लिये है और तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इन लोगों को भी जरा याद रखा कीजिये। माईनॉरिटीज की तरक्की के लिये जो भी स्कीमें हैं। माईनॉरिटीज के लिये यहां 20 फीसद का प्रावधान किया गया है ताकि उनके चेहरों पर भी कुछ मुस्कान आये। वहां पर भी कुछ तरक्की दिखाई दे और इसी

पर अपीजमेंट का लोग लेबल हम पर लगाते हैं। अपीजमेंट नहीं, यह इस देश के सच्चे और हितैशी लोगों की सरकार है जो एक–एक आदमी के बारे में सोचते हैं। यदि चेन की एक कड़ी भी कमजोर है तो वह पूरी चेन कमजोर होगी इसलिये माईनॉरिटीज के लिये चाहे उनके कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे उनकी बाउण्ड्रीज का मामला चाहे उनकी बच्चियों की तालीम का मामला हो, नाम लेकर कोशिश करते हैं कि जो इनका दुख और दर्द है, वह किसी हद तक दूर हो। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए सिर्फ इतनी बात आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो भी कदम उठा रही है, वह हम सब के हक में है, उसका खुले दिल से हम सब को स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारा हर तरह का सहयोग विपक्षियों का रहेगा और जो भी मामलात हैं, वह सब गरीबों के लिए हैं, पिछड़ों के लिए है। गरीबों पर जहां–जहां जुल्म होता है, उस जुल्म के खिलाफ हर समाजवादी है और सरकार का हर कदम उस जुल्म को दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए है। सरकार हर तरीके से गरीबों के साथ खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट भाषण की परिचर्चा के अवसर पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस परिचर्चा में मा0 नेता प्रतिपक्ष, अन्य दलीय नेताओं के विचारों से सहमत होते हुए उनसे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए, आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं, सरकार इस वर्ष को किसान वर्ष मनाने का काम कर रही है लेकिन किसानों के चेहरों पर जो खुशहाली आनी चाहिए, उसके लिए जो योजनाएं जमीन पर जानी चाहिए, वह कहीं से भी पारदर्शी दिखायी नहीं पड़ रही हैं। अभी चर्चा हो रही थी, आलू के किसानों के लिए 2014 में अलग से नीति बनायी गयी है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आलू के किसानों के लिए उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कौन सी आदर्श योजना है ? जिसके तहत आज किसानों को फायदा पहुंच रहा है ? आज आलू की लागत क्या है ? उसका उत्पादन करने के लिए कम से कम पांच सौ, छः सौ रुपये की लागत प्रति कुन्तल लगती है। लेकिन आज जो सरकार इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मना रही है और आलू के लिए अलग से नीति बनाने की बात कर रही है। आज किसान उस आलू को चार सौ रूपये प्रति कुन्तल में बेचने को मजबूर हो रहा है। यह कहां से वायदा करती है, सरकार, वह कौन सी योजना है, कुछ पता नहीं है। अभी आलू के किसानों के लिए जो अलग से बीज वितरण का सरकार ने जो लक्ष्य वायदा किया था, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उसका 30 प्रतिशत भी सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव यह रखना चाहता हूं कि आज सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लाने का काम किया

है जिससे गरीबों को, कमजोरों के चेहरों पर खुशहाली लायी जा सकती है लेकिन वह योजनाएं पूरी तरह से जमीन पर नहीं जा पा रही हैं। मैं समाजवादी पेन्शन योजना का स्वागत करता हूं, यह योजना गरीबों के लिए है, कमजोरों, बेसहारा के लिए है। लेकिन आज यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमारे जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, चाहे वह ग्राम विकास अधिकारी से ले करके, बी0डी0ओ0 से ले करके बड़ अधिकारियों तक और जो भी उसकी फीडिंग एजेंसी रही हो, उसने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं, मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र की बहुत सारी ग्राम सभाओं की ऐसी जानकारी ली है, मैंने इण्टरनेट के माध्यम से उन सूचनाओं को इकट्ठा किया है और उसकी एक प्रति अपने पास रखी है। मान्यवर, जितनी भी खुली बैठकें हुई थीं, उसमें जितने पात्रों का चयन हुआ था, उसमें से 10 परसेन्ट लोगों को भी फीडिंग एजेंसी ने फीड नहीं किया और 90 फीसदी गलत लोगों का चयन करके उनको समाजवादी पेन्शन योजना का लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मॉग करना चाहता हूं, यह केवल हमारी विधान सभा में ही नहीं हुआ है, केवल जनपद प्रतापगढ़ में ही नहीं हुआ, यह पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के हक का शोषण हुआ है, गरीबों का हक छीना गया है, जिसमें पात्र लोगों को अपात्र करके, जो अपात्र हैं, जिनके पास चौपहिए वाहन हैं, जिनके पास बड़ी–बड़ी जमीनें हैं, जिनके घरों में नौकरी है, ऐसे लोगों को समाजवादी पेन्शन का फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि वह एक जांच कमेटी का गठन करे। एक जांच आयोग का गठन करें एक जांच कमेटी का गठन करें और हर जनपद में इस तरह की शिकायतें रही हैं उन शिकायतों की जॉच करा करके और उनका निस्तारण करा करके गरीबों का जो हक अधिकार है उनको दिलाने का प्रयास होना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है विद्युत व्यवस्था के नाम पर.....

श्री अध्यक्ष–

आप रुक जाएं, मा0 मंत्री जी इस बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात को बहुत गम्भीरता से लेते हुए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारी भी जिज्ञासा है और परेशानी है कि सही नाम आने चाहिए, गलत नहीं आने चाहिए। आपकी जानकारी में अपने क्षेत्र के जो भी ऐसे नाम हैं, जो गलत लोगों के नाम हैं उसकी आप लिस्ट दे दीजिए।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी का बहुत–बहुत शुक्रिया। एक–दो ग्राम सभाओं की नहीं, कम से कम हमारे पास पचासों ग्राम सभाओं की प्रतियॉ उपलब्ध हैं। वह माननीय मंत्री जी को मैं उपलब्ध कराने का काम करूंगा। जो मैंने सदन में कहा कि केवल दस फीसदी ऐसे लोग हैं जिनको खुली बैठक में पात्र बताया गया था अधिकारियों के बीच में जिनका चयन हुआ था, फीडिंग एजेंसी के द्वारा नाम फीड किया गया और 90

प्रतिशत गलत लोगों का चयन करके उनको पेंशन पहुंचाई जा रही है। दूसरी बात मैं सदन में माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज विद्युत संकट को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा रहता है। आज विद्युत उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हर जगह पर जाकर देखिए ट्रांसफार्मर प्रायः फुंके रहते हैं। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जिन अधिकारियों के माध्यम से विद्युत विभाग के इंजीनियर्स के माध्यम से ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उनको यह पता है कि फलां जगह पर 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है या 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है या 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है लेकिन वहां पर जो कनेक्शन दिए जाते हैं उपभोक्ताओं को तो ट्रांसफार्मर की क्षमता से कई गुना ज्यादा कनेक्शन दे कर के जनता को गुमराह किया जाता है। इन परिस्थितियों में न तो ट्रांसफार्मर काम कर पाता है न उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया हो पाती है। जिसके कारण जनता जनप्रतिनिधि और सरकार परेशान रहती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से एक मॉग और भी करता हूं कि ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने गलत तरीके से ट्रांसफार्मर की क्षमता से ज्यादा कनेक्शन दे करके उपभोक्ताओं के साथ धोखा करने का काम किया है, जिससे बिजली की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल पाती है उनकी भी जांच करा कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का प्रावधान होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अपने प्रतापगढ़ के लोगों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैं जिस जनपद से चुनकर के आया हूं वहां पर बड़े पैमाने पर गरीब लोग रहते हैं और खासतौर से मेरी विधान सभा जो लगभग 98 किलोमीटर की विधान सभा है। हमारी एक विधान सभा में सात–सात नदियां हैं। लिहाजा वहां पर पुल की समस्या है, सड़क की समस्या है। प्रायः असुविधाओं को लेकर हाहाकार मचा रहता है। वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर गरीब लोग रहते हैं। सरकार एन0आर0आई0 का स्वागत करने की तैयारी करती है, पूंजीपतियों का स्वागत हो रहा है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के वो बड़े पैमाने के लोग जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दर–दर भटकने को मजबूर होते हैं, जो दिल्ली से लेकर मुम्बई तक की फैक्ट्रियों में जा कर मजदूरी करते हैं प्रतापगढ़ के बहुत बड़े पैमाने पर लोग हमारी विधान सभा से लगभग 50 हजार लोग पंजाब में भट्टों पर जाकर मजदूरी करने पर मजबूर होते है। जहां पर सरकार एन0आर0आई0 का स्वागत करने की तैयारी करती है वही मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वह मजदूर जो यहां से जा कर महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं वहां के नेताओं से अपमानित होते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का एक मजदूर अपमानित नहीं होता है वहां के नेताओं से हमारा पूरा उत्तर प्रदेश, हमारा सदन अपमानित होता है। माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। ऐसे मजदूर जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग रोजी–रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं बेइज्जत होते हैं, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार होता है। ऐसे मजदूरों का पलायन रोकने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मजदूर, उत्तर प्रदेश में रह करके रोजी–रोटी कमा सकें इसके लिए सरकार के पास कोई उचित

संसाधन दिखाई नहीं पड़ता। लिहाजा मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे जितने मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेशों में शरण लेते हैं, दूसरे प्रदेशों की बड़ी फैक्ट्रियों का सहारा लेते हैं ऐसे मजदूरों की काउंटिग करा करके, उनकी तादाद को देखते हुए उनको उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे इस बजट अभिभाषण की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

रविदास मेहरोत्रा जी, आप भाषण करेंगे, कुछ बोलेंगे। आप बोलते तो हैं नहीं। पता नहीं कहां से आज उपलब्ध हो गए हैं तो आप ही बोल लीजिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, कल बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कल क्यों बोलेंगे, आज क्यों नहीं बोलेंगे। आया करिए सदन में।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अच्छा आज इनको बोल लेने दीजिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जो प्रदेश के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर, बेसहारा और लाचार लोग हैं। उनका ध्यान रखते हुए बजट में उनके विकास के लिए तमाम योजनायें लागू करने का प्रयास किया गया है जो समाज के पिछड़े एवं कमजोर लोग हैं उन तक विकास पहुंचे उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे इसके लिए बजट में विशेष रूप से प्रयास किया गया है जो प्रदेश के चालीस लाख गरीब परिवार के लोग थे उनको पिछले साल समाजवादी पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन देने का काम किया गया था। उसमें पांच लाख की बढ़ोत्तरी की गयी है। जिसके माध्यम से जो निराश्रित असहाय महिलाये हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जो बेसहारा और लाचार लोग हैं उनके घर में दो समय खाने की व्यवस्था हो इस पेंशन योजना के माध्यम से उनको राहत देने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में आपातकाल के समय में जिनको जेलों में 20–20 महीने बंद किया गया और एक भी दिन न्यायालय में पेश नहीं किया गया और 20 महीने लगातार जेल में बंद करके अत्याचार की सभी सीमायें तोड़ी गयीं और उन जुल्मों को जिन्होंने सहने का काम किया था, 2006 में जब श्री मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उन सबको सम्मान देने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जब 2007 में प्रदेश में बी0एस0पी0 की सरकार बन गयी और आपातकाल के उन लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने 20–20 महीने अत्याचार और जुल्म सहे थे, जेलों में बन्द थे लाठियां खायी थीं पूरा देश जेलखाना बना दिया गया था और अखबारों पर सेंसरशिप

लग गयी थी। ऐसे आपातकाल के सेनानियों को सम्मान देने की राशि को बी0एस0पी0 की सरकार ने बंद कर दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बदली और 2012 में उनको पेंशन देने का काम किया गया और उसके बाद उसको बढ़ाकर बजट में 10 हजार रुपया सम्मान पेंशन राशि देने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं भी आपातकाल में 20 महीने जेल में बंद रहे थे तमाम विधायक और मंत्री भी हैं जो जले में बंद रहे थे और उस समय जितना अत्याचार हुआ था। जब देश गुलाम था उतना जुल्म उस समय भी नहीं हुआ था जितना जुल्म, अत्याचार आपातकाल में हुआ था। जब देश गुलाम था उस समय जो बंदी होते थे उनकी न्यायालय में पेशी होती थी लेकिन आपातकाल के समय 20 महीने जो जेल में बंद रहे उनकी एक दिन भी किसी न्यायालय के किसी कोर्ट में उनकी पेशी नहीं हुयी। चौधरी चरण सिंह जी उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे और छः घण्टा आपातकाल पर अकेले बोलने के लिए आये थे लेकिन उस छः घण्टे सम्बोधन की एक लाइन भी किसी एक अखबार में नहीं आयी थी। दो साल विधान सभा के अंदर जब बजट पेश किया गया तब सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए थे और पूरा विपक्ष की कुर्सियां खाली थी उन लोकतंत्र सेनानियों को इस सरकार ने सम्मान किया है। उन तमाम लोगों को आपने मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त बस यात्रा और पेंशन देने का काम सरकार ने शुरू किया है मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधायी देता हूं कि उन्होंने आपातकाल के सेनानियों को सम्मान देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट के माध्यम से जो समाज के कमजोर लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे काम करने का काम किया है। उसको हम गिनायेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि ढाई घण्टा नेता प्रतिपक्ष श्री मौर्या जी बोले, लेकिन ढाई घण्टे में एक मिनट भी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए उनकी योजनाओं के लिए उनके कल्याण के लिए एक शब्द भी मा0 नेता विरोधी दल ने बोलने का काम नहीं किया है। लेकिन प्रदेश की सरकार ने जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनके साथ लगातार अन्याय होता रहा है उनके लिए प्रदेश की सरकार ने तमाम योजनायें लागू करने का काम किया है। आज हमारे क्षेत्र में तमाम कब्रिस्तान थे जो खुले हुए थे उन सारे कब्रिस्तानों को सुरक्षित करने का काम चल रहा है दीवारें बनने का काम चल रहा है। उनकी सीमायें बांधी जा रही हैं और कब्रिस्तान को सुरक्षा देने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है। यह प्रयास भी हुआ है कि जो शमशान घाट हैं उन शमशान घाटों की बाउंड्री भी खींचने का काम हो। जिससे प्रदेश के अंदर लोग शमशान घाटों पर कब्जा करने का प्रयास न कर पायें। माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ शहर के अंदर केंसर के अस्पताल बनने का काम शुरू हो रहा है, मेट्रो रेल पर तेजी से काम चल रहा है, और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट का स्टेडियम बनने के लिए बहुत तेजी से काम शुरू हो रहा है। तमाम और योजनायें प्रदेश की सरकार ने लागू करने का काम किया है। मुझे आपके माध्यम से कहना है। मुझे आपके माध्यम से कहना है कि 2012–13 में 2014–15 में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत लखनऊ शहर में विकास कराने के लिए धन का आवंटन हुआ था लेकिन इस बजट में धन आवंटन नहीं

हुआ है। मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि समग्र विकास योजना मे जो लखनऊ शहर में विकास का कार्य कराना है उस विकास के काम को कराने के लिए समग्र विकास योजना के अन्तर्गत फण्ड का आवंटन करने का काम हो। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लखनऊ शहर में लखनऊ नगर निगम में जो नगर विकास का विधायक निधि होती है उस पर समरसेबुल टंकीलगाने पर रोक लगा दी है। हम चाहते हैं कि विधायक विकास निधि से जो गरीब, कमजोर, मलिन बस्तियां है, वहां पीने के पानी के लिए समरसेबुल टंकियां हों लेकिन माननीय अध्यक्ष जी उस पर लखनऊ नगर निगम द्वारा रोक लगी हुई हैं। हम अपने क्षेत्र के अन्दर जहां पीने के पानी की गम्भीर समस्या है, वहां टयूबवेल सब–मर्जिबल लगाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी हम चाहते है कि समग्र विकास विभाग एवं नगर निगम के माध्यम से जो टंकिया खराब पड़ी हुई हैं वहां पर टंकी ठीक होने का काम हो। टंकी और लगाने के लिए विधायक कोटे से नगर निगम को यह आदेश दिये जाये कि विधायक कोटे से टंकियां लगाने पर रोक को समाप्त करने का काम किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी गम्भीर समस्या पीने के पानी की है। इस पीने के पानी की गम्भीर समस्या को देखते हुए, जो खराब टंकियां हैं, उन खराब टंकियों को ठीक कराने का काम किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी मुझे एक बात कहनी है कि मा0 मुख्य मंत्री जी नगर विकास मंत्री जी ने और माननीय शिवपाल जी ने बहुत प्रयास किया है और लखनऊ शहर में जो गोमती नदी है, वह नदी बहुत गन्दी हो गयी थी, उसका पानी बहुत अधिक गन्दा हो गया था और नदी में सफाई करने का काम चल रहा है उसका शिल्ट हटाने का काम चल रहा है। कुछ दिनों के बाद पूरी गोमती नदी साफ हो जायेगी। लखनऊ शहर के सारे लोग गोमती नदी का पानी पीने का काम करते हैं और बहुत सालों से हम लोग यह मांग कर रहे थे कि गोमती नदी का पानी साफ हो और उस पीने के पानी के लिए, गोमती को साफ कराने के लिए प्रदेश की सरकार ने संकल्प किया है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को, मा0 शिवपाल यादव जी को मोहम्मद आजम खां साहब को आपके माध्यम से उन्हें बधाई देते हैं कि लखनऊ शहर को पीने का साफ पानी मिलेगा इसके लिए जो सरकार ने प्रयास करने का काम किया है, उसके लिए हम लोग आपके बहुत–बहुत आभारी रहेंगें। आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मनीष असीजा–

धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे आय–व्ययक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं अपने को नेता विरोधी दल नेता भाजपा और अन्य नेताओं से सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूं। महोदय इस बजट चर्चा में जहां प्रदेश स्तर की समस्याओं पर बात उठी है, वहां मैं इसको अवसर लेते हुए अपने नगर की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे नगर फिरोजाबाद में जो एक औद्योगिक शहर है, बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली हावड़ा जो रेलवे लाइन है उसके दूसरे हिस्से में भी बसता है और मान्यवर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के 65 साल से ऊपर होने के बावजूद पूरे फिरोजाबाद में रेलवे की पटरी के दूसरी तरफ

जाने के लिए कोई आर0ओ0वी0 नहीं है। फिरोजाबाद और लेबर कालोनी के बीच में 63 नम्बर का जो रेलवे क्रासिंग है, जो केन्द्र सरकार से भी आर0ओ0वी0 के लिए पास है, मैं चाहता हूं कि यदि वहां आर0ओ0वी0 बन जायेगा तो लाखों की संख्या में दोनों तरफ रहने वाले छात्र–छात्रायें, मजदूर, व्यापारी, नौकरी पेशा सभी को आवागमन में बहुत सुविधा होगी और हमारे नगर का और विकास होगा। मान्यवर, हमारे नगर फिरोजाबाद में एक बालिकाओं के लिए सरकारी सहायता प्राप्त एक शिक्षण संस्थान है, महात्मा गांधी बालिका शिक्षण संस्थान, यह शिक्षण संस्थान पिछले 50 वर्षों से काम कर रहा है। 14 हजार से ऊपर की बच्चियां, सभी वर्गों की सभी धर्मों की वहां पढ़ती हैं और शायद बहुत कम ऐसे नमूने होंगे जहां सरकारी सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में 50 वर्ष की लम्बी अवधि में बिना मैनेजमेण्ट के झगड़ों के इतनी प्रतिष्ठा के साथ काम हो रहा है, मेरा उस विद्यालय से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, उस विद्यालय के बगल में जिला पंचायत की एक बहुत बड़ी निष्प्रयोज्य जमीन पड़ी हुई है, उसका अनाधिकृत प्रयोग तो यह होता है कि वहां पर 2–3 लोग निजी व्यापार करने के लिए वहां पर अपना ग्लास का छोटा–मोटा कार्य करते हैं, उस सरकारी जमीन पर, लेकिन इसके अलावा वह पूरी खाली जमीन निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यदि उस निष्प्रयोज्य जमीन को, लीज पर किराये पर अथवा विद्यालय या शिक्षण संस्थान के नाम कर दिया जाय, जरूरी नहीं कि नाम ही किया जाय, लीज पर सर्शत किया जाय या किराये पर दे दिया जाय तो उस शहर में बच्चियों की पढ़ाई के लिए इससे बड़ा और कोई उपकार नहीं होगा, यह यर्थाथ है इसकी जांच करा ली जाय, यदि मेरी बात सत्य हो तो उसे करने का काम किया जाय। मान्यवर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, फिरोजाबाद जो मिलीजुली संस्कृति का शहर है जहां विभिन्न धर्मों के हाथ बिना किसी बातों में आये रोजगार के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, ये सामाजिक समरसता का अपने आप में जीता–जागता एक नमूना है। वहां मेहनतकस मजदूर जो हैं, वह सालों से अपना पसीना बहा रहे हैं, चाहे वह हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों। उनके लिए बेहतर अवस्थापना सुविधा की कोई भी आवासीय सुविधा वाली कालोनी नहीं है, पचासों साल से ऊपर के व्यवसायिक औद्योगिक शहर के लिए जो उसकी सबसे बड़ी आत्मा है, मेहनतकस मजदूर, अगर उसके लिए ठीक से बड़ी आवासीय कालोनी बन जाय, जिसमें वरीयता के आधार पर मेहनतकस लोगों को वहां पर बसाया जाय, तो यह बहुत बड़ा उपकार मजदूरों के लिए हो जायेगा और शासन के लिए वास्तव में एक अच्छा काम होगा यह मेरा सुझाव है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसमें आसरा योजना के तहत बनवा सकते हैं, क्या कोई जमीन आप इंगित करेंगे, जैसे ये जिला पंचायत की जमीन आपने इंगित की है या ऐसा हो कि इस जमीन को आसरा के लिए उस योजना के तहत इन मकानों के लिए ले लिया जाय, क्या सुझाव रहता है आपका। पहले तो मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि पूर्व में ही आपने अपनी सम्वेदनशीलता का परिचय देते हुए आशफाबाद जो श्रमिक बस्ती है, वहां पर आसरा योजना से कुछ मकान बनवाने के लिए

नगर निगम की जमीन पर योजना दी है, लेकिन महोदय मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, वह बहुत छोटी जगह है और छोटी जगह होने के कारण से ज्यादा से ज्यादा वहां सौ से ऊपर मकान बनने की स्थिति वहां नहीं बनती है, इसके लिए आवास विकास का या कोई बड़ी आवासीय योजना के लिए भू–अधिग्रहण कर के ही, क्योंकि शहर में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हैं, यह विकल्प है कि हमें भूमि अधिग्रहीत करनी पड़ेगी और एक बड़ी टाउनशिप जो शहर के मजदूरों के लिए हो जो उनका हक बनता है, जिनकी वजह से ही यह शहर आज शहर है, उनको भी कुछ मिल जायेगा तो मैं समझता हूं कि यह हम सबके लिए एक बहुत ही संतोष का विषय रहेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में आगरा–लखनऊ ग्रीन फील्ड ऐक्सप्रेस–वे की जब चर्चा की तो उन्होंने एक सकारात्मक सुझाव दिया था, सुझाव क्या उन्होंने सकारात्मक अपना उद्देश्य बताया था कि सड़क के किनारे वह कोई भी भूमि को व्यवसायिक उपयोग में देने की जगह वहां पर मण्डियां स्थापित करेंगे, जिससे कि मण्डियां एक ऐक्सप्रेस–वे से जुड़ेंगी और प्रदेश में उस क्षेत्र में कारोबारी विकास बढ़ेगा, उस क्षेत्र का भी विकास होगा। मेरा एक सुझाव है कि चूंकि आगरा और लखनऊ के बीच में फिरोजाबाद से होते हुए ये ऐक्सप्रेस–वे जा रहा है, तो एक ग्लास एक्सपो मार्ट, एक बड़ा ग्लास का कोई ऐसा एक्सपो हो जहां पर क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय चेन बन जायेगी, दिल्ली–नोएडा ऐक्सप्रेस–वे से होते हुए लखनऊ तक, तो फिरोजाबाद चूंकि आपका ग्लास हब है, तो वहां के कांच के उत्पादों की प्रदर्शिनी, प्रचार–प्रसार इस प्रकार की चीजें वहां पर हो सकती हैं, यह भी मैं सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। महोदय, जैसा आज मा0 नगर विकास मंत्री जी ने बोला भी ट्रैचिंग ग्राउण्ड की समस्या हर शहर के लिए बड़ी समस्या है। ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के लिये हमारे यहां एक जगह है भी लेकिन वह कुछ कानूनी अड़चनों में फंस गई है। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि यदि आपके निर्देश से अड़चन जल्दी दूर हो जाये तो शहर में कूड़ा निस्तारण के लिये जो आपकी मंशा है वह पूरी हो सकेगी और हमारा शहर साफ–सफाई के वातावरण में सांस ले सकेगा। यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 स्कीम, जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 स्कीम है उसका ही दूसरा रूप था उसके तहत शहर फिरोजाबाद में सीवर की लाइनें 100 करोड़ रुपये के ऊपर खर्च करके डल गईं लेकिन यह थोड़ी सी, थोड़ी क्या काफी दुर्भाग्यजनक बात है कि हमने शादी का मुहुर्त भी निकाल लिया, बैण्ड–बाजा भी कर लिया, टेण्ट भी कर लिया तो लड़की का न होना एक बात है लेकिन लड़की पैदा ही नहीं हुई है। माना, हमारे पास एस0टी0पी0 बना नहीं है ये तो परेशानी की बात हो सकती है लेकिन एस0टी0पी0 के लिये जमीन ही नहीं है। जब सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट ही नहीं बनेगा तो सारे शहर की जो 100 करोड़ रूपये से ऊपर की लागत की सीवर लाइनें हैं, वे सारा सीवर ले कहां जायेंगी और ये लगभग इसलिये किया गया कि जब एक ठेका था तो उन्होंने सीवर लाइनों को जैसे दफना दिया जाता है वैसै दफना दिया। आप जरूर इस पर जानकारी लेकर अगर एस0टी0पी0 बन जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं आज ही दिखवाता हूं और सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री मनीष असीजा–

क्योंकि इससे हमारा 100 करोड़ रुपये के ऊपर का जो निवेश है वह सार्थक हो जायेगा। मैं मा0 मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का 75 प्रतिशत का जो अंशदान है उसमें 25 प्रतिशत राज्यांश है। इसमें जो मेडिकल कालेज बनाने के लिये जिला अस्पतालों से मेडिकल कालेज बनाने की योजना है उसमें उन्होंने पहले चरण में शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद, बस्ती और बहराइच इन 5 जिला अस्पतालों को लिया है। फिरोजाबाद के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी, श्री नड्डा साहब से मिला था तो उन्होंने यह कहा था कि हमें जितनी जल्दी डी0पी0आर0 मिल जायेगी, उतनी जल्दी हम धन का आवंटन करेंगे जिससे कि मेडिकल कालेज खोलने की जो मंशा है, भावना है प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिये तो वह पूरी हो सकेगी, यह मैं कहना चाहता हूं। मैंने एक बात पर लगातार हमेशा इस सदन में ध्यान दिलाने के लिये प्रयास किया है। मान्यवर, एन0एच0–2 जो अब एन0एच0–19 हो गया है राष्ट्रीय राजमार्ग बदल कर, ये अमृतसर से कलकत्ता तक है जो दिल्ली से कानपुर प्रत्यक्ष दिखता है। इसमें समस्या क्या आ जाती है कि जैसे ही यह शहर में घुसता है तो करीब 14–15 किलोमीटर का रास्ता बीच शहर में हो गया है। अगर आपको ध्यान हो कि एक ट्रक से 6 लोग खत्म हो गये थे तो आपने उसको संज्ञान में भी लिया था उनके लिये मदद की धनराशि भी भिजवाई गई थी। ऐसी घटना–दुर्घटना आये दिन होती रहती है और इसमें किसी का भी दोष नहीं है। वाहन चलाने वाले को क्या कहा जाये और जिस सड़क पर इतना ट्रैफिक है तो उसको क्या कहा जाये। दिक्कत यह है कि बहुत तेजी से आने वाले एक्सप्रेस–वे या हाई–वे से आने वाला वाहन जब एकदम से बीच शहर की आबादी में होता है तो न तो बीच शहर की आबादी अपने को थामती है और न ही वह अपने आप को थाम पाता है तो एक आउटर रिंग रोड के लिये मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि राजा के ताल से मक्खनपुर के बीच में सारे शहर के किनारे से होकर निकल जायेगा, वह अगर बन जाता है तो सारे शहर की जो बीच की सड़क है वह ऐसी हो जायेगी जैसे ये हमारे यहां की हजरतगंज की सड़क है या आगरा में एम0जी0 रोड की सड़क है। इससे दुर्घटनायें बचेंगी, हमारे शहर को एक नई राहत मिलेगी। इसके साथ ही मैंने एक बात और पहले से भी मा0 विकास मंत्री जी आपके ध्यान में रखी है कि शहर में दो–तीन तरीके के कारोबारी होते हैं मजदूर के अलावा। बड़े कारोबारी हैं लेकिन ज्यादा नहीं हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त कारोबारी हैं जो सड़क के किनारे चूड़ियों को अपने छोटे–छोटे ठेलों में या छबरियों में लेकर बैठता है। उसका नाम फिरोजाबाद में गड्डा बाजार है यह कारोबार सभी धर्मों के लोग करते हैं, महिलायें भी करती हैं वे सभी 4 बजे आकर बैठ जाते हैं और 11, 12 बजे तक सड़क में या फुटपाथ के किनारे वे बाजार लगता है। अब समस्या क्या आती है साहब कि उनकी रोजी रोटी चल रही है और इधर बाजार खुलता है तो ट्रैफिक की समस्या आये–दिन, थोड़ी–बहुत, कुछ न कुछ बात होती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अगर हम इसमें कोई शेल्टर हाउस बना दें, जो एक शेड हो, सुविधायुक्त हो जिसे हम मण्डी कह सकते हैं, जहां पानी की व्यवस्था हो, थोड़ा पंखा हो, छाया हो क्योंकि धूप, सर्दी, हवा, पानी सब में वे खुले में ही व्यापार करते हैं और इसमें हजारों

लोग हैं और वह गरीब लोग हैं, जो सच्चे अर्थों में शासन की किसी योजना का लाभ लेने लायक है, एलीजेबल हैं, तो वह काम भी अपने आपमें बहुत लाभकारी हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद देते हुए, दो–तीन बातें बहुत थोड़े समय में मात्र एक मिनट में कह दूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो। शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर नहीं है, सड़क के किनारे गाड़ियां अस्त–व्यस्त खड़ी रहती हैं, यह भी एक्सीडेंट का सबब बनती है। ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना के लिए और इसके अलावा यमुना नदी के किनारे प्राचीन हनुमान मंदिर है, प्राचीन सूफी साहब की मजार है और प्राचीन जैन मंदिर है चन्दवार जी का, बहुत प्राचीन तीनों यह धार्मिक स्थल हैं, अगर वहां पर यमुना के घाटों का विकास हो जाए तो यह भी सबको एक अच्छी पर्यटन सेवायें उपलब्ध करेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

'श्री हेमराज वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2015–16 के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको बहुत–बहुत, धन्यवाद देता हूं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3 लाख 2 हजार करोड़ से ऊपर का बजट इस बार पेश किया है। वास्तव में इस बजट से हमारे प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते में आगे बढ़ने में काफी मद्द मिलेगी और हमारा प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरगामी सोच की देन है कि आज देश की विकास दर से कहीं आगे हमारे प्रदेश की विकास की दर हो गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा ऐसी बहुत सी योजनाएं हमारे गरीब, मजदूर, किसानों, नौजवानों और व्यापारियों इन सब के लिए जो योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलाई है, वास्तव में इन योजनाओं से प्रदेश के हर वर्ग को फायदा पहुंचेगा और हर वर्ग खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस वर्ष 2015–16 के वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मनाने के लिए घोषित किया है, वास्तव में यह सोच हमारे प्रदेश के किसानों की तरक्की के लिए किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से हमारे प्रदेश में 1000 एग्री जंक्शन की स्थापना की है, उससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों, किसानों को काफी राहत मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कामधेनु योजना को भी आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उससे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग के लिए दूध की जो कमी है, वह दूर होगी और शुद्ध दूध हमारे प्रदेश वासियों को मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आजमगढ़ में जो कृषि विश्वविद्यालय खोलने की व्यवस्था की है। आजमगढ़ में और लखीमपुर खीरी में जो कृषि विश्वविद्यालय खुलेंगे, उससे हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो कृषि में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो इस प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने का उचित मौका मिलेगा। हमारे गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान की जो समस्या थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 1152 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, इससे हमारे किसानों को निश्चित तौर पर लाभ होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बंद सहकारी चीनी मिल जैसे

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

सठियावां को पुनः चालू कराने के लिए कोजनरेशन एवं आसवनी प्लान्ट की स्थापना हेतु 250 करोड़ की व्यवस्था की है, निश्चित तौर पर किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा और विद्युत की आपूर्ति भी हमारे प्रदेश को काफी मिल पायेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बागवानी के विकास के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की है। चार जनपदों में किसान बाजारों की स्थापना करने का काम किया है और लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए व्यवस्था करने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बजट प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात को रखा, मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अभी जिस तरह से भारत सरकार में भूमि अधिग्रहण बिल का लाने का प्राविधान किया। उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश का गुलाम बनाने के लिए, किसानों की जमीन छीनने के लिए कानून बनाया था, उसी कानून को भारतीय जनता पार्टी के लोग, दोबारा से हमारे किसानों को बर्बाद करने के लिए, उसको फिर से अमलीजामा पहनाने के लिए आतुर हैं। मान्यवर, इससे इनके मन में किसानों के बारे में प्रति जो संवेदना है वह प्रकट होती है। मान्यवर, इस तरह से भाजपा की केन्द्र सरकार ने किसानों की जमीनों को छिनने का एक फार्मूला तैयार कर लिया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिये 1090 हैल्पलाइन शुरु की है इससे उनके साथ होने वाली घटनाओं में कमी आयेगी। इसी तरह से प्रत्येक जनपद में महिला हैल्पलाइन की शुरुआत की गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ और कन्नौज में सुपरस्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया है। मान्यवर, इस बीमारी से जो इलाज के अभाव में गरीब लोगों की मृत्यु हो जाती थी उसका इलाज होने से उनको बीमारी से निजात मिलेगी। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में गरीबों को आवास देने की योजना की शुरुआत की है। आसरा आवास योजना के अंतर्गत आवास देने की पहल की है। इसमें आठ हजार आवास बनेंगे। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में लोहिया आवास योजना में एक हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरगामी सोच का परिणाम है कि हमारा प्रदेश विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी के फलस्वरुप प्रदेश की जनता सरकार के क्रियाकलापों को आशाभरी निगाहों से देख रही है। मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने तीन सालों की अवधि में प्रदेश को तरक्की के मामले में आगे ले जाने का काम किया है और 2017 के चुनावों में हमारे मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार स्थापित होगी। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे पीलीभीत जनपद के वन को टाइगर रिजर्व क्षेत्र की स्थापना की है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, इसी तरह से पीलीभीत जनपद में 1250 एकड़ ग्राम सभा की भूमि पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा औद्योगिक हब बनाने की पहल की जा रही है। मान्यवर, हमारी सरकार ने बंगाली समाज की नमोशुद्र, पौण्ड और पौण्ड्रा जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है जोकि सराहनीय कदम है। इसके लिये धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हमारा पीलीभीत जनपद कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी जनपद है। सूखे में भी 30 से 40 किवंटल प्रति एकड़ धान और 300

से 400 किवंटल प्रति एकड़ गन्ना पैदा करने का काम हमारे किसानों ने किया है। मान्यवर, बी0एस0पी0 के शासनकाल में बंद हुई मझौला चीनी मिल को पुनः चालू कराने की मांग करता हूं। इसी तरह से जो हमारे यहां पूरनपुर और बीसलपुर की सहकारी चीनी मिलें हैं उनकी यदि क्षमता वृद्धि करा दी जाये तो इससे पूरे जनपद किसानों को बहुत फायदा होगा और जो निजी चीनी मिल मालिक किसानों का शोषण करते हैं वह बंद होगा। मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा पीलीभीत जनपद कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी जिला है। यहां इंटर के बाद छात्र बीएससी एग्रीकल्चर में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यदि वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाये तो जनपद को बहुत फायदा होगा जिसके लिये जमीन आरक्षित है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, बालक–बालिकाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए सराहनीय कदम उठाये हैं। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र बरखेड़ा के अंतर्गत तीन डिग्री कालेजों की स्थापना की मांग करता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2015–2016 का जो बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सुन्दर है और दूरगामी सोच का परिचायक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा कल जारी रहेगी।

ख4.55 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब हम नियम–51 की सूचनायें लेते हैं।

आज दिनांक 9–3–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनायें प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर नगर के यशोदा नगर, गोपाल नगर, गांधी ग्राम में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजनान्तर्गत पीने के पानी की लाईन चालू कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री रवीन्द्र भड़ाना की 2011–12 के समस्त बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के ग्राम महमूदपुर एवं चकरपुर के बीच अरिल नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवी सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ में स्थित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं की पिछले दो वर्षों की छात्रवृत्ति का भुगतान कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री उदयलाल मौर्य जनपद बलिया के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अजनेरा में हत्याभियुक्त एवं माननीय न्यायालय से पाये आजीवन कारावास की सजा के उपरान्त भी डा0 श्रीप्रकाश सिंह की तैनाती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री

रामवीर उपाध्याय की जनपद अलीगढ़ मण्डल में मान्यता प्राप्त एक नया विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध मे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत क्षेत्रीय किसानों की सिंचाई की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पम्प कैनाल हेतु विद्युत कनेक्शन कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी की मेरठ नगर में स्थित श्री प्यारेलाल शर्मा राजकीय चिकित्सालय के भवन का स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट के अधिशाषी अभियंता, निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0 द्वारा अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

1–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,

2–श्री राजबली जैसल,

3–श्री जगन प्रसाद गर्ग,

4–श्री प्रदीप माथुर,

5–श्री जियाउद्दीन रिजवी,

6–श्री मदन चौहान,

7–डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

8–श्री कालीचरन सुमन,

9–श्री रामचन्द्र यादव,

10–श्री कृष्ण कुमार ओझा,

11–श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

12–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या,

13–श्री अगयश रामसरन वर्मा,

14–श्री मनीष असीजा,

15–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य,

16–श्री राजीव,

17–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

18–श्री पूरन प्रकाश,

19–श्री भगवती प्रसाद,

20–श्री सुरेश राणा,

21–श्री लोकेन्द्र सिंह,

22–श्री रामहेत भारती,

23–श्री विजय बहादुर यादव,

24–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,

25–श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

26–सुश्री रजनी तिवारी,

27–श्री भीम प्रसाद सोनकर,

28–श्री जय प्रकाश निषाद,

29–श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा

30–डा0 धर्मपाल सिंह।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गेंदालाल चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री गेंदा लाल चौधरी जी उपस्थित नहीं है।

जनपद आगरा के एत्मादपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में घरेलू बिजली पंखा उपभोक्ताओं को नगरीय क्षेत्र के हिसाब से बिल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

डा0 धर्म पाल सिंह उपस्थित नहीं है।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में ग्राम सभा की भूमि पोखरों, चारागाहों की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

मदन चौहान जी उपस्थित नहीं है। जो उपस्थित नहीं हैं उनका नहीं लिया जायेगा।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक छजलैट में स्वीकृत आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्ररहमान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री अनीसुर्ररहमान उपस्थित नहीं है, दे देते हैं अपना वक्तव्य सुनने के लिए रहते नहीं है।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मनिकापुर अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण हो रही असुविधा के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री चन्द्र भान सिंह पटेल माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत ..

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्सूचना दी गयी है कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बिल्डिंग बनी है, लेकिन वहां पर नियुक्त डाक्टर/कर्मचारी नहीं बैठते हैं, जिससे उक्त केन्द्रों की बिल्डिंग का रख–रखाव सुरक्षा व्यवस्था न होने से वहां अवारा पशुओं का चारागाह बनता जा रहा है तथा रोगियों की दवा का फर्जी बजट बनाकर फर्जी भुगतान करवाया जाता है क्योंकि जब वहां कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है लेकिन डाक्टरों/कर्मचारियों का वेतन एवं दशा बिल भुगतान नियमित चल रहा है उक्त समस्या से वार्तालाप एवं पत्राचार के माध्यम से प्रशासन के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण जनता इलाज के लिये दर–दर भटकना पड़ता है जिससे कई बार समय से इलाज न होने से पीड़ितों की जान जोखिम में पड़ चुकी है। स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से पीड़ित परिवारों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट से आख्या प्राप्त की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 14 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं जहां पर चिकित्साधिकारी के 54 पद स्वीकृत हैं। इन 54 पदों के सापेक्ष 28 चिकित्साधिकारी तैनात है। इनमें से 07 चिकित्साधिकारी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं जिनमें से 04 के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है। 02 चिकित्साधिकारी पी0जी0 डिप्लोमा कर रहे हैं एवं 01 चिकित्साधिकारी निलम्बित चल रहा है जिनका वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है। शेष 18 चिकित्साधिकारी नियमित रूप से चिकित्सालय जाकर अपने अधीन स्टाफ के साथ ग्रामीण जनता को शासन की मंशा के अनुरूप चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। किसी भी चिकित्सक व कर्मचारी का फर्जी तरीके से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। ब्लाकवार इकाइयों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति के अनुसार ही उनका वेतन आदि का भुगतान किया जाता है। समय–समय पर मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट द्वारा चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जाता है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन आहरित नहीं किया जाता है।,

जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर निर्मित विद्युत केन्द्रों को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू उपस्थित नहीं है।

बरेली महानगर में नगर निगम द्वारा भवन कर, जलकर एवं सीवर कर की धनराशि को दस गुना बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य डा0 अरूण कुमार उपस्थित नहीं है।

जनपद बरेली के नगर पंचायत शाही के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री सुल्तान बेग द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री सुलतान बेग उपस्थित नहीं हैं।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 125 नग टी0टी0एस0पी0 की टंकियों को लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री काली चरन सुमन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25–2–2015 को नियम 51 के अन्तर्गत ..

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि ''जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत पहले से स्वीकृत टी0टी0एस0पी0 टंकियों में से अवशेष 125 नग टी0टी0एस0पी0 टंकियां अभी तक नहीं लग पायी हैं, जिसके कारण क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या बनी हुई है तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड बरौली अहीर, अकोला, विचपुरी में लगना प्रस्तावित है। जनहित को ध्यान में रखते हुए पेयजल

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।''

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उपरोक्त पेयजल व्यवस्था समाधान हेतु विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र में 125 नग टी0टी0एस0पी0 टंकियां शीघ्र ही लगवाये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–आगरा में वर्ष 2012–13 में मात्र एक टी0टी0एस0पी0 योजना 497 बस्ती/826 नग टी0टी0एस0पी0 दिनांक 29–01–2013 की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में स्वीकृत की गयी थी जिसके निर्माण कार्य टेण्डर प्रक्रिया उपरान्त वर्ष 2013–14 में माह 09/2013 में प्रारम्भ किये गये थे इसके अन्तर्गत 90–आगरा ग्रा0 वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत 35 नग टी0टी0एस0पी0 स्वीकृत हुई थी। जिनके निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2013–14 में कोई भी टी0टी0एस0पी0 योजना स्वीकृत नहीं हुई थी। वर्ष 2012–13 से पूर्व 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित कुल 10 योजनाएं स्वीकृत हुई थी, जिसके अन्तर्गत 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में 1167 नग टी0टी0एस0पी0 निर्मित की जानी थी जिसमें से 1042 नग टी0टी0एस0पी0 पूर्ण है तथा 125 नग टी0टी0एस0पी0 शेष हैं। टी0टी0एस0पी0 अवशेष रहने के कारणों की जांच उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा की जा रही है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त उक्त 125 नग टी0टी0एस0पी0 के कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्राम मानकों के अनुसार इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों से संतृप्त है एवं पेयजल की समस्या नहीं है।

3–उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र को सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराने हेतु उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत यथासम्भव कार्यवाही की जा रही है और लोक महत्व के इस कार्यक्रम के प्रति राज्य सरकार सजग एवं प्रतिबद्ध है।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र सोहरतगढ़ के अन्तर्गत कठेला को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लालमुन्नी सिंह द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती लाल मुन्नी सिंह उपस्थित नहीं है।

जनपद बदायूं की दातागंज तहसील के अन्तर्गत नगरिया खनु में पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिनोद कुमार शाक्य द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री सिनोद कुमार शाक्य उपस्थित नहीं है। माननीय मौर्या जी, जो लोग नहीं रहते हैं उनका अब नहीं लिया जायेगा। यह लोग लिखकर तो दे देते हैं, लेकिन वक्तव्य पढ़ने के समय नहीं रहते हैं। जब महत्वपूर्ण मामला उठाते हैं तो उस समय रहना भी चाहिये। अब कल से उन्हीं का लिया जायेगा, जो नियम–51 के समय सदन में उपस्थित रहेंगे।

जनपद फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा प्रदान किये जाने के उपरान्त जनता को नगर निगम की सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री मनीष असीजा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 25–02–2015 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नगर निगम, फिरोजाबाद .....

नेता विरोधी दल (स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्को बने हुए छः माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त नगर निगम जनता को सुविधा के नाम पर कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और न ही मानक के अनुसार अपेक्षित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति हो सकी है। इसके विपरीत स्वकर निर्धारण के अन्तर्गत अन्य नगर निगमों से अधिक दर पर कर निर्धारण किया जा रहा है। इस लोक महत्व के विषय पर मा0 सदस्य द्वारा वक्तव्य की मांग की गयी है।

2–उक्त नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा स्वःकर निर्धारण व्यवस्था के तहत कर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। अध्यासियों द्वार स्वःकर का प्रपत्र भरकर नगर निगम में प्राप्त कराये जा रहे हैं। सूचना में उल्लिखित इस कथन कि नगर निगम, फिरोजाबाद में लखनऊ, अलीगढ़, आगरा एवं कानपुर जैसे पुराने नगर निगमों के पास इलाकों की दरों से भी अधिक लागू किये जाने का कार्य किया जा रहा है, के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम की नियमावली के तहत प्राप्त गार्ड लाइन के आधार पर ही बनायी गयी विधि के अनुसार अधिसूचना पर नगर निगम द्वारा आपत्ति प्राप्त की गयी थी। उसके बाद ही स्वःकर निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। नगर के किसी भी अध्यासी/भवन स्वामी द्वारा किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है।

जहां तक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की सफाई/पेयजल/मार्ग–प्रकाश/निर्माण आदि का निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की देख–रेख में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर की सफाई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से कराने के लिये 40 नये कूड़ेदान नगर के

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कराये गये हैं। नगर की प्रकाश व्यवस्था एवं जलापूर्ति व्यवस्था का भी निरीक्षण किया जाता है। नगर में नई आबादी क्षेत्र में 1300 नई सोडियम लाईटें तथा 1900 पुरानी लाइटों की मरम्मत कराकर प्रकाश व्यवस्था का लाभ जनता को दिलाया गया है। नई आबादी क्षेत्र में सड़क, नाली का निर्माण कार्य वृहद स्तर पर कराया गया है। राज्य वित्त आयोग से 25 नये टेण्डर तथा 13वें वित्त आयोग से कुल 19 टेण्डर उठाये गये हैं जिनके द्वारा क्रमशः रु0 2,18,66,878/– तथा रु0 3,86,54,199/– के कुल कार्य कराये गये हैं।

3–नगर निगम के मानकानुसार अपेक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम, फिरोजाबाद हेतु आवश्यकतानुसार पद सृजन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। उक्त क्रम में क्रमशः रिक्त/सृजित पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि नगर निगम के सृजन के साथ ही पुराना बोर्ड स्वतः भंग हो जाता है। परिसीमन आदि की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् नगर निगम में चुनाव कराये जाते हैं।,

रेन्ज अधिकारी रामगढ़ टिकरी रेन्ज द्वारा लकड़ी की अवैध कटान कराये जाने के कारण वन कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री भीम प्रसाद सोनकर जी उपस्थित नहीं हैं।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजे अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 09 मार्च, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 45 विधान सभा (76)–09–03–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।